



मंत्रिमंडल सचिवालय
CABINET SECRETARIAT

भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961
Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961

(हिन्दी अनुवाद)

(संशोधन अवली सं 351, दिनांक 06 अगस्त, 2019 तक यथा संशोधित)
(As amended upto Amendment Series no. 351, dated 6th August, 2019)



(नोट – किसी विसंगति की स्थिति में कृपया अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लें)

भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961

सूची

| विषय | पृष्ठ सं० |
|---|-----------|
| I. आदेश दिनांक 14.01.1961 | 6 |
| II. प्रथम अनुसूची | 8 |
| III. द्वितीय अनुसूची | 13 |
| मंत्रालय / विभाग | |
| कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) | 13 |
| 1. (i) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare) | 13 |
| 2. (ii) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (Department of Agricultural Research and Education) | 17 |
| 3. आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय (Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)) | 20 |
| रसायन और उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals and Fertilizers) | 22 |
| 4. (i) रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग (Department of Chemicals and Petro-Chemicals) | 22 |
| 5. (ii) उर्वरक विभाग (Department of Fertilizers) | 23 |
| 6. (iii) औषध विभाग (Department of Pharmaceuticals) | 24 |
| 7. नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) | 25 |
| 8. कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal) | 26 |
| वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) | 27 |
| 9. (i) वाणिज्य विभाग (Department of Commerce) | 27 |
| 10. (ii) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) | 30 |

| | | |
|-----|---|----|
| | संचार मंत्रालय (Ministry of Communications) | 33 |
| 11. | (i) दूरसंचार विभाग (Department of Communications) | 33 |
| 12. | (ii) डाक विभाग (Department of Posts) | 35 |
| | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) | 37 |
| 13. | (i) उपभोक्ता मामले विभाग (Department of Consumer Affairs) | 37 |
| 14. | (ii) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food and Public Distribution) | 38 |
| 15. | कारपोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) | 40 |
| 16. | संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture) | 41 |
| | रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) | 44 |
| 17. | (i) रक्षा विभाग (Department of Defence) | 44 |
| 18. | (ii) रक्षा उत्पादन विभाग (Department of Defence Production) | 46 |
| 19. | (iii) रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग (Department of Defence Research and Development) | 47 |
| 20. | (iv) पूर्व सेनानी कल्याण विभाग (Department of Ex-Servicemen Welfare) | 49 |
| 21. | उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (Ministry of Development of North Eastern Region) | 50 |
| 22. | पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences) | 52 |
| 23. | इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) | 53 |
| 24. | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) | 54 |
| 25. | विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) | 56 |
| | वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) | 60 |
| 26. | (i) आर्थिक कार्य विभाग (Department of Economic Affairs) | 60 |
| 27. | (ii) व्यय विभाग (Department of Expenditure) | 65 |
| 28. | (iii) राजस्व विभाग (Department of Revenue) | 67 |
| 29. | (iv) निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) (Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM)) | 69 |
| 30. | (v) वित्तीय सेवाएं विभाग (Department of Financial Services) | 70 |
| 31. | मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying) | 72 |
| | (ii) मत्स्यपालन विभाग (Department of Fisheries) | 72 |

| | | | |
|-----|-------|--|-----|
| | (ii) | पशुपालन और डेयरी विभाग (Department of Animal Husbandry and Dairying) | 74 |
| 32. | | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries) | 76 |
| | | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) | 77 |
| 33. | (i) | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (Department of Health and Family Welfare) | 77 |
| 34. | (iii) | स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (Department of Health Research) | 82 |
| | | भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises) | 84 |
| 35. | (i) | भारी उद्योग विभाग (Department of Heavy Industry) | 84 |
| 36. | (ii) | लोक उद्यम विभाग (Department of Public Enterprises) | 87 |
| | | गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) | 88 |
| 37. | (i) | आंतरिक सुरक्षा विभाग (Department of Internal Security) | 88 |
| 38. | (ii) | राज्य विभाग (Department of States) | 92 |
| 39. | (iii) | राजभाषा विभाग (Department of Official Language) | 95 |
| 40. | (iv) | गृह विभाग (Department of Home) | 96 |
| 41. | (v) | जम्मू तथा कश्मीर विभाग (Department of Jammu and Kashmir Affairs) | 98 |
| 42. | (vi) | सीमा प्रबंधन विभाग (Department of Border Management) | 99 |
| 43. | | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) | 100 |
| | | मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development) | 103 |
| 44. | (i) | स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (Department of School Education and Literacy) | 103 |
| 45. | (ii) | उच्चतर शिक्षा विभाग (Department of Higher Education) | 104 |
| 46. | | सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) | 107 |
| | | जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) | 111 |
| 47. | (i) | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation) | 111 |
| 48. | (ii) | पेय जल और स्वच्छता विभाग (Department of Drinking Water and Sanitation) | 114 |
| 49. | | श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) | 115 |
| | | विधि और न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice) | 118 |
| 50. | (i) | विधि कार्य विभाग (Department of Legal Affairs) | 118 |

| | | | |
|---|-------|--|-----|
| 51. | (ii) | विधायी विभाग (Legislative Department) | 119 |
| 52. | (iii) | न्याय विभाग (Department of Justice) | 121 |
| 53. | | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) | 122 |
| 54. | | खान मंत्रालय (Ministry of Mines) | 125 |
| 55. | | अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs) | 126 |
| 56. | | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy) | 128 |
| 57. | | पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj) | 129 |
| 58. | | संसदीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Parliamentary Affairs) | 130 |
| कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions) | | | 131 |
| 59. | (i) | कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training) | 131 |
| 60. | (ii) | प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (Department of Administrative Reforms and Public Grievances) | 136 |
| 61. | (iii) | पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pensions and Pensioners Welfare) | 137 |
| 62. | | पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) | 138 |
| 63. | | योजना मंत्रालय (Ministry of Planning) | 140 |
| 64. | | विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) | 141 |
| 65. | | रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) | 142 |
| 66. | | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) | 143 |
| ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) | | | 145 |
| 67. | (i) | ग्रामीण विकास विभाग (Department of Rural Development) | 145 |
| 68. | (ii) | भूमि संसाधन विभाग (Department of Land Resources) | 146 |
| विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology) | | | 148 |
| 69. | (i) | विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology) | 148 |
| 70. | (ii) | विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (Department of Scientific and Industrial Research) | 150 |
| 71. | (iii) | बायोटेक्नालॉजी विभाग (Department of Bio-Technology) | 151 |
| 72. | | पोत परिवहन मंत्रालय (Ministry of Shipping) | 153 |
| 73. | | कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) | 156 |

| | | |
|-----|---|------------|
| | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) | 157 |
| 74. | (i) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice and Empowerment) | 157 |
| 75. | (ii) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (Department of Empowerment of Persons with Disabilities) | 159 |
| 76. | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) | 161 |
| 77. | इस्पात मंत्रालय (Ministry of Steel) | 163 |
| 78. | वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textiles) | 164 |
| 79. | पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism) | 167 |
| 80. | जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) | 168 |
| 81. | महिला और बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) | 172 |
| | युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports) | 174 |
| 82. | (i) युवक कार्यक्रम विभाग (Department of Youth Affairs) | 174 |
| 83. | (ii) खेल विभाग (Department of Sports) | 175 |
| 84. | परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy) | 176 |
| 85. | अंतरिक्ष विभाग (Department of Space) | 179 |
| 86. | मंत्रिमंडल सचिवालय (Cabinet Secretariat) | 181 |
| 87. | राष्ट्रपति सचिवालय (President's Secretariat) | 182 |
| 88. | प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office) | 183 |
| 89. | नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था) NITI Aayog (National Institution for Transforming India) | 184 |
| 90. | राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (National Security Council Secretariat) | 186 |
| IV. | संशोधनों की सूची (List of Amendments) | 187 |

14 जनवरी, 1961/24 पौष, 1882 (शक)

आदेश

भारत सरकार (कार्य - आबंटन) नियम

संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विषय पर समस्त पूर्वतन नियमों और आदेशों को अधिक्रांत करते हुए, राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य आबंटन के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं :

1. इन नियमों का नाम - भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 होगा।
2. कार्य का आबंटन - भारत सरकार का कार्य इन नियमों की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट मंत्रालयों, विभागों, सचिवालयों और कार्यालयों में (जिनमें से सभी को, इसमें, इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) संव्यवहृत किया जाएगा।
3. विषयों का वितरण -
 - (1) विभागों में विषयों का वितरण ऐसा होगा जैसा इन नियमों की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और इसके अंतर्गत सभी सहबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन, जिनमें उनके विषयों से संबंधित पब्लिक सेक्टर उपक्रम हैं तथा इस नियम के उपनियम (2), उपनियम (3) और उपनियम (4) भी हैं।
 - (2) प्रत्येक विभाग का लेखा संकलन कार्य उक्त विभाग को उसी तारीख से आबंटित माना जाएगा जिससे राष्ट्रपति नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 10 की उप धारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन आदेश द्वारा नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक को उक्त विभाग के लेखा-संकलन के दायित्व से भारमुक्त करते हैं।
 - (3) जहां किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के अभियोजन के लिए मंजूरी देना अपेक्षित है वहां -
 - (क) यदि वह सरकारी सेवक है तो उस विभाग द्वारा, जो उस सेवा के जिसका वह सदस्य है, काडर का नियंत्रक प्राधिकारी है, और किसी अन्य मामले में, उस विभाग द्वारा जिसमें वह, अभिकथित अपराध किए जाने के समय कार्य कर रहा था;
 - (ख) यदि वह, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी सेवक से भिन्न कोई लोक सेवक है तो, उस संगठन से प्रशासनिक रूप से संबंधित विभाग द्वारा जिसमें वह अभिकथित अपराध किए जाने के समय कार्य कर रहा था; और
 - (ग) किसी अन्य मामले में, उस विभाग द्वारा जो, उस अधिनियम को, जिसके अधीन अभिकथित अपराध किया गया है, लागू करता है;परन्तु, जहां ऐसे अभिकथित किए गए अपराधों के लिए एक से अधिक अधिनियम के अधीन मंजूरी अपेक्षित हैं, वहां वह विभाग, जो ऐसे अधिनियमों में से किसी को लागू करता है, ऐसे सभी अधिनियमों के अधीन मंजूरी देने के लिए सक्षम होगा।

- (4) राष्ट्रपति, उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेंगे कि किसी मामले या मामलों के किसी वर्ग में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

4. मंत्रियों में विभागों का आबंटन –

- (1) मंत्रिमंडल सचिवालय को आबंटित भारत सरकार का कार्य प्रधान मंत्री को आबंटित किया जाता है और सदैव उन्हें आबंटित किया गया समझा जाएगा।
- (2) उपनियम (1) के उपबंधों के अधीन, राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री की सलाह से, एक मंत्री के भार-साधन में एक या अधिक विभाग समनुदिष्ट करके मंत्रियों में भारत सरकार के कार्य का आबंटन कर सकेंगे।
- (3) उपनियम (1) या उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह से -
- (क) किसी मंत्री को उक्त उपनियमों में से किसी के अधीन कार्य आबंटित करने के संबंध में अन्य मंत्री या उपमंत्री को उन कृत्यों का पालन करने के लिए जो उसे समनुदिष्ट किए जाएं, सहयुक्त कर सकेंगे; अथवा
- (ख) किसी एक या एक से अधिक विभागों पर प्रभाव डालने वाली कार्य की विनिर्दिष्ट मदों के लिए उत्तरदायित्व ऐसे मंत्री को, जो किसी अन्य विभाग का भारसाधक है या ऐसे निर्विभाग मंत्री को न्यस्त कर सकेंगे जो किसी विभाग का भारसाधक नहीं है।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
राष्ट्रपति

प्रथम अनुसूची
(नियम 2)

मंत्रालय, विभाग, सचिवालय तथा कार्यालय

1. **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare)**
 - (i) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)
 - (ii) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (Department of Agricultural Research and Education)
 - (iii) लोप किया गया
 - (iv) लोप किया गया
2. **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय (Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH))**
3. **रसायन और उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals and Fertilizers)**
 - (i) रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग (Department of Chemicals and Petro-Chemicals)
 - (ii) उर्वरक विभाग (Department of Fertilizers)
 - (iii) औषध विभाग (Department of Pharmaceuticals)
4. **नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation)**
5. **कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal)**
6. **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry)**
 - (i) वाणिज्य विभाग (Department of Commerce)
 - (ii) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade)
7. **संचार मंत्रालय (Ministry of Communications)**
 - (i) दूरसंचार विभाग (Ministry of Communications)
 - (ii) डाक विभाग (Department of Posts)
 - (iii) लोप किया गया
- 7क. लोप किया गया
8. **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution)**
 - (i) उपभोक्ता मामले विभाग (Department of Consumer Affairs)
 - (ii) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food and Public Distribution)

- 8क. कारपोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs)
- 8ख. संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture)
9. रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence)
- (i) रक्षा विभाग (Department of Defence)
- (ii) रक्षा उत्पादन विभाग (Department of Defence Production)
- (iii) रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग (Department of Defence Research and Development)
- (iv) पूर्व सेनानी कल्याण विभाग (Department of Ex-Servicemen Welfare)
- 9क. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (Ministry of Development of North Eastern Region)
- 9कक. लोप किया गया
10. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences)
- 10 क. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology)
11. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change)
12. विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs)
13. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance)
- (i) आर्थिक कार्य विभाग (Department of Economic Affairs)
- (ii) व्यय विभाग (Department of Expenditure)
- (iii) राजस्व विभाग (Department of Revenue)
- (iv) निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) (Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM))
- (v) वित्तीय सेवाएं विभाग (Department of Financial Services)
- 13क. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying)
- (i) मत्स्यपालन विभाग (Department of Fisheries)
- (ii) पशुपालन और डेयरी विभाग (Department of Animal Husbandry and Dairying)
14. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries)
15. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare)
- (i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (Department of Health and Family Welfare)

- (ii) लोप किया गया
 - (iii) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (Department of Health Research)
 - (iv) लोप किया गया
16. **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises)**
- (i) भारी उद्योग विभाग (Department of Heavy Industry)
 - (ii) लोक उद्यम विभाग (Department of Public Enterprises)
17. **गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs)**
- (i) आंतरिक सुरक्षा विभाग (Department of Internal Security)
 - (ii) राज्य विभाग (Department of States)
 - (iii) राजभाषा विभाग (Department of Official Language)
 - (iv) गृह विभाग (Department of Home)
 - (v) जम्मू तथा कश्मीर विभाग (Department of Jammu and Kashmir Affairs)
 - (vi) सीमा प्रबंधन विभाग (Department of Border Management)
- 17क. **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs)**
18. **मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development)**
- (i) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (Department of School Education and Literacy)
 - (ii) उच्चतर शिक्षा विभाग (Department of Higher Education)
19. **सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting)**
- 19क. **जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti)**
- (i) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)
 - (ii) पेय जल और स्वच्छता विभाग (Department of Drinking Water and Sanitation)
20. **श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment)**
21. **विधि और न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice)**
- (i) विधि कार्य विभाग (Department of Legal Affairs)
 - (ii) विधायी विभाग (Legislative Department)
 - (iii) न्याय विभाग (Department of Justice)
- 21क. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises)**
- 21कक. **खान मंत्रालय (Ministry of Mines)**

- 21ख. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs)
22. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy)
- 22क. लोप किया गया
- 22कक. लोप किया गया
- 22ख. पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj)
23. संसदीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Parliamentary Affairs)
24. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions)
- (i) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training)
- (ii) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (Department of Administrative Reforms and Public Grievances)
- (iii) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pensions and Pensioners Welfare)
25. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas)
26. योजना मंत्रालय (Ministry of Planning)
27. विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power)
28. रेल मंत्रालय (Ministry of Railways)
29. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways)
30. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development)
- (i) ग्रामीण विकास विभाग (Department of Rural Development)
- (ii) भूमि संसाधन विभाग (Department of Land Resources)
- (iii) लोप किया गया
31. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology)
- (i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology)
- (ii) विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (Department of Scientific and Industrial Research)
- (iii) बायोटेक्नालॉजी विभाग (Department of Bio-Technology)
32. पोत परिवहन मंत्रालय (Ministry of Shipping)
33. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship)

34. **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment)**
 - (i) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice and Empowerment)
 - (ii) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (Department of Empowerment of Persons with Disabilities)
35. **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation)**
36. **इस्पात मंत्रालय (Ministry of Steel)**
37. **वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textiles)**
38. **पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism)**
39. **जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs)**
40. लोप किया गया
- 40क. लोप किया गया
41. लोप किया गया
- 41क. **महिला और बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development)**
42. **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports)**
 - (i) युवक कार्यक्रम विभाग (Department of Youth Affairs)
 - (ii) खेल विभाग (Department of Sports)
43. **परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy)**
44. लोप किया गया
45. **अंतरिक्ष विभाग (Department of Space)**
46. **मंत्रिमंडल सचिवालय (Cabinet Secretariat)**
47. **राष्ट्रपति सचिवालय (President's Secretariat)**
48. **प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office)**
49. **नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था) NITI Aayog (National Institution for Transforming India)**
50. **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (National Security Council Secretariat)**

द्वितीय अनुसूची
(नियम 3)
विभागों में विषयों का वितरण

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE)

क. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE)

भाग-I

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची I के अंतर्गत आते हैं:

1. अंतर्राष्ट्रीय कृषि संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के साथ संपर्क, कोआपरेटिव फार अमेरिकन रिलीफ एवेरीव्हेयर (सी.ए.आर.ई.) के कृषि आदि से संबंधित माल का प्रबंध करना।
2. कृषि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों,संगमों तथा अन्य निकायों में भाग लेना और वहां पर किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन।
3. टिड्डी नियंत्रण का अभिसमय।
4. पादप करंतीन।
5. वे उद्योग जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, वहां तक जहां तक वे निम्नलिखित से संबद्ध हैं:
 - (क) कृषि उद्योग,जिसके अंतर्गत मशीनरी,उर्वरक और बीज हैं,किन्तु कपास,औटाई और दबाई नहीं हैं,इस परिसीमा के साथ कि उद्योगों,जिनके अंतर्गत मशीनरी और उर्वरक हैं, के विकास के बारे में कृषि और सहकारिता विभाग के कृत्य मांगों के आकलन और लक्ष्यों के नियतन से अधिक न हों;
 - (ख) शल्क लाख उद्योग।
6. कृषि गणना।
7. लोप किया गया।
8. लोप किया गया।
9. लोप किया गया।
10. भारतीय जन प्राकृतिक आपदा न्यास।
11. तिलहन व दलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन।

भाग- II

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची III के अंतर्गत हैं (केवल विधान की बाबत):

12. खाद्य पदार्थों से भिन्न कृषि उत्पादों का अपमिश्रण ।
13. आर्थिक योजना (कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी) ।
14. वृत्तियां (जिनके अंतर्गत पशु चिकित्सा व्यवसाय नहीं हैं) ।
15. वनस्पति को हानि पहुंचाने वाले संक्रामक या सांसर्गिक रोगों या नाशक जीवों के, जिनके अंतर्गत टिड्डियां भी हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण ।
16. खाद्यान्न, शर्करा, वनस्पति, तिलहनों, वनस्पति तेलों, खली और वसा, पटसन, रूई और चाय के सिवाय, कृषि वस्तुओं की कीमत का नियंत्रण ।
17. खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983 (1983 का 35) का प्रशासन ।

भाग- III

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त भाग I और भाग II में वर्णित विषय जहां तक वे इन राज्य क्षेत्रों की बाबत विद्यमान हैं, और इनके अतिरिक्त, निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची II के अंतर्गत हैं:

18. कृषि (कृषि शिक्षा और गवेषणा से भिन्न) नाशक जीवों से रक्षा और पादप रोगों का निवारण ।
19. कृषि क्षेत्र में सहयोग ।
20. कृषि उत्पाद के विपणन संबंधी सामान्य नीति जिसमें कीमत निर्धारण, निर्यात आदि सम्मिलित है ।
21. लोप किया गया ।
22. कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) ।
23. लोप किया गया ।
24. सहकारिता के क्षेत्र में साधारण नीति और सभी सेक्टरों में सहकारिता क्रियाकलापों का समन्वय ।
टिप्पणी: संबंधित मंत्रालय अपने-अपने क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के लिए उत्तरदायी हैं ।
25. राष्ट्रीय सहकारी संगठनों से संबंधित मामले ।
26. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ।
27. ऐसी सहकारी सोसाइटियों का जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, निगमन, विनियमन और समापन जिसमें 'बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39)' का प्रशासन भी है:
परन्तु प्रशासनिक मंत्रालय अथवा विभाग उसके नियंत्रणाधीन कार्यरत सहकारी ईकाइयों के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए "केन्द्रीय सरकार" होगा।
28. सहकारी विभागों और सहकारी संस्थाओं के कार्मिकों का प्रशिक्षण (जिसमें सदस्यों, पदाधिकारियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों की शिक्षा सम्मिलित है)।

भाग- IV

साधारण और पारिणामिक:

29. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को आबंटित कार्यों की मदों के सिवाय, कृषि और सहबद्ध विषयों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता से संबंधित सभी मामले ।
30. कृषि और उद्यान कृषि ।
31. बायो-एस्थेटिक योजना ।
32. कृषि उत्पादन-अधिक अन्न उपजाओ ।
33. भूमि पुनरुद्धार ।
34. कृषि और बागवानी के फसलोपरांत प्रबंधन हेतु अवसंरचना ।
35. राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड ।
36. कपास, पटसन और गन्ने का विकास ।
37. विकास कार्यक्रमों से संबद्ध मृदा सर्वेक्षण ।
38. राज्य भू-संरक्षण स्कीमों को वित्तीय सहायता ।
39. अखिल भारतीय, अंचल अथवा क्षेत्रीय स्तर पर उर्वरक और खाद मांगों का आकलन; अंचल या क्षेत्रवार लक्ष्यों का पोषणवार नियतन ।
40. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 का प्रशासन ।
41. राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशिष्टों की मानीटरी ।
42. कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) का प्रशासन ।
43. कृषि उपकरण और मशीनरी ।
44. देश में विस्तार शिक्षा और प्रशिक्षण का संगठन और विकास ।
45. लोप किया गया ।
46. तिलहनों का उत्पादन ।
- 46क. पादप सामग्री का उत्पादन, नर्सरियों का विकास और जैव-ईंधनों के लिए पौधारोपण जिसके अंतर्गत इस संबंध में अन्य मंत्रालयों या विभागों से समन्वय भी है ।
47. लोप किया गया ।
48. यांत्रिक फार्म ।

49. जैविक खेती (विकास एवं संवर्धन सहित सभी मामले, परन्तु इसमें निर्यात के प्रयोजन हेतु जैविक खाद्य/उत्पादों के प्रमाणीकरण से संबंधित मामले सम्मिलित नहीं हैं)।
50. ऑन-फार्म जल प्रबंधन।
51. लोप किया गया।
52. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी सहबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन हैं किन्तु, इसमें कृषि विमानन निदेशालय सम्मिलित नहीं है।
53. उर्वरकों का क्वालिटी नियंत्रण।
54. राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए)।
- 54क. अनुसंधान के सिवाय कृषिवानिकी से संबंधित सभी विषय।

भाग V

55. सूखे, ओलावृष्टि और नाशक जीव कुप्रभाव, शीत लहर और पाले के कारण फसलों के नुकसान और आवश्यक राहत उपायों को समन्वय से संबंधित मामले।
56. सूखे के कारण मानव जीवन को होने वाली हानि से संबंधित मामले।
57. कृषि ऋण और ऋणग्रस्तता।
58. फसल बीमा।
59. फसल अभियान, फसल प्रतियोगिताएं और कृषक संगठन जिसमें कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) सम्मिलित है।
60. भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त कृषि संबंधी स्कीमें।
61. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मंडियों की स्थापना।
62. ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण, जिसमें ग्रामीण गोदाम भी हैं।
63. कृषक कल्याण हेतु स्कीमें।

ख. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

(B. DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION)

भाग- I

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची I के अंतर्गत हैं:

1. कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता, जिसके अंतर्गत विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा संस्थाओं और संगठनों के साथ संबंध भी है।
2. मूल अनुप्रयुक्त और संक्रियात्मक अनुसंधान तथा उच्चतर शिक्षा जिसमें ऐसे अनुसंधान का समन्वय तथा कृषि, कृषि वानिकी, पशुपालन, डेरी, मछली पालन, कृषि अभियांत्रिकी और उद्यान, जिसके अंतर्गत कृषि सांख्यिकी, अर्थशास्त्र एवं विपणन भी हैं, में उच्चतर शिक्षा सम्मिलित है।
3. उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान संस्थाओं और वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थाओं में समन्वय और मानकों का अवधारण जहां तक उनका संबंध खाद्य तथा कृषि से है जिसमें पशुपालन, डेरी तथा मछली पालन भी सम्मिलित है। कृषि अनुसंधान/विस्तार तथा शिक्षा में मानव संसाधन का विकास।
4. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और चाय, काफी और रबड़ संबंधी कार्यक्रमों से भिन्न वस्तु अनुसंधान कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए उपकर।
5. गन्ना अनुसंधान।

भाग- II

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त भाग I में वर्णित विषय जहां तक वे इन राज्य क्षेत्रों की बाबत विद्यमान हैं, और इनके अतिरिक्त, निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची II के अंतर्गत हैं:

6. कृषि, शिक्षा और गवेषणा।

भाग- III

साधारण और पारिणामिक:

7. पादप, पशु और मछली प्रवर्तन तथा खोज।
8. अनुसंधान प्रशिक्षण, सह-संबद्ध, वर्गीकरण, मृदा मानचित्रण और निर्वचन से संबंधित अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण।
9. कृषि अनुसंधान और शैक्षिक स्कीमों तथा कार्यक्रमों की बाबत राज्य सरकारों और कृषि विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता।
10. राष्ट्रीय निरूपण।
11. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा इसके अंगीभूत संस्थानों, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों, परियोजना निदेशालयों, ब्यूरो तथा अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाएं।
12. जैव-ईंधन संयंत्रों के उत्पादन और सुधार के बारे में अनुसंधान और विकास।

ग. लोप किया गया ।

घ. लोप किया गया ।

**आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय
(MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDHA AND
HOMOEOPATHY (AYUSH))**

1. संघ कारबार

1. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धतियों के विकास और प्रचार के लिए नीति और नीतिगत मुद्दे बनाना।
2. विकास और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, जिसमें आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति के विकास और प्रचार के लिए केन्द्रीय स्कीमें और केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें भी हैं।
3. अनुसंधान और विकास का समन्वय और संवर्धन, जिसके अंतर्गत आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति के लिए सहायता भी है।
4. आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति से संबंधित अनुसंधान और विकास, शिक्षा और मानकों के लिए केन्द्रीय संस्थाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना।
- 4क. सोवा रिग्पा के विकास और प्रचार के लिए नीति बनाना, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय कार्यक्रमों/ योजनाओं का कार्यान्वयन, अनुसंधान और विकास, शिक्षा तथा सोवा रिग्पा से संबंधित मानकों के लिए केन्द्रीय संस्थाएं स्थापित करना तथा उनका रख-रखाव करना भी है।
5. निम्नलिखित के संबंध में सभी मुद्दे और विषय, जिनकी बाबत सरकार के स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है:
 - (क) भारतीय औषधि भेषज प्रयोगशाला, गाजियाबाद;
 - (ख) होम्योपैथिक भेषज प्रयोगशाला, गाजियाबाद;
 - (ग) भारतीय औषधि केन्द्रीय परिषद;
 - (घ) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद;
 - (ङ) आयुर्वेदिक भेषज समिति;
 - (च) होम्योपैथी भेषज समिति;
 - (छ) यूनानी भेषज समिति;
 - (ज) सिद्ध भेषज समिति;
 - (झ) आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड;
 - (ञ) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी से संबंधित केन्द्रीय अनुसंधान परिषदें तथा राष्ट्रीय संस्थान।
6. भारतीय चिकित्सा पद्धति के सभी पहलुओं में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान, जिसके अंतर्गत विदेश में उच्चतर प्रशिक्षण भी है।
7. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम तथा केन्द्रीय सरकार की अन्य संस्थाओं के भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के डॉक्टरों के संबंध में काडर संरचना और नियंत्रण के मामले, जिसके अंतर्गत भर्ती नियम बनाने और उनमें संशोधन, भर्ती, प्रोन्नति और सभी अन्य सेवा मामले भी हैं, जिनकी बाबत सरकारी स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है।

टिप्पणी.- दिन प्रतिदिन का प्रशासन और प्रबंध, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम के निदेशक के पास ही रहेगा।

8. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी से संबंधित मामलों की बाबत विदेशी राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संपर्क ।
9. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी से संबंधित वैज्ञानिक सोसाइटियों/संगमों और पूर्त तथा धार्मिक विन्यासों से संबंधित मामले ।
10. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी में औषध की क्वालिटी और मानकों से संबंधित ऐसे मामलों की बाबत उस सीमा तक जिनमें ऐसे मामलों में सरकारी स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है ।
11. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के कार्य और कार्यक्रमों के पुनर्विलोकन के लिए राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं से परामर्श तथा समन्वय करना ।
12. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सर्वेक्षण, मूल्यांकन, आंकड़ों का संग्रहण तथा प्रकाशन करना ।
13. संघ राज्य-क्षेत्रों से संबंधित ऐसे प्रस्ताव और मामले जिनमें भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के बारे में भारत सरकार की मंजूरी और सहमति अपेक्षित है ।
14. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी से संबंधित प्रत्येक राज्य के विधायी प्रस्ताव जिनकी बाबत भारत सरकार की मंजूरी और सहमति अपेक्षित है ।
15. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड से संबंधित सभी मामले; जिसके अंतर्गत औषधीय पादपों का संवर्द्धन तथा प्रचार, तथा उसके लिए स्कीमों का कार्यान्वयन भी है ।
16. इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड ।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS)

क. रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग (A. DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICALS)

1. लोप किया गया ।
2. कीटनाशी (कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) के प्रशासन के सिवाय) ।
3. लोप किया गया ।
4. लोप किया गया ।
5. रंजक-द्रव्य और रंजक मध्यक ।
6. सभी कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, जो किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को विनिर्दिष्टतया आबंटित नहीं किए गए हैं ।
7. विभाग द्वारा व्यवहृत सभी उद्योगों की योजना, विकास तथा नियंत्रण, और सहायता ।
8. भोपाल गैस रिसाव विभीषिका - तत्संबंधी विशेष विधियां ।
9. पेट्रो-रसायन ।
10. सेलूलोज रहित संश्लिष्ट फाइबर (नायलान, पोलिएस्टर, एक्रिलिक, आदि) के उत्पादन से संबंधित उद्योग ।
11. संश्लिष्ट रबड़ ।
12. प्लास्टिक, जिसमें प्लास्टिकों की विरचना और प्लास्टिक की ढली हुई वस्तुएं शामिल हैं ।

ख. उर्वरक विभाग

(B. DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

1. उर्वरक उत्पादन के लिए परियोजना तैयार करना, जिसके अंतर्गत किसी अभिहित सरणीकरण अभिकरण के माध्यम से उर्वरकों का आयात भी है।
2. कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार, यूरिया के संचलन और वितरण के लिए आबंटन और पूर्ति संपर्क।
3. नियंत्रित और अनियंत्रित उर्वरकों के लिए रियायत योजनाओं का प्रशासन और सब्सिडी का प्रबंध, जिसके अंतर्गत यूरिया के प्रतिधारण मूल्य, अनियंत्रित उर्वरकों की रियायत की मात्रा, ऐसे उर्वरकों की लागत और फास्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों का मूल्य निर्धारण भी है।
4. उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1960 का प्रशासन।
5. सहकारिता क्षेत्र में उर्वरक उत्पादन एकाई, अर्थात्, इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको), कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको) के लिए प्रशासनिक उत्तरदायित्व।
6. इंडियन पोटैश लिमिटेड (आई.पी.एल.) का प्रशासनिक उत्तरदायित्व।

ग. औषध विभाग

(C. DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS)

1. औषधियां तथा फार्मास्यूटिकल्स, उनके सिवाय, जो अन्य विभागों को विनिर्दिष्टतया आबंटित की गई हैं।
- 1क. चिकित्सीय युक्तियां – संवर्धन, उत्पादन और विनिर्माण से संबंधित औद्योगिक मुद्दे; सिवाए उनके जो विनिर्दिष्ट रूप से अन्य विभागों को आबंटित किए हों।";
2. औषध निर्माण क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में आधारिक, अनुप्रयुक्त और अन्य अनुसंधान का संवर्धन और समन्वय।
3. औषध निर्माण क्षेत्र के लिए अवसंरचना, जन शक्ति और कौशल का विकास और संबंधित सूचना का प्रबंधन।
4. औषध निर्माण क्षेत्र से संबंधित सभी विषयों पर शिक्षा और प्रशिक्षण, जिसमें भारत तथा विदेश में उच्च अनुसंधान और अध्येतावृत्तियां सम्मिलित हैं, सूचना और तकनीकी मार्ग-निर्देश का आदान-प्रदान।
5. औषध निर्माण संबंधी क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी-भागीदारी का संवर्धन।
6. औषध निर्माण अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिसमें भारत और विदेश में संबंधित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से संबंधित कार्य सम्मिलित है।
7. विभाग को सौंपे गए विषयों से संबंधित क्षेत्रों में अंतर-क्षेत्रीय समन्वय जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधीन संगठनों और संस्थानों के बीच समन्वय सम्मिलित है।
8. औषध निर्माण क्षेत्र में राष्ट्रीय परिसंकटों से निपटने के लिए तकनीकी सहायता।
9. राष्ट्रीय औषध निर्माण मूल्य निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित सभी मामले, जिसमें मूल्य नियंत्रण/ मानीटरी से संबंधित कृत्य सम्मिलित हैं।
10. राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों से संबंधित सभी मामले।
11. विभाग द्वारा व्यवहृत सभी उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा उनकी सहायता।
12. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।
13. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड।
14. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।
15. कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।
16. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।

नागर विमानन मंत्रालय

(MINISTRY OF CIVIL AVIATION)

1. वायुयान और वायु दिक्चालन; हवाई-अड्डों की व्यवस्था; हवाई यातायात और हवाई-अड्डों का, वायु दिक्चालन से संबंधित स्वच्छता नियंत्रण के सिवाय, विनियमन और संगठन।
2. वायु दिक्चालन से संबंधित दिक्चालन और अन्य सहायक सामग्री की व्यवस्था।
3. वायुमार्ग से यात्रियों और माल का वहन।
- 3क. वाणिज्यिक वायव-संबंधित विनिर्माण तथा उसके पारिस्थितिकी तंत्र का विकास।
4. **लोप किया गया।**
5. सिविल वायुयान के उपयोग के लिए तकनीकी अनुज्ञप्तियां/प्रमाणपत्र/अनुमोदन जारी करना।
6. निजी विमान परिवहन (स्थोरा सहित) उद्योग।
7. राज्य सरकारों, निजी/संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों द्वारा ग्रीन फील्ड विमान-पत्तन से संबंधित मामले।
8. इंटरनेशनल सिविल एवियेशन आर्गेनाइजेशन (आई.सी.ए.ओ.)।
9. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आई.ए.टी.ए.)।
10. कामनवेल्थ एयर ट्रांसपोर्ट काउंसिल (सी.ए.टी.सी.)।
11. कामनवेल्थ एडवाइजरी एरोनॉटिकल रिसर्च काउंसिल (सी.ए.ए.आर.सी.)।
12. एयर इंडिया लिमिटेड और उसकी समनुषंगी।
13. इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और उसकी समनुषंगी।
14. भारतीय होटल निगम और उसकी समनुषंगी।
15. रेल सुरक्षा आयोग।
16. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.)।
17. पवन हंस हेलिकाप्टर्स लिमिटेड।
18. नागर विमानन महानिदेशालय।
19. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी।
20. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो।
21. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी से संबंधित संधियों और करारों का कार्यान्वयन।
22. वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) का प्रशासन।
23. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) का प्रशासन।

कोयला मंत्रालय

(MINISTRY OF COAL)

1. भारत में कोकिंग और नान-कोकिंग कोयले तथा लिग्नाइट के भंडारों की खोज और विकास ।
2. कोयले के उत्पादन, पूर्ति, वितरण और कीमतों से संबंधित सभी मामले ।
3. उनसे भिन्न, जिनके लिए इस्पात विभाग उत्तरदायी है, कोयला धोवनशालाओं का विकास और प्रचालन ।
4. कोयले का निम्न ताप पर कार्बनीकरण और कोयले से संश्लिष्ट तेल का उत्पादन ।
- 4क. कोयला गैसीकरण से संबंधित सभी विषय ।
5. कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का प्रशासन ।
6. कोयला खान भविष्य निधि संगठन ।
7. कोयला खान कल्याण संगठन ।
8. कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन।
9. कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) का प्रशासन ।
10. खानों से उत्पादित और प्रेषित कोक और कोयले पर उत्पाद शुल्क के उदग्रहण और संग्रहण तथा बचाव निधि के प्रशासन के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32) के अन्तर्गत नियम ।
11. कोयला-धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन।
12. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा अन्य संघ विधियों का प्रशासन जहां तक कि उक्त अधिनियम और विधियों का संबंध कोयला और लिग्नाइट और भरणार्थ बालू से है, इस प्रकार के प्रशासन से आनुषंगिक कारबार, जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न भी हैं ।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY)

क. वाणिज्य विभाग
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

I. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्यिक नीति जिसमें टैरिफ और टैरिफ-इतर अवरोध भी हैं।
- 1क. व्यापार उपचार जिसके अंतर्गत सुरक्षा उपायों की सिफारिश भी है।
2. व्यापार नीति से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण (जैसे कि अंकटाड, ईएससीएपी, ईसीए, ईसीएलए, ईईसी, ईएफटीए, गैट/डब्ल्यूटीओ, आईटीसी और सीएफसी)।
3. गेहूं, चीनी, जूट और कपास से संबंधित करारों से भिन्न, अंतर्राष्ट्रीय वस्तु करार।
4. टैरिफ आयोग से संबंधित अवशिष्ट कार्य सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क टैरिफ ब्यूरो।

II. विदेश व्यापार (माल और सेवाएं)

5. विदेश व्यापार से संबंधित सभी विषय।
6. आयात और निर्यात व्यापार नीति और नियंत्रण, जिसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित नहीं हैं:

- (क) कथा-चित्रों का आयात;
- (ख) भारतीय फिल्मों का निर्यात, दीर्घ और लघु कथाचित्र दोनों; और
- (ग) फिल्म उद्योग द्वारा अपेक्षित सिनेफिल्म (अनुभासित) और अन्य वस्तुओं का आयात और वितरण।

III. राज्य व्यापार

7. राज्य व्यापार नीतियां तथा इस प्रयोजन के लिए स्थापित संगठनों का कार्य निष्पादन जिसमें निम्नलिखित भी हैं:
 - (क) हस्तशिल्प और हैंडलूम निर्यात निगम तथा केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम के सिवाय, भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड तथा उसकी समनुषंगी; भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड और स्पाइसेज ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड;
 - (ख) प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीईसी);
 - (ग) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन और उसकी समनुषंगी;
 - (घ) खनिज और धातु व्यापार निगम तथा उसकी समनुषंगी;
8. बागान उपज, चाय, काफी, रबड़, मसाले, तंबाकू और काजू का उत्पादन, वितरण (देश में खपत और निर्यात के लिए) और विकास।
9. देश में खपत और निर्यात के लिए इंस्टैंट चाय और इंस्टैंट काफी का संसाधन और वितरण।
10.
 - (क) चाय बोर्ड।
 - (ख) काफी बोर्ड।
 - (ग) रबड़ बोर्ड।

- (घ) इलायची बोर्ड ।
- (ड) तम्बाकू बोर्ड ।

IV. लोप किया गया ।

- 11. लोप किया गया ।

V. भारतीय व्यापार सेवाओं (आईटीएस) का प्रबंध

- 12. भारतीय व्यापार सेवा का संवर्ग प्रबंध और इस सेवा के लिए प्रशिक्षण, वृत्ति योजना और जनशक्ति योजना से संबंधित सभी विषय ।
- 13. भारतीय पूर्ति सेवा का संवर्ग प्रबंध और इस सेवा के लिए प्रशिक्षण, वृत्ति योजना और जन शक्ति योजना से संबंधित सभी विषय ।
- 14. भारतीय निरीक्षण सेवा का संवर्ग प्रबंध और इस सेवा के लिए प्रशिक्षण, वृत्ति योजना और जन शक्ति योजना से संबंधित सभी विषय ।

VI. विशेष आर्थिक परिक्षेत्र

- 15. विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों में विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों और यूनितों के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण से संबंधित सभी मामले, जिनके अंतर्गत निर्यात और आयात नीति, राजवित्तीय व्यवस्था, विनिधान नीति, अन्य आर्थिक नीति और विनियामक ढांचा भी है ।

टिप्पण: वित्तीय प्रभावों वाली सभी राजवित्तीय रियायतों और नीतिगत विषयों पर विनिश्चय आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय) की सहमति से या जिसके न होने पर मंत्रिमंडल के अनुमोदन से किया जाता है ।

VII. निर्यात उत्पाद और उद्योग एवं व्यापार को सुकर बनाना

- 16. निर्यात प्रसंस्करण परिक्षेत्रों/कृषि निर्यात परिक्षेत्रों तथा शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख ईकाइयों की स्थापना ।
- 17. रत्न एवं आभूषण ।
- 18. निर्यात संवर्धन बोर्ड, व्यापार बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सलाहकार समिति से संबंधित मामले ।
- 19. संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों/निर्यात संवर्धन संगठनों से संबंधित मामले ।
- 20. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान और भारतीय पैकेजिंग संस्थान ।
- 21. भारतीय हीरा संस्थान और फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान ।
- 22. निर्यात अवसंरचना के लिए समन्वय ।
- 23. सभी वस्तुओं, उत्पादों, विनिर्माताओं और अर्ध-विनिर्माताओं से संबंधित निर्यात उत्पाद का विकास और विस्तार जिसमें निम्नलिखित भी हैं:
 - (क) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) के अंतर्गत आने वाली कृषि उपज;
 - (ख) समुद्री उत्पाद;
 - (ग) औद्योगिक उत्पाद (इंजीनियरी माल, रसायन, प्लास्टिक, चमड़ा उत्पाद, आदि);

- (घ) ईंधन, खनिज और खनिज उत्पाद;
- (ङ) विनिर्दिष्ट निर्यातोन्मुख उत्पाद (जिनमें बागान उपज, आदि तो आते हैं किन्तु पटसन उत्पाद और हस्तशिल्प नहीं आते हैं जो प्रत्यक्षतः इस विभाग के भारसाधन में हैं)।
24. वे सभी संगठन और संस्थाएं, जो निर्यात उद्यम से संबंधित सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित हैं, जिनमें निम्नलिखित भी है:
- (क) निर्यात साख और निर्यात बीमा जिसमें निर्यात साख और प्रत्याभूति निगम लिमिटेड भी हैं;
- (ख) निर्यात निरीक्षण परिषद; क्वालिटी नियंत्रण सहित मानक;
- (ग) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय;
- (घ) मुक्त व्यापार परिक्षेत्र।
25. निर्यात उद्यमों को प्रोत्साहन और सहायता देने के लिए परियोजनाएं और कार्यक्रम।
- VIII. सहबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय।**
26. विदेश व्यापार महानिदेशालय।
27. लोप किया गया।
28. व्यापार उपचार महानिदेशालय।
29. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय।
- IX. कानूनी निकाय**
30. सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण।
31. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण।
- X. प्रकीर्ण**
32. राष्ट्रीय लोक प्रापण पोर्टल – गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस का विकास, प्रचालन तथा रख-रखाव।
33. संभार तंत्र सेक्टर का एकीकृत विकास।

**ख. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)**

I. औद्योगिक नीति

1. साधारण औद्योगिक नीति ।
2. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) का प्रशासन ।
3. औद्योगिक प्रबंध ।
4. उद्योग में उत्पादकता ।
- 4क. ई-कॉमर्स से संबंधित मामले ।
- 4ख. खुदरा व्यापार सहित आंतरिक व्यापार का संवर्धन ।
- 4ग. व्यापारियों और उनके कर्मचारियों का कल्याण ।
- 4घ. "ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस" को सुकर बनाने संबंधी मामले ।
- 4ङ. स्टार्ट-अप्स से संबंधित मामले ।

II. उद्योग और औद्योगिक तथा तकनीकी विकास

5. सभी उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा सहायता जिनमें किसी अन्य विभाग के अंतर्गत आने वाले उद्योग नहीं आते ।
6. नागर विमानन मंत्रालय तथा रक्षा उत्पादन विभाग के परामर्श से बनाए जाने वाले सिविल वायुयान के उत्पादन के लिए उद्योगों की स्थापना के लिए अनुज्ञप्तियां जारी करना ।
7. केबिल ।
8. हल्के इंजीनियरी उद्योग (उदाहरणार्थ सिलाई मशीनें, टाइपराइटर, तोलने की मशीनें, बाइसिकल आदि) ।
9. हल्के उद्योग (उदाहरणार्थ प्लाईवुड, लेखनसामग्री, दियासलाई, सिगरेट, आदि) ।
10. हल्के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी उद्योग ।
11. अप्रयुक्त फिल्मों ।
12. हार्ड बोर्ड ।
13. कागज और अखबारी कागज ।
14. टायर और ट्यूब ।
15. नमक ।
16. सीमेंट ।
17. सिरेमिक्स, टाइल्स और कांच ।
18. चमड़ा और चमड़ा माल उद्योग ।

19. साबुन और अपमार्जक ।
20. तकनीकी विकास, जिसके अंतर्गत टैरिफ आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन भी है ।
21. औद्योगिक और सेवा परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी और अनिवासी निवेश ।
- 21क. समग्र सरकारी नीतियों के अनुसार नवाचारी विनिधानों और नीतिगत पहलों को शामिल करते हुए भारत में विशेषतया प्रवासी भारतीयों के लिए अनन्य विशेष आर्थिक जोनों जैसे क्षेत्रों में, प्रवासी भारतीयों द्वारा विनिधान का संवर्धन ।
22. विदेशी विनिधान कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ.आई.आई.ए.)।

III. औद्योगिक सहकारिता

23. भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) और तदधीन बनाए गए विनियमों का प्रशासन; केन्द्रीय बायलर बोर्ड ।
24. विस्फोटक-विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) और तदधीन बनाए गए नियमों का प्रशासन, किन्तु विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) का नहीं ।
25. ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 (1952 का 20) ।

IV. उद्योग और औद्योगिक तथा तकनीकी विकास

26. राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद ।
27. इंडियन रबड़ मैनुफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई ।

V. बौद्धिक संपदा अधिकारों (औद्योगिक संपदा) का संरक्षण

28. अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों और कच्ची सामग्री का मानकीकरण ।
29. डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16) ।
30. व्यापार और पण्य चिह्न अधिनियम, 1958 (1958 का 43) ।
31. पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) ।
- 31क. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) से संबंधित मामले जिनमें अन्य संबंधित मंत्रालयों अथवा विभागों के साथ समन्वय भी सम्मिलित है ।
- 31ख. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) और प्रतिलिप्यधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय ।
- 31ग. अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 37)।

VI. सामग्री योजना

32. उत्पादों के विशिष्ट समूहों और उपलब्ध क्षमताओं के संबंध में सेक्टरों, उद्योगों और बड़े एककों द्वारा की गई कच्चे माल की मांगों का समन्वित निर्धारण ।

33. माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 का 48)।
 34. आयात प्रतिस्थापन की साध्यता का सम्यक ध्यान रखते हुए देशी कच्चे माल की उपलब्धता का निर्धारण।
 35. तालिकाओं के लिए सम्यक छूट का ध्यान रखते हुए कच्चे माल के आयात की आवश्यकताओं का निर्धारण।
 36. कच्चे माल के आबंटन के लिए सिद्धांतों, पूर्विकताओं और प्रक्रियाओं का अवधारण।
 37. सामग्री योजना से संबंधित सभी अन्य मामले।
-

संचार मंत्रालय

(MINISTRY OF COMMUNICATIONS)

क. दूरसंचार विभाग

(A. DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

1. तार, टेलीफोन, बेतार, आंकडे, प्रतिकृति संबंधी और टेलीमेटिक सेवाओं के नीति, अनुज्ञापन और समन्वय संबंधी विषय तथा संचार के ऐसे ही अन्य रूप ।
2. दूरसंचार से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिनके अंतर्गत इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (आई.टी.यू.), इसका रेडियो रेगुलेशन बोर्ड (आर.आर.बी.), रेडियो कम्युनिकेशन सेक्टर (आई.टी.यू.-आर), टेलीकम्युनिकेशन स्टेन्डर्डाइजेशन सेक्टर (आई.टी.यू.-टी.), डेवलपमेंट सेक्टर (आई.टी.यू.-डी)] इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सेटलाइट आर्गेनाइजेशन (इंटलसेट)] इंटरनेशनल मोबाइल सेटलाइट आर्गेनाइजेशन (इनमारसैट)] एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिकेशन (ए.पी.टी.) जैसे दूरसंचार के संबंध में कार्रवाई करने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संबंधित मामले भी हैं।
3. दूरसंचार में मानकीकरण, अनुसंधान और विकास का संवर्धन ।
4. दूरसंचार में निजी निवेश का संवर्धन ।
5. दूरसंचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए तथा दूरसंचार कार्यक्रम के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए आर्थिक सहायता जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं:
 - (क) उच्च वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान के लिए संस्थाओं को सहायता, वैज्ञानिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को सहायता; और
 - (ख) शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्तियां और व्यक्तियों को अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति भी हैं जो दूरसंचार के क्षेत्र में अध्ययन के लिए विदेश जा रहे हैं ।
6. दूर-संचार विभाग द्वारा अपेक्षित सामग्री और उपस्कर की उपाप्ति ।
7. दूरसंचार आयोग ।
8. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ।
9. दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण ।
10. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले की बाबत विधि का प्रशासन, अर्थात् :
 - (क) भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13);
 - (ख) भारतीय बेतार-तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17); और
 - (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) ।
11. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ।
12. मैसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड से संबंधित पञ्च विनिधान संबंधी विषय ।
13. भारत संचार निगम लिमिटेड ।

14. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ।
 15. विदेश संचार निगम लिमिटेड और टेलीकम्यूनिकेशंस कंसल्टेंट्स (इन्डिया) लिमिटेड ।
 16. टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) से संबंधित सभी मामले ।
 17. तत्कालीन दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार प्रचालन विभाग से संबंधित अवशिष्ट कार्य, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित से संबंधित विषय भी हैं:
 - (क) समूह 'क' और अन्य प्रवर्गों के कार्मिकों के भारत संचार निगम लिमिटेड में उनके आमेहन तक काडर नियंत्रण कृत्य;
 - (ख) सेवांत प्रसुविधाओं का प्रशासन और संदाय ।
 18. दूरसंचार से संबंधित पूंजीगत बजट के प्रति विकलनीय संक्रमों का निष्पादन और भूमि का क्रय और अर्जन ।
-

ख. डाक विभाग

(B. DEPARTMENT OF POSTS)

1. डाक विभाग के पूंजी बजट के प्रति विकलनीय संकर्मों का निष्पादन, जिसके अंतर्गत भूमि का क्रय भी है।
2. डाक, जिसके अंतर्गत डाकघर बचत बैंक (प्रशासन)] डाकघर प्रमाण-पत्र- (प्रशासन)] डाकघर जीवन-बीमा निधि (प्रशासन)] सार्वजनिक डाक टिकट/डाक स्टेशनरी सहित संस्मारक टिकट, प्रीमियम पोस्टल प्रोडक्ट्स का मुद्रण और कोई अभिकरण कृत्य भी हैं।
3. डाक संचार से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिनके अंतर्गत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन (ए.पी.पी.यू.)] कामनवैल्थ पोस्टल यूनियन जैसे डाक संचार के संबंध में कार्रवाई करने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संबंधित मामले भी हैं।
4. डाकघर द्वारा सभी सेवाओं, जिनके अंतर्गत केबल, रेडियो और उपग्रह संचार चैनलों पर आधारित सेवाएं भी हैं, की पुरःस्थापना, विकास और अनुरक्षण से संबंधित मामले:
बशर्ते कि ये मामले प्रसारण, सीमित प्रसारण, केबल और रेडियो नेटवर्क सेवाओं से संबंधित न हों और भारतीय तार अधिनियम, 1885 और उसके अधीन बनाए गए नियमों से भी शासित न हों, और किसी अन्य विभाग को अनन्य रूप से आबंटित न किए गए हों।
5. इस विभाग को आबंटित कार्यों के क्षेत्र में साध्यता सर्वेक्षण, अनुसंधान और विकास का संवर्धन।
6. भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 और तदधीन बनाए गए नियमों एवं डाक कार्यों से संबंधित अन्य विधियों अथवा अधिनियमितियों जो विशिष्टतया किसी अन्य विभाग को आबंटित न किए गए हों, के प्रशासन से संबंधित मामले।

ग. लोप किया गया ।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION)

क. उपभोक्ता मामले विभाग
(A. DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

1. लोप किया गया ।
2. अंतर्राज्यिक व्यापार: स्परिटयुक्त निर्मिति (अंतर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955 (1955 का 39) ।
3. लोप किया गया ।
4. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) (ऐसी आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय, कीमतें और वितरण, जो किसी अन्य विभाग द्वारा विनिर्दिष्टतः व्यवहृत नहीं किया गया है) ।
5. चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का 7); उसके अधीन निरोध के अध्यक्षीन व्यक्ति ।
6. पैक की हुई वस्तुओं का विनियमन ।
7. विधिक माप-विज्ञान में प्रशिक्षण ।
8. संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1952 (1952 का 12) ।
9. बाट और माप मानक; बाट और माप-मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) ।
10. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) ।
- 10क. विनिर्देशों, मानकों और कूटों को निर्धारित करना तथा अंततोगत्वा प्रयोग के लिए जैव-ईंधनों की क्वालिटी नियंत्रण को सुनिश्चित करना।
11. लोप किया गया ।
12. उपभोक्ता सहकारी समितियां ।
13. आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की मानीटरिंग और उनकी उपलब्धता ।
14. राष्ट्रीय परीक्षण गृह ।
15. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) ।

ख. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(B. DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION)

1. खाद्य से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों और अन्य निकायों अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद, विश्व खाद्य परिषद, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, खाद्य सुरक्षा संबंधी आयोग/समितियों में भाग लेना और लिए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन।
2. विदेशों से संधि और करार करना तथा खाद्यान्नों और अन्य खाद्य पदार्थों में व्यापार एवं वाणिज्य के संबंध में विदेशों से की गई संधियों, करारों और अभिसमयों को कार्यान्वित करना।
3. खाद्यान्नों, जिनमें शर्करा भी है, के भंडारण के लिए गोदामों को भाड़े पर लेना और अर्जित करना तथा खाद्यान्न गोदामों के संनिर्माण के लिए भूमि को पट्टे पर लेना या अर्जित करना।
4. भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम से संबंधित मामले।
5. सिविल आवश्यकताओं के लिए खाद्य-पदार्थों का क्रय और वितरण तथा सेना के लिए भी शर्करा, चावल और गेहूं का क्रय।
6. खाद्यान्नों और अन्य खाद्य-पदार्थों, जिसके अंतर्गत शर्करा भी है, के संबंध में अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य।
7. खाद्यान्नों का व्यापार और वाणिज्य तथा पूर्ति और वितरण।
8. खाद्यान्नों से भिन्न, शर्करा और खाद्य पदार्थों का व्यापार और वाणिज्य तथा उत्पादन, पूर्ति और वितरण।
9. शर्करा, खाद्यान्नों और खाद्य पदार्थों का कीमत नियंत्रण।
10. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
11. जहां तक कि खाद्यान्नों का संबंध है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) और चोर-बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का 7)।
12. वनस्पति, तिलहन, वनस्पति तेलों, खली, वसा और शर्करा (जिसके अंतर्गत शर्करा खांडसारी का विकास भी है) से संबंधित उद्योग।
13. वनस्पति, तिलहन, वनस्पति तेलों, खली, और वसा की कीमतों का नियंत्रण और उनमें अंतर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य और उनकी पूर्ति एवं वितरण।
14. वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय।
15. शर्करा निदेशालय, नई दिल्ली।
16. राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर।
17. राष्ट्रीय शर्करा और गन्ना प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ।
18. शर्करा उद्योग विकास परिषद, नई दिल्ली से संबंधित मामले।
19. अंतर्राष्ट्रीय शर्करा परिषद।
20. शर्करा विकास निधि।

21. शीरा ।
 22. ऐल्कोहल – औद्योगिक और पेय, जिनका आधार शरीर पर हो ।
 23. स्वतंत्र आसवनियां ।
-

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS)

1. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) का प्रशासन ।
2. कंपनी (राष्ट्रीय निधियों में दान) अधिनियम, 1951 (1951 का 54) का प्रशासन ।
3. लोप किया गया ।
4. लोप किया गया ।
5. लेखा-वृत्ति {चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38)}; लागत और संकर्म लेखावृत्ति {लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23)}; कंपनी सचिव वृत्ति {कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56)} ।
6. कंपनियों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण ।
7. भागीदारी विधि के संबंध में विधान और भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अध्याय VII के अधीन केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में कतिपय कृत्यों का निर्वहन । (अधिनियम का प्रशासन राज्य सरकारों में निहित है) ।
8. उपयुक्त मदों में से किसी के बारे में केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों से संबंधित मामलों की बाबत केन्द्र का उत्तरदायित्व ।
9. केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण और कृत्यों के प्रयोग से संबंधित विधान ।
10. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ।
11. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) ।
12. गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय ।
13. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का प्रशासन ।
14. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का प्रशासन ।
15. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण का प्रशासन ।
16. राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का प्रशासन ।
17. निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण का प्रशासन ।
18. भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान ।
19. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ।
20. सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) का प्रशासन ।
21. कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) का प्रशासन ।

संस्कृति मंत्रालय

(MINISTRY OF CULTURE)

1. पुस्तकालय विकास संबंधी नीतिगत मामले ।
2. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता; केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता; केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, नई दिल्ली; रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर; दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली; खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना; राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता; भारत कार्यालय पुस्तकालय, लंदन ।
3. राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ ।
4. राष्ट्रीय पांडुलिपि संरक्षण मिशन ।
5. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली; पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय; ऐतिहासिक और पुरातत्वीय अवशेषों का उत्खनन और खोज ।
6. ऐतिहासिक और पुरातत्वीय अवशेषों के उत्खनन और खोज कार्य के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को अनुदान ।
7. सशस्त्र संघर्ष की दशा में सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय ।
8. स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास ।
9. गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली; नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली; जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक न्यास; मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता; भारतीय युद्ध स्मारक ।
10. ललित कलाओं और अभिनय कलाओं की अभिवृद्धि ।
11. साहित्य अकादमी; ललित कला अकादमी; संगीत नाटक अकादमी ।
12. राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली; भारतीय संग्रहालय, कोलकाता; सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद; इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद; राष्ट्रीय नव कला दीर्घा, नई दिल्ली, मुंबई और बंगलौर; विक्टोरिया स्मारक हाल, कोलकाता; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल; राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता; रत्न और आभूषण संग्रहालय; संग्रहालयों का सामान्य विकास ।
13. राष्ट्रीय कला संरक्षण और संग्रहालय-विज्ञान इतिहास संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली ।
14. भारतीय और विदेशी कला वस्तुओं का अर्जन ।
15. ग्रामीण क्षेत्रों में खुली नाट्यशालाएं और राज्यों की राजधानियों में नाट्यशालाएं ।
16. निर्धनावस्था वाले ऐसे लेखकों और कलाकारों अथवा उनके उत्तरजीवियों, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की स्कीम के अधीन नहीं आते, को वित्तीय सहायता; सांस्कृतिक संगठनों और संस्थाओं को अनुदान; इस विभाग में व्यवहृत विषयों के संबंध में छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्तियां, जिनमें विदेशी सरकारों और विदेशी अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्तियां भी हैं; बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक काम्प्लैक्स स्थापित करने के लिए अनुदान ।
17. पूर्त कार्य और पूर्त संस्थाएं, इस विभाग में व्यवहृत विषयों से संबद्ध पूर्त कार्य और धार्मिक विन्यास ।

18. इस विभाग में व्यवहृत विषयों के संबंध में छात्रवृत्तियां, जिसके अंतर्गत विदेशी सरकारों और विदेशी अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी हैं।
19. दुर्लभ हस्तलेखों का प्रकाशन।
20. परंपरागत संस्कृति और लोकसंस्कृति की सुरक्षा।
21. भारतीय-विदेशी सांस्कृतिक सोसाइटियों को अनुदान।
22. विदेशों के साथ सांस्कृतिक करार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सी.ई.पी.) और मैत्री संधियां।
23. विदेशों से उपहारस्वरूप प्राप्त पुस्तकों का वितरण।
24. विदेशों में सांस्कृतिक अताशियों की नियुक्ति।
25. समर्थित और असमर्थित सांस्कृतिक शिष्टमंडलों, आदि द्वारा भारत का परिदर्शन।
26. विदेश परिदर्शन के लिए सरकार द्वारा समर्थित व्यक्ति (जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक व्याख्याता भी हैं)।
27. विदेशों को पुस्तकें भेंट करना।
28. विदेशों में पुस्तकालयों की स्थापना।
29. भारतीय गौरव ग्रंथों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद।
30. शासकीय प्रकाशनों का विदेशी सरकारों और संस्थाओं के साथ आदान-प्रदान और ऐसे आदान-प्रदान के लिए करार।
31. विदेशों में भारतीय कला वस्तुओं का प्रदर्शन।
32. पुरावस्तुओं का निर्यात।
33. सांस्कृतिक संस्थाओं में विदेशी विद्यार्थियों का प्रवेश।
34. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अधीन कलाकारों, नर्तकों, संगीतज्ञों, आदि का आदान-प्रदान।
35. विदेशों में भारतीय पर्व।
36. गजेटियरों का पुनरीक्षण।
37. महत्वपूर्ण व्यक्तियों की शताब्दियों और वार्षिकोत्सवों और घटनाओं को मनाना।
38. सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली।
39. इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरियंटलिस्ट्स।
40. भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता।
41. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली; गजेटियर्स; एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता।
42. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय।
43. रवीन्द्र रंगशाला।
44. आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र।
45. राष्ट्रीय संस्कृति परिषद।

46. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली ।
47. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली; राष्ट्रीय नाट्यशाला ।
48. राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि ।
49. गांधी शांति पुरस्कार ।
50. केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ; केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह; नव नालन्दा महाविद्यालय, नालन्दा ।
51. कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई ।
52. निम्नलिखित अधिनियमों का कार्यान्वयन और प्रवर्तन, अर्थात्:-
 - (क) भारतीय निखात निधि अधिनियम, 1878 (1878 का 6);
 - (ख) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (1972 का 52);
 - (ग) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958(1958 का 24);
 - (घ) प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (1904 का 7);
 - (ङ) पुस्तक और समाचारपत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 (1954 का 27);
 - (च) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) (जहां तक कि केन्द्रीय सरकार को पुस्तकों और सूची-पत्रों का प्रदाय करने का संबंध है);
 - (छ) लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 (1993 का 69) ।

रक्षा मंत्रालय
(MINISTRY OF DEFENCE)

क. रक्षा विभाग
(A. DEPARTMENT OF DEFENCE)

1. भारत की तथा उसके प्रत्येक भाग की रक्षा, जिसके अंतर्गत रक्षा के लिए तैयारी तथा सारे ऐसे कार्य हैं, जो युद्धकाल में युद्ध को चलाने और उसकी समाप्ति के पश्चात सार्थक रूप से सैन्य-वियोजन में सहायक हों।
2. संघ के सशस्त्र बल अर्थात् थल सेना, नौसेना और वायुसेना।
3. रक्षा मंत्रालय का समेकित मुख्यालय, जिसके अंतर्गत सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय और डिफेंस स्टाफ मुख्यालय हैं।
4. सेना, जलसेना और वायुसेना के रिजर्व।
5. प्रादेशिक थलसेना।
6. राष्ट्रीय कैडेट कोर।
7. सेना, जलसेना और वायुसेना से संबंधित कार्य।
8. रिमाउन्ट, पशु-चिकित्सा और फार्म संगठन।
9. कैण्टीन भंडार विभाग (भारत)।
10. सिविलियन सेवाएं जिनके लिए रक्षा प्राक्कलनों से संदाय किया जाता है।
11. जल-राशि सर्वेक्षण और नौ-परिवहन संबंधी चार्ट तैयार करना।
12. छावनियों का स्थापन, छावनी क्षेत्रों का परिसीमन/आच्छेदन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन, ऐसे क्षेत्रों के अंदर छावनी बोर्डों और प्राधिकरणों का गठन और उनकी शक्तियां तथा ऐसे क्षेत्रों में गृह वासन का विनियमन (जिसके अंतर्गत किराए का नियंत्रण है)।
13. रक्षा प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, अभिरक्षा और त्याग। रक्षा भूमि और संपत्ति से अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली।
14. **लोप किया गया।**
15. रक्षा लेखा विभाग।
16. सैनिक आवश्यकताओं के लिए खाद्य सामग्रियों का क्रय और उनका व्ययन, उनको छोड़कर जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को सौंपे गए हैं।
17. तट रक्षक संगठन से संबंधित सभी मामले, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं:
(क) तेल बिखराव से बचने के लिए सामुद्रिक परिक्षेत्रों की निगरानी;

- (ख) विभिन्न सामुद्रिक परिक्षेत्रों में तेल बिखराव की रोकथाम करना, सिवाय पत्तनों के जल, और अपतट खोज और उत्पादन प्लेटफार्मों, तटीय रिफाइनरियों और सिंगल बॉया मूरिंग (एस.बी.एम.), क्रूड ऑइल टर्मिनल (सी.ओ.टी.) और पाइपलाइनों जैसी संबद्ध सुविधाओं के 500 मीटर के भीतर के जलक्षेत्र के;
- (ग) विभिन्न सामुद्रिक परिक्षेत्रों के तटीय और समुद्रीय पर्यावरण में तेल प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए केन्द्रीय समन्वय अभिकरण;
- (घ) तेल बिखराव संबंधी विभीषिका के लिए राष्ट्रीय आकस्मिक योजना का कार्यान्वयन; और
- (ङ) देश में, तेल बिखराव के निवारण और नियंत्रण, पोतों तथा अपतट प्लेटफार्मों के निरीक्षण का जिम्मा लेना, सिवाय पत्तनों की उन सीमाओं के भीतर, जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) द्वारा सशक्त की गई हैं।
18. देश में गोताखोरी और संबद्ध क्रियाकलापों से संबंधित मामले।
19. केवल रक्षा सेवाओं के लिए उपापन।
20. सीमा सड़क विकास बोर्ड और सीमा सड़क संगठन से संबंधित सभी मामले।
-

ख. रक्षा उत्पादन विभाग

(B. DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION)

1. आर्डनेंस कारखाना बोर्ड और आर्डनेंस कारखाने ।
 2. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ।
 3. भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ।
 4. मझगांव डाक लिमिटेड ।
 5. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ।
 6. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ।
 7. भारत डायनामिक्स लिमिटेड ।
 8. मिश्र धातु निगम लिमिटेड ।
 9. रक्षा गुणवत्ता आश्वासन संगठन, जिनके अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय तथा एरोनॉटिकल गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय भी हैं ।
 10. रक्षा उपकरण तथा सामग्रियों का मानकीकरण, जिसके अंतर्गत मानकीकरण निदेशालय भी है ।
 11. भारत अर्थ मुवर्स लिमिटेड ।
 12. वैमानिकी उद्योग का विकास और उनसे भिन्न उपभोक्ताओं के बीच, जो नागर विमानन मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग से संबंधित है, समन्वय ।
 - 12क. लोप किया गया ।
 13. रक्षा उपस्करों का स्वदेशीकरण, विकास और उत्पादन तथा रक्षा उपस्करों के विनिर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी।
 14. रक्षा निर्यात और रक्षा उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ।
 15. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ।
-

ग. रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग

(C. DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT)

1. विज्ञान और टेक्नालोजी में हो रहे विकास का राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव के बारे में रक्षा मंत्री को जानकारी देना, मूल्यांकन करना और सलाह देना ।
2. रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं तथा अंतः सेना संगठनों को हथियारों, हथियार-प्लेटफार्मों, फौजी कार्रवाइयों, निगरानी, सहायता और सैन्यतंत्र (लाजिस्टिक), संघर्ष के सभी संभावित क्षेत्रों में सभी वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में सलाह देना ।
3. ऐसी प्रौद्योगिकी के अर्जन के बारे में, जिनका भारत में निर्यात विदेशी सरकारों के नियंत्रण के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, संबंधित विदेशी सरकारों के साथ करार लिखितों के संबंध में सभी विषयों पर रक्षा मंत्रालय के नोडल समन्वय अभिकरण के रूप में, विदेश मंत्रालय की सहमति से कृत्य करना ।
4. राष्ट्रीय सुरक्षा से सुसंगत क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान और डिजाइन, विकास, परीक्षण और मूल्यांकन के कार्यक्रम तैयार करना और उनका निष्पादन करना ।
5. विभाग के अभिकरणों, प्रयोगशालाओं, स्थापनों, रेजों, प्रसुविधाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का निर्देशन और प्रशासन ।
6. वैमानिकी विकास अभिकरण ।
7. सैनिक विमानों, उनके उपकरण और यान सामग्रियों की उड़ान अनुकूलता डिजाइन के प्रमाणीकरण से संबंधित सभी विषय ।
8. विभाग की कार्यवाहियों से सृजित तकनीक के परीक्षण और अंतरण से संबंधित सभी विषय।
9. रक्षा मंत्रालय द्वारा अर्जित किए जाने के लिए प्रस्थापित सभी हथियार प्रणालियों और संबंधित तकनीकों के अर्जन और मूल्यांकन कार्रवाइयों का वैज्ञानिक विश्लेषण, समर्थन तथा उनमें भाग लेना ।
10. सशस्त्र सेवाओं के लिए उपकरण और सामग्रियों का विनिर्माण कर रहे या विनिर्माण करने की प्रस्थापना कर रहे उत्पादन एककों और उपक्रमों द्वारा तकनीक के आयात के तकनीकी और बौद्धिक ज्ञान गुणधर्म के पहलुओं के बारे में सलाह देना ।
11. पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 35 के अधीन किए गए संदर्भ का निपटारा ।
12. राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहलुओं की बाबत अध्ययन और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए व्यक्तियों, संस्थाओं और निगमित निकायों को वित्तीय तथा अन्य सामग्री संबंधी सहायता ।
13. राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में विदेश मंत्रालय के परामर्श से, सभी विषय जिसमें निम्नलिखित भी हैं:
 - (क) अन्य देशों के अनुसंधान संगठनों, और अंतर-सरकारी अभिकरणों, विशेष रूप से उनसे संबंधित, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी पहलुओं से संबंधित हैं, संबंधों की बाबत विषय;

- ख) विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारतीय वैज्ञानिक और तकनीकविदों को विदेशी छात्रवृत्तियों और प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए विदेशों में विश्वविद्यालयों, शैक्षिक और अनुसंधान उद्देश्य-जन्य संस्थाओं या निगमित निकायों के साथ व्यवस्था करना ।
14. विभाग के बजट के नामेखाते संकर्मों का निष्पादन और भूमि का क्रय ।
 15. विभाग के नियंत्रण के अधीन कार्मिकों संबंधी सभी विषय ।
 16. विभाग के बजट के नामेखाते सभी प्रकार की सामग्रियों, उपकरणों और सेवाओं का अर्जन ।
 17. विभाग से संबंधित वित्तीय मंजूरियां ।
 18. भारत सरकार के किसी अन्य ऐसे मंत्रालय, विभाग, अभिकरण के साथ, जिनके कार्यों का राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं पर प्रभाव है, करारों या व्यवस्थाओं के माध्यम से विभाग को सौंपे गए और विभाग द्वारा स्वीकार किए गए कोई अन्य कार्य ।
-

घ. पूर्व सेनानी कल्याण विभाग

(D. DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE)

1. सशस्त्र सेना सेवा-निवृत्त सैनिकों (पूर्व सेनानियों), जिसके अंतर्गत पेंशनभोगी भी हैं, से संबंधित मामले ।
2. सशस्त्र सेना सेवा-निवृत्त सैनिक (पूर्व सेनानी) अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम ।
3. पुनर्वास महानिदेशालय और केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से संबंधित मामले ।
4. निम्नलिखित का प्रशासन-
 - (क) सेना पेंशन विनियम, 1961 (भाग I और भाग II);
 - (ख) वायुसेना पेंशन विनियम, 1961 (भाग I और भाग II);
 - (ग) नौसेना (पेंशन) विनियम, 1964; और
 - (घ) सशस्त्र बल कार्मिक दुर्घटना पेंशनिक अधिनिर्णय विषयक हकदारी नियम, 1982 ।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

(MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION)

1. उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विकास संबंधी योजनाओं और परियोजनाओं, जिनके अंतर्गत विद्युत, सिंचाई, सड़क और संचार के क्षेत्र भी हैं, की आयोजना, कार्यान्वयन और मानीटरी से संबंधित मामले।
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम।
3. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए गैर-व्यपगत निधि।
4. नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल।
5. नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (एन.ई.डी.एफ.आई.)।
6. नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एन.ई.आर.ए.एम.सी.)।
7. दि सिक्किम माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड।
8. उत्तर-पूर्वी हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम (एन.ई.एच.एच.डी.सी.) शिलांग।
9. उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः वित्त-पोषित सड़क संकर्म।
10. उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सड़क और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन की योजना।

टिप्पण: जबकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विकास और कल्याण गतिविधियों से मुख्यतः संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय करेगा, संबंधित मंत्रालय/विभाग उन्हें आबंटित विषयों के संबंध में उत्तरदायी होंगे।

लोप किया गया ।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

(MINISTRY OF EARTH SCIENCES)

1. पृथ्वी आयोग और उससे संबंधित सभी विषय ।
2. (क) (i) महासागर, वातावरण और मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान और ठोस पृथ्वी, ध्रुवीय विज्ञान और पृथ्वी प्रणाली विज्ञान से संबंधित नीति, समन्वय और स्कीमों से संबंधित ऐसे विषय जो किसी अन्य विभाग या मंत्रालय को विनिर्दिष्टतया आबंटित नहीं किए गए हैं;
(ii) पृथ्वी प्रणाली विज्ञान से संबंधित अनुसंधान (मूल अनुसंधान सहित) और उससे संबंधित उपयोगों का विकास;
(iii) प्रौद्योगिकी विकास;
(iv) सजीव और निर्जीव समुद्री संसाधनों का मानचित्रांकन करने, उनकी उपलब्धता का पता लगाने और उनका मूल्यांकन करने के लिए सर्वेक्षण;
(v) समुद्री और ध्रुवीय संसाधनों का परिरक्षण, संरक्षा और संरक्षण;
(vi) समुचित कौशल और जनशक्ति का विकास;
(vii) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहकारिता ।
(ख) उपर्युक्त से संबंधित विधियां और विनियामक उपाय ।
3. खुले समुद्र में समुद्री पर्यावरण ।
4. पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ईएसएसओ) ।
5. पृथ्वी प्रणाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी अभिकरण या बोर्ड ।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY)

1. सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतिगत मामले; इलेक्ट्रॉनिक्स; और इंटरनेट (इंटरनेट सेवा प्रदाता के अनुज्ञापन से भिन्न सभी मामले)।
2. इंटरनेट, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाओं का संवर्धन।
- 2क. अंकीय संव्यवहारों की अभिवृद्धि जिसके अंतर्गत अंकीय संदाय भी हैं।
3. ई-शासन, ई-कामर्स, ई-मेडीसिन, ई-इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि के संवर्धन में अन्य विभागों की सहायता।
4. सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा का संवर्धन।
5. साइबर कानूनों से संबंधित मामले, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कानून का प्रशासन।
6. देश में सेमी-कंडक्टर डिवाइसिस के संवर्धन और विनिर्माण संबंधी मामले, सेमीकंडक्टर कम्प्लेक्स लिमिटेड (एससीएल), मोहाली से संबंधित सभी मामलों को छोड़कर।
7. अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों और निकायों अर्थात् इंटरनेट फॉर बिजनेस लिमिटेड (आईएफबी), इंस्टीट्यूट फॉर एज्यूकेशन इन इनफोर्मेशन सोसाइटी (आईबीआई) और इंटरनेशनल कोड काउंसिल-ऑन लाइन (आईसीसी) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी विषयक मामलों में पारस्परिक क्रिया।
8. डिजिटल डिवाइड पाटने के संबंध में पहल: डिजिटल इंडिया कारपोरेशन से संबंधित मामले।
9. सूचना प्रौद्योगिकी में मानकीकरण, परीक्षण और क्वालिटी का संवर्धन तथा सूचना प्रौद्योगिकी उपयोजन प्रक्रिया का मानकीकरण और कार्य।
10. इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट एण्ड कम्प्यूटर साफ्टवेयर प्रमोशन काउंसिल (ईएससी)।
11. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी)।
12. ज्ञान आधारित उद्यमों सहित हार्डवेयर/साफ्टवेयर उद्योग के विकास के लिए पहल, सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातों तथा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता का संवर्धन करने के लिए उपाय।
13. इस विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिक संबंधी सभी मामले।
14. भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE)

1. पर्यावरण और परिस्थिति, विज्ञान, जिसमें तटीय समुद्र मेनग्रोवों और प्रवाल भित्तियों का पर्यावरण शामिल है, लेकिन खुले सागर में समुद्री पर्यावरण शामिल नहीं है।
2. पर्यावरण अनुसंधान और विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना और जागरूकता।
3. पर्यावरणीय स्वास्थ्य।
4. पर्यावरणीय संघात निर्धारण।
5. संरक्षण, प्रबंध और वनरोपण के लिए वन विकास अभिकरण तथा संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रम।
6. प्राकृतिक संसाधनों, विशिष्टतया वन, वनस्पति, जीवजन्तु, पारिस्थितिकी-प्रणालियों, आदि का सर्वेक्षण और अन्वेषण।
7. जैव-विविधता संरक्षण, जिसके अंतर्गत इसके झील और छम्ब क्षेत्र (वेटलैण्ड) भी है।
8. लोप किया गया।
- 8क. लोप किया गया।
9. वन्य जीव संरक्षण, परिरक्षण/संरक्षण योजना, अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और ज्ञान, जिसके अंतर्गत परियोजना बाघ तथा परियोजना हाथी भी है।
10. पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीवों से संबंधित विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता।
11. भारतीय वनस्पति-विज्ञान सर्वेक्षण तथा वनस्पति-विज्ञान गार्डन।
12. भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण।
13. प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय।
14. जीव मंडल रिजर्व कार्यक्रम।
15. राष्ट्रीय वन नीति और देश में सामाजिक वानिकी सहित वानिकी विकास।
16. संघ राज्य-क्षेत्रों में वन और वन प्रशासन से संबंधित सभी मामले।
17. भारतीय वन सेवा।
18. वन्य जंतुओं का परिरक्षण तथा वन्य पक्षियों और जीव जंतुओं का संरक्षण।
19. मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान तथा प्रशिक्षण, जिसके अंतर्गत वानिकी में उच्च शिक्षा भी है।
20. पदमाजा नायडू हिमालयन प्राणि-विज्ञान पार्क।
21. वानिकी विकास स्कीमों को वित्तीय सहायता।
22. भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर।
23. वन-रोपण और पारिस्थितिकी विकास, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय वन-रोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड भी होगा।
- 23क. वनों, बंजरभूमियों में जैव-ईंधन पौधारोपण और जैव-ईंधनों से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे।

24. मरूस्थल और मरूस्थलीकरण ।
25. भारतीय वन सर्वेक्षण ।
26. भारतीय जैव-विविधता संस्थान, ईटानगर ।
27. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।
28. जी.बी. पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान ।
29. भारतीय वन्य जीव संस्थान और भारतीय वन्य जीव बोर्ड ।
30. भारतीय वन प्रबंध संस्थान ।
31. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय प्राणी उद्यान भी है ।
32. भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ।
33. अंडमान और निकोबार द्वीप वन और वन-रोपण विकास निगम लिमिटेड ।
34. लोप किया गया ।
35. लोप किया गया ।
36. लोप किया गया ।
- 36क. जलवायु परिवर्तन और उससे संबंधित अन्य सभी मामले ।
37. लोप किया गया ।
38. लोप किया गया ।
39. लोप किया गया ।
40. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) ।
41. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 (1977 का 36) ।
42. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) ।
43. भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) ।
44. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) ।
45. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) ।
46. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) ।
47. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) ।
48. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) ।

टिप्पण:-पर्यावरण और वन मंत्रालय वन के संबंध में समग्र नीति के लिए उत्तरदायी होगा, उन सभी मामलों और तत्संबंधी विधान को छोड़कर जो वन भूमि पर वनवासी अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों से संबंधित हैं ।

विदेश मंत्रालय

(MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS)

1. वैदेशिक मामले ।
2. विदेशी राज्यों एवं राष्ट्रमंडल देशों के साथ संबंध ।
3. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ।
4. भारत में विदेशी राजनयिक और कौंसलीय अधिकारियों और संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों और उसके विशेषज्ञता प्राप्त अभिकरणों से संबंधित सभी मामले ।
5. पासपोर्ट और वीजा, जिनके अंतर्गत भारत में प्रवेश के लिये वीजाओं का प्रदान या पृष्ठांकन करना नहीं आता, किन्तु इसके अंतर्गत व्यतिकार (दक्षिण अफ्रीका) नियम, 1944 के अधीन अभारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकियों को प्रवेश अनुज्ञा-पत्रों का प्रदान करना और, मिशनरियों को छोड़कर, श्रीलंका के राष्ट्रियों के लिए प्रवेश वीजाओं का प्रदान करना आता है ।
6. अपराधियों और अभियुक्त व्यक्तियों का भारत से विदेशों और राष्ट्रमंडल देशों को और विदेशों और राष्ट्रमण्डल देशों से भारत को प्रत्यर्पण तथा प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) का साधारण प्रशासन और राज्य-क्षेत्रातीतता ।
7. वैदेशिक तथा राष्ट्रमंडल मामलों से संबंधित राज्य कारणों से भारत में निवारक निरोध ।
8. विदेशों और राष्ट्रमंडल राज्यों के राष्ट्रियों का भारत से संप्रत्यावर्तन और विदेशों और राष्ट्रमंडल देशों के भारतीय राष्ट्रियों का भारत को विवासन और संप्रत्यावर्तन ।
9. दक्षिण अफ्रीका संघ या अन्य किसी देश से, जिस पर व्यतिकार अधिनियम, 1943 (1943 का 9) लागू होता हो, भारत में आप्रवासन ।
10. सभी कौंसलीय कृत्य ।
11. भारत से चीन के तिब्बत क्षेत्र में जाने वाले सभी व्यापारियों और तीर्थ-यात्रियों की यात्रा का प्रबंध ।
12. विभिन्न स्कीमों के अधीन विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति, जिसके अंतर्गत भारत में अध्ययन के लिए अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के छात्रों को छात्रवृत्ति भी सम्मिलित है ।
13. विदेशी शरणार्थियों को तथा जिन लोगों ने विदेशों में सेवाएं की हैं उनके वंशजों को दी जाने वाली राजनीतिक पेंशनें ।
14. विदेशी तथा राष्ट्रमंडलीय अतिथियों एवं राजनयिक और कॉउन्सिलीय प्रतिनिधियों से संबंधित समारोह कार्य ।
15. फ्रांस और पुर्तगाल के साथ संबंधों के संदर्भ में पांडिचेरी, गोवा, दमन और दीव विषयक मामले ।
16. भारत के साथ विशेष संधि-संबंधों वाले राज्यों जैसे भूटान के साथ संबंध ।
17. हिमालय अभियान; ऐसे संरक्षित क्षेत्रों, जिनका संबंध गृह मंत्रालय से है, से भिन्न, संरक्षित क्षेत्रों में यात्रा करने के लिए विदेशियों को अनुज्ञा ।
18. संयुक्त राष्ट्र, विशेषता प्राप्त-अभिकरण और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन ।
19. भारतीय विदेश सेवा ।

20. भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' ।
21. विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थान ।
22. देश बाह्य प्रचार जिसके अंतर्गत प्रवासी भारतीय मामलों से संबन्धित देश बाह्य प्रचार भी सम्मिलित है।
23. विदेशों और राष्ट्रमंडल देशों के साथ राजनीतिक संधियां, करार और अभिसमय ।
24. (क) भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं और भारतीय तीर्थयात्री पोत नियम, 1933 तथा भारत से पाकिस्तान स्थित धर्म-स्थानों को और पाकिस्तान से भारत स्थित धर्म-स्थानों को आने-जाने वाले तीर्थ यात्रीदल जिसमें हज समिति अधिनियम, 1959 (1959 का 51) तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों का प्रशासन सम्मिलित नहीं है ।
(ख) 1955 के पंत-मिर्जा करार के निर्बंधनों के अनुसार, पाकिस्तान के गैर-मुस्लिम धर्म-स्थानों और भारत में मुस्लिम धर्म-स्थानों का संरक्षण और परिरक्षण ।
25. अपहृत व्यक्ति (प्रत्युद्धरण और प्रत्यावर्तन) ।
26. लोप किया गया ।
27. बर्मा, मलाया, आदि से निष्क्रांतों को 1942-47 के दौरान दिए गए उधारों की वसूली तथा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जिन शरणार्थियों को भारत में शरण दी गई थी उनसे संबंधित अवशिष्ट कार्य।
28. युद्ध की स्थिति के प्रारंभ अथवा समाप्त होने के बारे में अधिसूचना ।
29. वैदेशिक अधिकारिता ।
30. भारत सरकार का आतिथ्य अनुदान ।
31. भारत के भू-सीमान्तों का सीमांकन ।
32. भारत की भू-सीमाओं पर सीमा छापे और घटनाएं ।
33. भारत से होकर जाने वाले विदेशी, सिविल और सैनिक वायुयानों की गैर-अनुसूचित चार्टर उड़ानों के लिए राजनयिक उड़ान निर्बाधन ।
34. समुद्र विधि, जिसके अंतर्गत भारतीय राज्यक्षेत्रीय समुद्र, संलग्न क्षेत्र महाद्वीपीय मग्नतट भूमि तथा अनन्य आर्थिक परिक्षेत्र (अ.आ.प.) से संबंधित मामले, खुले समुद्रों के संबंध में उत्पन्न होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रश्न, जिसके अंतर्गत मछली पकड़ने के अधिकार भी हैं; खुले समुद्रों या आकाश में किए गए जल दस्युताओं और अपराधों; स्थल या खुले समुद्रों अथवा आकाश में किए गए संप्रभुता संपन्न राज्यों की विधि के विरुद्ध अपराध; अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सतह क्षेत्र तथा प्राधिकरण से संबंधित विधिक मामले ।
35. कोलम्बो योजना के अधीन भारत द्वारा नेपाल की सरकार को सहकारी आर्थिक विकास के लिए दी गई आर्थिक और तकनीकी सहायता ।
- 35क. कोलम्बो योजना की तकनीकी सहकारिता स्कीम के अधीन भारत द्वारा प्राप्त की गई तकनीकी और आर्थिक सहायता।
- 35ख. कोलम्बो योजना की तकनीकी सहकारिता स्कीम के अधीन कोलम्बो योजना के सदस्य देशों को भारत

द्वारा दी गई तकनीकी सहायता।

- 35ग. कोलम्बो योजना परिषद और योजना की परामर्शदात्री समिति के अधिवेशनों से संबंधित सभी मामले।
36. जिन स्टोरों का क्रय, निरीक्षण और उन्हें रवाना करने का कार्य किसी साधारण या किसी असाधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्य प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित किया गया है, उनसे भिन्न स्टोरों का विदेश से केन्द्रीय सरकार के लिए क्रय, निरीक्षण और रवाना करने का कार्य।
37. नेपाल, भूटान और बंगलादेश को ऋण के अनुदान और पावनों से संबंधित सभी मामले।
38. विशेष राष्ट्रमण्डलीय अफ्रीकन सहायता योजना कार्यक्रम के अधीन अफ्रीकन देशों को भारत द्वारा दी गई तकनीकी सहायता।
- टिप्पण: राष्ट्रमण्डल देशों में उनके अंतर्गत ब्रिटिश उपनिवेश, संरक्षित राज, और न्यास राज्यक्षेत्र आते हैं।
39. मानव अधिकार:
- (क) विदेश में मानव अधिकार संगठनों से पारस्परिक प्रभाव;
- (ख) अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं, संधियां, अभिसमय और सम्मेलन; संयुक्त राष्ट्र और उसके अन्य विशिष्ट अभिकरणों और संगठनों से प्राप्त निर्देश;
- (ग) संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, जिनका भारत एक पक्षकार राज्य है, के अधीन अपेक्षित रिपोर्टिंग दायित्वों का, संबद्ध मंत्रालयों के समन्वय से कार्यान्वयन।
- टिप्पण: इन कृत्यों का प्रयोग विदेश मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय के निकट समन्वय से किया जाएगा, जो कि नीति और मानवाधिकारों से संबंधित सभी मामलों के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय होगा।
40. **लोप किया गया।**
41. भारतीय विश्व कार्य परिषद।
42. प्रवासी भारतीयों से संबंधित सभी मामले जिनमें भारतीय मूल के व्यक्ति और अनिवासी भारतीय समाविष्ट हैं, उन प्रविष्टियों को छोड़कर जो विनिर्दिष्टतः अन्य विभागों को आबंटित की गई हैं।
43. उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) के अधीन भारत से प्रवासी देशों को होने वाला संपूर्ण उत्प्रवास और उत्प्रवासियों की वापसी।
44. प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों और प्रवासी भारतीय केन्द्र से संबंधित मामले।
45. भारत में प्रवासी भारतीय स्वयंसेवकों के लिए कार्यक्रमों से संबंधित मामले।
46. ऐसे देशों, जहां प्रवासी भारतीयों की गहन आबादी है, में प्रवासी भारतीय कार्य केन्द्रों की स्थापना और उनका प्रशासन।
47. भारतीय मूल के व्यक्तियों व अनिवासी भारतीयों को रोजगार सहायता संबंधी नीति, जिसमें सरकारी सेवा में आरक्षण सम्मिलित नहीं है।
48. मानव संसाधन विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय से परामर्श करके, भारत में ऐसी विभिन्न शैक्षिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संस्थाओं, जहां अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के छात्रों के लिए विवेकाधीन कोटा विद्यमान

है, में अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के छात्रों के प्रवेश से संबंधित सूचना एकत्र करना और उसका प्रचार-प्रसार करना।

49. प्रवासी भारतीय समुदाय और भारत के मध्य सुदृढ़ संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए विपणन और संचार कार्यनीतियों का विकास।
50. आर्थिक कार्य विभाग से परामर्श करके सरकारी और मूल संगठनों को अनिवासी भारतीयों व भारतीय मूल के व्यक्तियों के योगदान संबंधी मामले।
51. प्रवासी भारतीयों से संबंधित मामलों पर राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश तथा उनसे सहयोग और समन्वय।
52. श्रम और रोजगार मंत्रालय की सहमति से विदेशों में कुशल जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थाओं की स्थापना।
53. व्यापार, संस्कृति, पर्यटन, मीडिया, युवा मामले, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करके भारत के साथ प्रवासी भारतीयों की अंतःक्रिया के लिए नई पहलें।
54. नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 7ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग।
55. राशीकरण करारों संबंधी कार्य, प्रवासी भारतीयों का संरक्षण और कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा के संदाय से छूटा टिप्पण: सभी संबंधित मंत्रालयों द्वारा किए जाने वाले प्रवासी भारतीयों संबंधी सभी कार्यों, जैसे पीआईओ कार्ड स्कीम, दोहरी नागरिकता संबंधी मुद्दे, प्रवासी भारतीयों के गैर सरकारी संगठनों के विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम संबंधी मामलों, में विदेश मंत्रालय से परामर्श करना होगा। इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक प्रवासी भारतीयों के निक्षेपों को नियंत्रित करने वाली नीतियां और स्कीमें तैयार करने के दौरान विदेश मंत्रालय से परामर्श करेगा।

वित्त मंत्रालय

(MINISTRY OF FINANCE)

क. आर्थिक कार्य विभाग (A. DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

I. विदेशी मुद्रा प्रबंध

1. (क) राजस्व विभाग के अधीन वर्णित प्रवर्तन कार्य से भिन्न, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) का प्रशासन।
(ख) लोप किया गया।
2. रूपए की विनिमय दर संबंधी नीति।
3. विदेशी मुद्रा स्रोतों का प्रबंधन, जिसमें विदेशी मुद्रा की दृष्टि से आयातों की प्रस्थापनाओं की संवीक्षा भी सम्मिलित है।
4. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सुपुर्द किए गए कृत्यों को छोड़कर विदेशी और अनिवासी भारतीय निवेश।
5. भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी विनिधान।
6. विदेशों से वाणिज्यिक उधार लेने संबंधी मामले, जिसमें उसके निबंधन और शर्तें भी सम्मिलित हैं।
7. स्वर्ण और चांदी संबंधी मामले।
8. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रियों, राज्य विधान मंडलों/संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों और राज्य सरकार के अधिकारियों की विदेश यात्रा के लिए अनुमोदन।
9. विदेशी ऋण का प्रबंध।

II. आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता

10. निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले :
 - (क) भारत विकास फोरम;
 - (ख) विदेशी राष्ट्रों, विशेष अभिकरणों, गैर-सरकारी बुनियादी अभिकरणों और स्वैच्छिक निकायों से ऋण, उधार और अनुदान;
 - (ग) बहु-पक्षीय अभिकरणों से ऋण, उधार और अनुदान;
 - (घ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निकासियां और उधार;
 - (ङ) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से प्राइवेट सेक्टर वित्तपोषण संबंधी नीति।
11. निम्नलिखित के अधीन भारत द्वारा प्राप्त तकनीकी और आर्थिक सहायता :
 - (क) लोप किया गया।
 - (ख) संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता प्रशासन कार्यक्रम;
 - (ग) विभिन्न विदेशी राष्ट्रों, विशेष अभिकरणों, गैर-सरकारी निकायों से तकनीकी सहायता के तदर्थ प्रस्ताव;
 - (घ) संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय।

12. लोप किया गया।
13. लोप किया गया।
14. नेपाल, भूटान और बंगलादेश को छोड़कर, अन्य देशों को भारत सरकार द्वारा दिए गए उधारों से संबंधित सभी मामले।
15. विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों से भारत को प्राप्त होने वाली या उनको दी जाने वाली तकनीकी सहायता, उनके सिवाय जिनका संबंध किसी अन्य विभाग को आबंटित विषयों से हो।
16. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) से संबंधित सभी मामले, जिनमें ऐसे कार्यक्रम या परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं जिन्हें यू.एन.डी.पी. बजट से निधि प्रदान की गई है।
17. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.)।
18. यूनाइटेड नेशन्स फण्ड फार पोपुलेशन एक्टिविटीज (यू.एन.एफ.पी.ए.) से संबंधित और संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरणों तथा राष्ट्र संघ के अन्य निकायों के अंशदानों से संबंधित नीति संबंधी मामले।
19. देश में आने वाले संयुक्त राष्ट्र के स्वयंसेवकों सहित भारत में विदेशी स्वयंसेवक कार्यक्रमों से संबंधित सभी मामले किन्तु इसमें संयुक्त राष्ट्र के स्वयंसेवकों के अंतर्गत प्रवासी भारतीय स्वयंसेवक तथा बहिर्गामी स्वयंसेवकों के लिए भारत में किये जाने वाले कार्यक्रम सम्मिलित नहीं हैं।
20. संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों द्वारा सभी वित्तपोषण।
21. राष्ट्र मंडल तकनीकी सहकारिता निधि (सी.एफ.टी.सी.)

III. घरेलू वित्त

22. निम्नलिखित से संबंधित सभी विषय:
 - (क) करेंसी और सिक्का निर्माण, जिसके अंतर्गत उसका डिजाइन भी है;
 - (ख) प्रतिभूति और करेंसी मुद्रण करने वाले मुद्रणालय, सिक्क्यूरीटी पेपर मिलें और टकसालें, इसके अंतर्गत परख विभाग और चांदी परिष्करण, सोना परिष्करण और स्वर्ण संग्रहण -सह-परिदान केन्द्र भी हैं;
 - (ग) करेंसी नोट कागज, करेंसी और बैंक नोट तथा सिक्के, जिसके अंतर्गत स्मारक संबंधी सिक्के भी हैं, डाक लेखन-सामग्री, स्टाम्प और विभिन्न प्रतिभूति प्ररूपों/मदों का उत्पादन और पूर्ति।
23. (क) प्रतिभूति बाजार और विनिधानकर्ता संरक्षण के विनियमन और विकास के लिए नीतिगत उपाय।
 (ख) पूंजी बाजार से साधन जुटाने के लिए नए विनिधान और प्रतिभूतियां। विनिधान नीति, जिसके अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम की विनिधान नीति भी हैं।
 (ग) अग्रिम संविदा और वायदा बाजार आयोग से संबंधित मामले।
24. कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य वैसी ही भविष्य निधियों के विनिधान पैटर्न।
25. लोप किया गया।
26. कर मुक्त बाँड संबंधी सभी मामले।

IV. बजट

27. अर्थोपाय ।
28. केन्द्रीय बजट, जिसमें अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान भी हैं, तैयार करना और जब किसी राज्य अथवा राज्य क्षेत्र के संबंध में सांविधानिक तंत्र की विफलता के बारे में राष्ट्रपति की उदघोषणा प्रवर्तनशील हो, तो ऐसे राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र का बजट तैयार करना ।
29. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त संस्थानों के बाजार उधार कार्यक्रम ।
30. केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार ऋण का लिया जाना और खजाना हुंडियों का निर्गमन और उन्मोचन ।
31. लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) का प्रशासन ।
32. केन्द्रीय सरकार के उधार लेने और ऋण देने के संबंध में ब्याज दरों का नियत किया जाना ।
33. लेखा और लेखा परीक्षण प्रक्रिया विषयक नीति, जिसके अंतर्गत संव्यवहारों का वर्गीकरण भी है ।
34. राज्यों के विभाजन, फेडरल वित्तीय एकीकरण और पुनर्गठन संबंधी वित्तीय मामले ।
35. भारतीय आकस्मिकता निधि और भारतीय आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (1950 का 49) का प्रशासन ।
36. केन्द्रीय सरकार की बजट संबंधी स्थिति की मानीटरिंग ।
37. स्टर्लिंग पेंशन - यू.के. सरकार के उत्तरदायित्व का अंतरण और अंतर्ग्रस्त दायित्व की वास्तविक गणना ।
38. लोक भविष्य निधि स्कीम ।
39. वित्त आयोग ।
40. पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं के स्रोत ।
41. केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय निक्षेप स्कीम, विशेष निक्षेप स्कीमें, अनिवार्य निक्षेप स्कीमें और अन्य निक्षेप स्कीमें ।
42. लघु बचतें, जिनके अंतर्गत राष्ट्रीय बचत संस्थान का प्रशासन भी है ।
43. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां ।
44. संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन संसद के समक्ष लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पेश करना ।
45. वित्तीय आपात ।
46. सरकारी गारंटियां ।
47. भारतीय पूर्त विन्यास कोषाध्यक्ष के कृत्य ।
- 47क. राष्ट्रीय विनिधान निधि में प्राप्त हुए विनिवेश आगमों के उपयोग की प्रणाली की बाबत में वित्तीय नीति ।
- 47ख. केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि।

V. लोप किया गया ।

- 48-51. लोप किया गया ।

VI. लोप किया गया ।

52-78. लोप किया गया ।

VII. भारतीय आर्थिक सेवा प्रबंध

79. भारतीय आर्थिक सेवा प्रबंध- उसका काडर और उससे संबंधित सभी मामले ।

VIII. आर्थिक सलाह

80. उन मामलों पर सलाह, जो आर्थिक प्रबंध, जिसके अंतर्गत मूल्य भी हैं, के आंतरिक और बाह्य पहलुओं से संबंधित हैं ।

81. ऋण, राज-वित्त और मुद्रा संबंधी नीतियां ।

81क. लोप किया गया ।

81ख. लोप किया गया ।

IX. प्रकीर्ण अधिनियम

82. सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) ।

83. भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 20, जो विनिधानों का संव्यवहार करती है ।

84. धातु सिक्का अधिनियम, 1889 (1889 का 1) ।

85. पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) ।

86. भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) ।

87. भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 1920 (1920 का 10) ।

88. करेंसी अध्यादेश, 1940 (1940 का 4) ।

89. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक अधिनियम, 1945 (1945 का 00) ।

90. वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) ।

91. सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) ।

92. अनिवार्य निक्षेप स्कीम अधिनियम, 1963 (1963 का 21) ।

93. लोप किया गया ।

94. वैध निविदा (अंतरलिखित नोट) अधिनियम, 1964 (1964 का 28) ।

95. एशियाई विकास बैंक अधिनियम, 1966 (1966 का 18) ।

96. लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23) ।

97. छोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम, 1971 (1971 का 52) ।

98. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का 56) ।

99. अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 (1974 का 37) ।

100. अफ्रीकी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 1)।
 101. अफ्रीकी विकास बैंक अधिनियम, 1983 (1983 का 13)।
 102. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15)।
 103. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) का प्रशासन।
 104. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22)।
 105. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (प्रास्थिति, उन्मुक्ति तथा विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 (1958 का 42)।
 106. वायदा व्यापार का नियंत्रण: अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74)।
 107. लोप किया गया।
-

ख. व्यय विभाग

(B. DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

1. वित्तीय नियम और विनियम और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और कार्यालयों से संबंधित वित्तीय मंजूरियां, जो नियमों द्वारा या किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों द्वारा प्रत्यायोजित या प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत नहीं आती हैं।
3. मितव्ययिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, सरकारी स्थापनाओं के कर्मचारीवृन्द की संख्या का पुनर्विलोकन।
4. लागत-लेखा विषयों पर मंत्रालयों और सरकारी उपक्रमों को सलाह और उनकी ओर से लागत अन्वेषण कार्य करना।
5. भारतीय लेखा - परीक्षा और लेखा विभाग।
6. लेखा महानियंत्रक से संबंधित मामले जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - (क) संघ अथवा राज्य सरकारों से संबंधित सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धांत और लेखा-प्रारूप तथा उनसे संबंधित नियम और नियम-पुस्तिकाओं का निर्माण अथवा संशोधन करना;
 - (ख) रिजर्व बैंक के पास संघ सरकार के रोकड़ अतिशेष का, सामान्य रूप से, और सिविल मंत्रालयों अथवा विभागों से संबंधित रिजर्व निक्षेपों का, विशेष रूप से समाधान;
 - (ग) केन्द्रीय सिविल लेखा कार्यालयों द्वारा लेखाकरण के समुचित मानकों के प्रतिपालन का निरीक्षण;
 - (घ) मासिक लेखों का समेकन, राजस्व वसूली की प्रवृत्तियों तथा व्यय इत्यादि के महत्वपूर्ण लक्षणों की समीक्षा तैयार करना तथा संघ सरकार के मामलों में वार्षिक प्राप्तियों और संवितरणों को अपने-अपने शीर्षों के अंतर्गत दर्शाते हुए वार्षिक लेखे (सारांश, सिविल विनियोजन लेखों सहित) तैयार करना;
 - (ङ) केन्द्रीय खजाना नियमों और केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्ति और संदाय नियम, 1983) का प्रशासन;
 - (च) सिविल मंत्रालयों अथवा विभागों में प्रबंध लेखाकरण प्रणाली लागू करने में, समन्वयन और सहायता;
 - (छ) समूह 'क' (भारतीय सिविल लेखा सेवा) और समूह 'ख' केन्द्रीय सिविल लेखा कार्यालयों के अधिकारियों का कांडर प्रबंधन;
 - (ज) समूह 'ग' और 'घ' से संबंधित केन्द्रीय सिविल लेखा कर्मचारीवृंद से संबंधित मामले;
 - (झ) केन्द्रीय सिविल पेंशन भोगियों, स्वतंत्रता सेनानियों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, पूर्व-संसद सदस्यों और पूर्व राष्ट्रपतियों के संबंध में पब्लिक सेक्टर के बैंकों (पीएसबी) के माध्यम से पेंशन का संवितरण।
7. इनके लिए केन्द्रीय सहायता देना: राज्य की आर्थिक योजना, राज्य के आपदा राहत कोष का केन्द्रीय अंश, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से सहायता, उन्नति अनुदान और ग्रामीण/शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान और आनुक्रमिक वित्त आयोगों द्वारा सिफारिश किए गए अन्य अनुदान।
8. राज्य वित्तों का विश्लेषण, राज्यों की दिन-प्रतिदिन की वित्तीय समस्याएं और राज्यों के राजकोषीय सुधार कार्यक्रम।
9. केन्द्रीय मंत्रालयों और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों (पीएसयू) की वार्षिक/पंचवर्षीय योजना तैयार करने में भागीदारी। योजना के वित्तपोषण के लिए केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों (पीएसयू) के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों का निर्धारण।
10. वित्तीय और आर्थिक प्रभाव रखने वाले केन्द्रीय और राज्य विधान की संवीक्षा।

11. केन्द्रीय मंत्रालयों और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के प्लान निवेश/व्यय प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन। व्यय वित्त समिति (ईएफसी)/लोक निवेश बोर्ड (पीआईबी) प्रक्रियाओं और लोक निवेश बोर्ड के लिए सचिवालयीय कार्य संबंधी मामले।
 12. केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के पूंजी पुनर्संरचना/पुनर्जीवीकरण प्रस्तावों का मूल्यांकन/अनुमोदन।
 13. लोप किया गया।
-

ग. राजस्व विभाग

(C. DEPARTMENT OF REVENUE)

1. निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले:
 - (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड;
 - (ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
2. राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान को सहायता अनुदान।
3. विनिमय-पत्रों, चैकों, वचनपत्रों, वहन-पत्रों, साख-पत्रों, बीमा-पालिसियों, शेयरों का अंतरण, डिबेंचरों, परोक्ष-पत्रों और रसीदों पर स्टाम्प शुल्क।
4. आयकर (आयकर अपील अधिकरण संबंधी प्रश्नों को छोड़कर), निगम कर, पूंजी अभिलाभ कर और सम्पदा शुल्क, धन कर, व्यय कर, और उपहार कर संबंधी सभी प्रश्न और रेल यात्री भाड़ा अधिनियम संबंधी प्रश्न भी।
5. बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) का प्रशासन।
6. संघ राज्य क्षेत्रों में उत्पाद शुल्क का प्रशासन, अर्थात् निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले:
 - (क) मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक लिकर;
 - (ख) अफीम, केनेबिस (भारतीय भांग) और अन्य स्वापक औषधियां और स्वापक पदार्थ।
7. औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16) का प्रशासन।
8. अफीम पोस्ट की खेती, और ऐसी अफीम से अफीम व्युत्पन्नों का विनिर्माण, ऐसी अफीम और अफीम व्युत्पन्नों का विक्रय और उन पर नियंत्रण के प्रयोग से संबंधित सभी मामले।
9. स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) का प्रशासन।
10. स्वापक औषधियों, मनः प्रभावी पदार्थों और पूर्वगामी रसायनों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों, करारों, नयाचार, आदि से संबंधित सभी मामले, जिनके लिए राजस्व विभाग और इसके अंतर्गत संगठन कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत हैं, केवल उन मामलों को छोड़कर, जो गृह मंत्रालय को आबंटित हैं।
11. सीमा-शुल्क (समुद्र, वायु और भूमि), जिसके अंतर्गत सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51), टैरिफ मूल्यांकन, सीमा-शुल्क सहकारिता परिषद, सीमा शुल्क नामपद्धति और ऐसे ही मामले हैं, आयात और निर्यात किए गए माल पर शुल्क; सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन आयातों और निर्यातों पर प्रतिषेध और निर्बन्धन; और सीमा शुल्क टैरिफ के निर्वचन से संबंधित सभी मामले।
12. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी मामले, जिनके अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) और सेवा कर प्रशासन भी है।
13. विक्रय कर:
 - (क) विक्रय कर विधि विधिमान्यकरण अधिनियम, 1956 (1956 का 7) का प्रशासन;
 - (ख) अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रयों पर कर का उदग्रहण-केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के प्रशासन में उत्पन्न समस्याएं;

- (ग) संविधान के अनुच्छेद 286(3) के अधीन अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व के माने जाने वाले माल की घोषणा, उन शर्तों और निर्बंधनों का अधिकतम जिसके अधीन वे राज्य विधियां होंगी जो उन पर कर उदग्रहण के लिए उपबंध करती हैं;
- (घ) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क द्वारा विक्रय कर के प्रतिस्थापन से संबंधित सभी प्रश्न, जिनके अंतर्गत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) का प्रशासन है;
- (ङ) राज्यों में विक्रय कर के उदग्रहण से संबंधित वे सभी विधेयक आदि जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेशों, सिफारिशों या अनुमति के लिए आए;
- (च) संघ राज्य-क्षेत्रों में विक्रय कर से संबंधित विधायी मामले;
- (छ) राज्यों के गन्ना उपकर उदग्रहण के अविधिमान्य किए जाने से उत्पन्न समस्याएं, जिनके अंतर्गत ऐसे उदग्रहणों का विधिमान्यकरण आता है।
14. अधीनस्थ संगठन:
- (क) आयकर विभाग;
- (ख) सीमा-शुल्क विभाग;
- (ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग;
- (घ) स्वापक पदार्थ विभाग (इसके अंतर्गत स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो नहीं है); और
- (ङ) माल और सेवा कर प्रशासन।
15. विदेशी मुद्रा के संरक्षण या संवर्धन और तस्करी क्रियाकलापों के निवारण और उससे संबंधित मामलों के प्रयोजनों के लिए निवारक निरोध।
16. प्रवर्तन, अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन भंगों से उद्भूत मामलों का अन्वेषण, और न्याय निर्णयन; राजस्व आसूचना महानिदेशालय और प्रवर्तन निदेशालय।
17. आर्थिक आसूचना संबंधी सभी मामले।
- 17क. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) से संबंधित कार्य और संबंधित अंतर-मंत्रालयीय समन्वय।
18. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपील अधिकरण से संबंधित मामले।
- 18क. माल और सेवा कर परिषद्।
- 18ख. माल और सेवा कर अपील अधिकरण।
19. तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) के अंतर्गत आने वाले सभी मामले।
20. धन शोधन निवारण (पी.एम.एल.) अधिनियम, 2002 (2003 का 15) का प्रशासन।
21. निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले -
- (क) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12);
- (ख) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13);
- (ग) संघ-राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14);
- (घ) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15); और
- (ङ) विधानमंडल रहित संघ-राज्य क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष करों (सीमा शुल्क को छोड़कर) से संबंधित विधायी कार्य।

घ. निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम)

(D. DEPARTMENT OF INVESTMENT AND PUBLIC ASSET MANAGEMENT (DIPAM))

1. (क) साधारण शेयर में केन्द्रीय सरकार के विनिधान के प्रबंध से संबंधित सभी मामले जिसके अंतर्गत केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से साधारण शेयर का विनिवेश भी है।
(ख) पूर्ववर्ती केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में विक्रय के लिए प्रस्ताव के माध्यम से या प्राइवेट नियोजन या अन्य किसी ढंग से केन्द्रीय सरकार के साधारण शेयर के विक्रय से संबंधित सभी मामले।
टिप्पण :- विनिवेश पश्चात अन्य सभी मामले,जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ती केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में नीतिगत भागीदार द्वारा मांग विकल्प के प्रयोग से उत्पन्न और उससे संबंधित सभी मामले भी हैं, जहां भी आवश्यक हो, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा, निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के परामर्श से, निपटाए जाते रहेंगे।
2. विनिवेश, जिसके अंतर्गत रणनीतिक विनिवेश भी है, के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों, नीति आयोग आदि की सिफारिशों पर विनिश्चय।
3. विनिवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन के लिए स्वतंत्र बाह्य मानीटर (रों) संबंधी सभी मामले ।
4. (क) साधारण शेयर में सरकारी विनिधान जैसे पूंजीगत पुनर्संरचना, बोनस, लाभांश, सरकारी साधारण शेयर का विनिवेश तथा अन्य संबंधित मुद्दों के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम से संबंधित मामलों में विनिश्चय ।
(ख) केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों की वित्तीय पुनर्संरचना के मामलों में और पूंजी बाजार के माध्यम से उक्त उद्यमों में विनिधान को आकर्षित करने के लिए सरकार को सलाह देना ।
5. **लोप किया गया।**
6. भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) संबंधी विषयों सहित भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) ।

ड. वित्तीय सेवाएं विभाग

(E. DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES)

I. बीमा

1. साधारण बीमा से संबंधित नीति; बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) का प्रशासन और संबंधित मामले, साधारण बीमा और पब्लिक सेक्टर में पुनर्बीमा कंपनियां।
2. जीवन बीमा से संबंधित नीति; जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) का प्रशासन और संबंधित मामले, भारतीय जीवन बीमा निगम।
3. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) का प्रशासन और संबंधित मामले।
4. उपरोक्त 1 से 3 तक की किसी भी प्रविष्टि की बाबत केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों से संबद्ध मामलों के संबंध में केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व।

II. बैंककारी

5. भारतीय बैंकों, चाहे वे राष्ट्रीयकृत हों या नहीं, से संबंधित सभी मामले।
6. विदेशी बैंकों, जहां तक भारत में उनकी संक्रिया का संबंध है, से संबंधित सभी मामले।
7. भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित सभी मामले।
8. सहकारी बैंककारी से संबंधित सभी मामले।
9. अखिल भारतीय विकास वित्तीय संस्थाओं से संबंधित मामले, जिसके अंतर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), आईएफसीआई लिमिटेड, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आईआईबीआई) से संबंधित मामले भी हैं।
10. भारतीय आयात-निर्यात बैंक से संबंधित मामले।
11. पोत परिवहन विकास निधि समिति (उत्सादन) अधिनियम, 1986 (1986 का 66) का प्रशासन।
12. सिंधिया स्टीमशिप नैविगेशन कंपनी संबंधी मामले।
13. अवसंरचना विकास वित्त निगम (आईडीएफसी) और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएलएफएस) से संबंधित मामले।
14. चिटफंड और निक्षेप स्वीकार करने वाली अन्य गैर-बैंककारी कंपनियां।
15. भारत में बैंककारी से संबंधित अन्य मामले।
16. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) संबंधी मामले।
17. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) का प्रशासन।
18. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) का प्रशासन।
19. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के कार्यान्वयन संबंधी मामले।

20. रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के कार्यान्वयन से संबंधित मामले, जिनके अंतर्गत औद्योगिक वित्त पुनर्संरचना बोर्ड (बीआईएफआर) और औद्योगिक वित्तीय पुनर्संरचना अपील प्राधिकरण (एएआईएफआर) से संबंधित मामले भी हैं।
21. राष्ट्रीय आवास बैंक संबंधी सभी मामले।
22. संघ सूची की प्रविष्टि 38, 45 और 46 से संबंधित सभी अन्य कानूनों, विनियमों और अन्य विधियों का प्रशासन।
23. प्रतिभूतिकरण और पुरोबंध संबंधी मामले।
24. विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 (1992 का 27) का प्रशासन।
25. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10), बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40), बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891(1891 का 18), बैंक सेवा आयोग अधिनियम, 1984 (1984 का 44)।
26. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) तथा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) का प्रशासन।
27. भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1953 (1953 का 54)।
28. राज्य कृषि उधार निगम अधिनियम, 1968 (1968 का 60) का प्रशासन।
29. लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 (1983 का 48) का प्रशासन।
30. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961(1961 का 47) का प्रशासन।
31. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) का प्रशासन।

III. पेंशन सुधार।

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING)**

क. मत्स्यपालन विभाग

(A. DEPARTMENT OF FISHERIES)

भाग-I

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I के अंतर्गत आते हैं:

1. वे उद्योग, जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, वहां तक जहां तक उनका संबंध मछली-दाना और मत्स्य उत्पादों के विकास से है, इस परि सीमा के साथ कि उद्योगों के विकास के संबंध में, मत्स्यपालन विभाग के कृत्य, मांगों के प्रतिपादन और लक्ष्यों के नियतन से अधिक न हों।
2. मछली पकड़ना और मछली पालन (अंतरदेशीय, सामुद्रिक तथा राज्यक्षेत्रीय सागर खंड के परे) और इसके अवसंरचना विकास, विपणन, निर्यात तथा संस्थागत व्यवस्था आदि सहित सहयुक्त क्रियाकलापों का संवर्धन और विकास।
3. मछुआरों तथा अन्य मछुआरा समूह का कल्याण तथा उनकी आजीविका को सुदृढ़ बनाना।
4. मछली पालन के विकास से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क और सहयोग।
5. मछली पालन सांख्यिकी।
6. प्राकृतिक आपदाओं के कारण मछलीधन को हुए नुकसान संबंधी मामले।
7. मछलीधन आयात का विनियमन, करंतीन और प्रमाणीकरण।
8. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुंबई।

भाग-II

निम्नलिखित विषय, जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III के अंतर्गत आते हैं (केवल विधान की बाबत):

9. मछलियों को हानि पहुंचाने वाले संक्रामक या सांसर्गिक रोगों या नाशक जीवों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण।
10. राज्य अभिकरणों/ सहकारी संघों के माध्यम से विभिन्न राज्य उपक्रमों, मछली पालन विकास स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता का स्वरूप।

भाग-III

संघ राज्यक्षेत्रों के लिए, उपर्युक्त भाग I और भाग II में वर्णित विषय जहां तक वे इन राज्यक्षेत्रों की बाबत विद्यमान हैं, और इनके अतिरिक्त, निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के अंतर्गत आते हैं:

11. मछलीधन का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा मछली रोगों का निवारण, पशु-चिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय ।
12. मछलीधन का बीमा ।

ख. पशुपालन और डेयरी विभाग
(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING)

भाग- I

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I के अंतर्गत आते हैं:

1. वे उद्योग जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, वहां तक जहां तक उनका संबंध पशुधन और पक्षी-दाना तथा डेयरी और मुर्गीपालन उत्पादों के विकास से है, इस परिसीमा के साथ कि उद्योगों के विकास के संबंध में पशुपालन और डेयरी विभाग के कृत्य, मांगों के आकलन और लक्ष्यों के नियतन से अधिक न हों ।
2. पशुधन, डेयरी और मुर्गीपालन और इसके अवसंरचना विकास, विपणन, निर्यात तथा संस्थागत व्यवस्था आदि सहित सहयुक्त क्रियाकलापों का संवर्धन और विकास ।
3. पशुधन, डेयरी और मुर्गीपालन से संबंधित क्रियाकलापों में लगे हुए व्यक्तियों का कल्याण ।
4. पशुधन और मुर्गीपालन के विकास से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क और सहयोग।
5. पशुधन गणना ।
6. पशुधन सांख्यिकी ।
7. प्राकृतिक विपत्तियों के कारण पशुधन को हुए नुकसान संबंधी मामले ।
8. पशुधन आयात का विनियमन, पशु करंतीन और प्रमाणीकरण ।
9. गौशाला और गौसदन ।
10. कांजीहौस और पशु अतिचार से संबंधित मामले ।
11. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण ।
12. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) ।

भाग- II

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III के अंतर्गत आते हैं (केवल विधान की बाबत):

13. पशु चिकित्सा व्यवसाय वृत्ति ।
14. पशुओं और पक्षियों को हानि पहुंचाने वाले संक्रामक या सांसर्गिक रोगों या नाशक जीवों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण ।
15. स्वदेशी प्रजातियों में परिवर्तन लाना; पशुधन की स्वदेशी प्रजातियों के लिए केन्द्रीय यूथ पंजी बनाना एवं उनका रखरखाव ।
16. राज्य अभिकरणों/सहकारी संघों के माध्यम से विभिन्न राज्य उपक्रमों, डेयरी विकास स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता का स्वरूप ।

भाग-III

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त भाग I और भाग II में वर्णित विषय जहां तक वे इन राज्य क्षेत्रों की बाबत विद्यमान हैं, और इनके अतिरिक्त निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के अंतर्गत आते हैं:

17. पशु नस्ल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा पशु और पक्षी रोगों का निवारण, पशु-चिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय ।
18. प्रतिपाल्य अधिकरण ।
19. पशुधन और पक्षियों का बीमा ।

भाग - IV

20. पशु उपयोग और वध से संबंधित मामले ।
 21. चारा विकास।
-

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

(MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES)

1. निम्नलिखित उद्योगों के संबंध में:
 - (क) कुछ कृषि उत्पादों (दुग्ध चूर्ण, शिशु दुग्ध आहार, माल्ट मिश्रित दुग्ध आहार, संघनित दुग्ध, घी और अन्य डेरी उत्पाद), कुक्कुट और अंडे, मांस और मांस उत्पादों का संसाधन और प्रशीतन;
 - (ख) मछलियों का संसाधन (जिसके अंतर्गत डिब्बाबंदी और हिमीकरण भी सम्मिलित है);
 - (ग) मत्स्य संसाधन उद्योग के लिए विकास परिषद की स्थापना और उसकी प्रबंध व्यवस्था;
 - (घ) मत्स्य संसाधन उद्योग को तकनीकी सहायता और सलाह;
 - (ङ) फल और सब्जी संसाधन उद्योग (जिसके अंतर्गत हिमीकरण और निर्जलीकरण भी है); और
 - (च) खाद्यान्न पिसाई उद्योग।
2. उन उद्योगों की योजना, विकास, नियंत्रण और सहायता, जो डबल रोटी, तिलहन, चूर्ण (खाने योग्य)] नास्ते के आहार, बिस्कुट, मिष्ठान (जिसके अंतर्गत कोको संसाधन और चाकलेट बनाना भी है), माल्ट सार, पृथक्कृत प्रोटीन, उच्च प्रोटीन आहार, स्तनय त्याग आहार और उत्सारित खाद्य उत्पाद (जिसके अंतर्गत तत्काल खाने योग्य अन्य आहार भी हैं) से संबंधित हैं।
3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विशिष्ट पैकेजिंग।
4. बीयर जिसके अंतर्गत नान-अल्कोहली बीयर भी है।
5. ऐसे एल्कोहली पेय जिनका आधार शरीर पर न हो।
6. वातित जल और सुपेय।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE)

क. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (A. DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE)

I. संघ कारबार

1. अनुसंधान के लिए या औषध और पोषण में विशेष अध्ययन के संप्रवर्तन के लिए संघ अभिकरण और संस्थान, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित से संबंधित मामले भी हैं:
 - (क) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान;
 - (ख) अखिल भारतीय आरोग्य संबंधी और लोक स्वास्थ्य संस्थान;
 - (ग) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान;
 - (घ) केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला;
 - (ङ) राजकुमारी अमृतकौर नर्सिंग महाविद्यालय;
 - (च) लेडी रीडिंग स्वास्थ्य विद्यालय;
 - (छ) केन्द्रीय मनोविकार-विज्ञान संस्थान;
 - (ज) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और नर्सिंग होम;
 - (झ) सफदरजंग अस्पताल;
 - (ञ) आयुर्विज्ञान भण्डार संगठन;
 - (ट) बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला;
 - (ठ) जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान;
 - (ड) श्रीमती सुचेता कृपलानी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल और कलावती सरण बच्चों का अस्पताल;
 - (ढ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.);
 - (ण) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा;
 - (त) सीरम विज्ञानी और रसायन परीक्षक, भारत सरकार ।
 - (थ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) ।
2. निम्नलिखित संस्थाओं से संबंधित सभी मामले-
 - (क) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला ।
 - (ख) केन्द्रीय खाद्य और मानकीकरण प्रयोगशाला ।
 - (ग) केन्द्रीय भारतीय भेषज-संग्रहण प्रयोगशाला ।
 - (घ) अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान ।
 - (ङ) राष्ट्रीय क्षय-रोग संस्थान ।
 - (च) केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान ।
 - (छ) प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र, रायपुर (उ.प्र.), असका (उड़ीसा), गौरीपुर (पश्चिम बंगाल), टिटुलमारी (बिहार) ।
 - (ज) पत्तन करन्तीन (समुद्र और वायु) नाविक और समुद्रीय अस्पताल और पत्तन करन्तीन से संबंधित अस्पताल ।

- (झ) पत्तन और विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन ।
 (ञ) नाविकों की चिकित्सा परीक्षा ।
 (ट) अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम ।
 (ठ) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ।
3. (क). खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) ।
 (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) और केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला ।
4. चिकित्सा और सहबद्ध विषयों में विदेश में उच्चतर प्रशिक्षण ।
5. चिकित्सा और उससे संबंधित क्षेत्रों में भारत और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की बाबत कार्य का समन्वय ।
6. निम्नलिखित से संबंधित स्वास्थ्य कार्यक्रम-
- (क) स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता ।
 (ख) अंधेपन के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम ।
 (ग) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम ।
 (घ) राष्ट्रीय क्षय-रोग नियंत्रण कार्यक्रम ।
 (ङ) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ।
 (च) संचारी रोगों के नियंत्रण और उन्मूलन से संबंधित सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम ।
 (छ) संचारी रोगों के नियंत्रण और उन्मूलन संबंधी द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम ।
7. अध्येतावृत्तियां-चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न विषयों में भारत और विदेश में प्रशिक्षण के लिए।
8. महामारी से संबंधित मामले: औषधियों के प्रदाय, कुपोषण के प्रभाव और प्राकृतिकविपत्तियों के परिणामस्वरूप पेयजल की कमी से होने वाले विभिन्न रोगों से संबंधित समस्याएं ।
- II. संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत विधायी और कार्यपालक प्रयोजनों के लिए कारबार की सूची।**
9. लोक स्वास्थ्य अस्पताल और औषधालय ।
 10. विभाग में व्यवहार में आने वाले विषयों से संबंधित वैज्ञानिक सोसाइटियां और संगम ।
 11. विभाग में व्यवहार में आने वाले विषयों से संबंधित पूर्त और धार्मिक विन्यास ।
- III. कारबार की सूची, जिसमें केन्द्रीय सरकार केवल संघ के लिए विधायी हैसियत में और सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधायी और कार्यपालक हैसियत दोनों में, व्यवहार करे।**
12. निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले-
- (क) चिकित्सा वृत्ति और चिकित्सा शिक्षा ।
 (ख) नर्सिंग वृत्ति और नर्सिंग शिक्षा ।
 (ग) भेषजज्ञ और भेषज शिक्षा ।
 (घ) दंत वृत्ति और दंत शिक्षा ।
 (ङ) मानसिक स्वास्थ्य ।

- (च) औषधि मानक ।
- (छ) औषधि और औषध से संबंधित विज्ञापन ।
- (ज) एक राज्य से दूसरे राज्य में मनुष्यों को प्रभावित करने वाले संक्रामक या सान्सर्गिक रोगों को फैलने से रोकना ।
- (झ) खाद्य पदार्थ और औषधि अपमिश्रण निवारण ।
- (ञ) विनियामक पहलू, अर्थात्, चिकित्सीय युक्तियों की क्वालिटी, सुरक्षा, लेबल लगाना और निष्पादन ।

IV. प्रकीर्ण कारबार

13. निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले-
- (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ।
 - (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद ।
 - (ग) भारतीय दंत परिषद ।
 - (घ) भारतीय नर्सिंग परिषद ।
 - (ङ) भारतीय भेषजी परिषद ।
 - (च) भारतीय भेषज समिति ।
14. केन्द्रीय सरकारी सेवकों के लिए चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिए रियायत, उनसे भिन्न जो (i) रेल सेवा में हैं, (ii) जिन्हें रक्षा सेवा प्राक्कलन से संदाय किया जाता है, (iii) ऐसे अधिकारी जो अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1954 द्वारा शासित हैं, और (iv) ऐसे अधिकारी जो चिकित्सा परिचर्या नियम, 1956 द्वारा शासित हैं ।
15. केन्द्रीय सिविल सेवाओं के लिए चिकित्सा परीक्षा और चिकित्सा बोर्ड (रेल विभाग द्वारा नियंत्रित व्यक्तियों और, सिविलियन सेवाओं के सिवाय, जिन्हें रक्षा सेवा प्राक्कलन से संदाय किया जाता है, से भिन्न) ।
- 15क. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना।
16. निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले-
- (क) वल्लभ भाई पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट (दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन) को अनुदान।
 - (ख) भारतीय रेडक्रास सोसाइटी को अनुदान ।
 - (ग) स्पास और स्वास्थ्य स्थल ।
 - (घ) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ।
 - (ङ) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र ।
 - (च) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ।
 - (छ) अखिल भारतीय वाकशक्ति और श्रवणशक्ति संस्थान ।
 - (ज) भारतीय पेस्चयुर संस्थान ।
 - (झ) भौतिक चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र, किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल ।
 - (ञ) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान ।
 - (ट) हॉस्पिटल सर्विसेज कन्सलटेन्सी कारपोरेशन लिमिटेड ।

v. परिवार कल्याण संबंधी मामले

17. परिवार कल्याण के लिए नीति और संगठन ।
18. निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले-
 - (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ।
 - (ख) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ।
 - (ग) जनन और शिशु स्वास्थ्य ।
19. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार अंतर-क्षेत्रीय समन्वय ।
20. जनसंख्या स्थिरता कोष और सशक्त कार्यवाही समूह से संबंधित मामले ।
21. परिवार कल्याण के सभी पहलुओं की बाबत, जिसके अंतर्गत विदेश में उच्चतर प्रशिक्षण भी है, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान का संगठन और निदेशन ।
22. परिवार नियोजन के लिए सहायक सामग्री का उत्पादन और प्रदाय ।
23. परिवार कल्याण से संबंधित मामलों की बाबत विदेशी राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ संपर्क ।
24. विदेशी सहायता से चलाई जाने वाली परिवार कल्याण स्कीमें और परियोजनाएं ।
25. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई ।
26. जनसंख्या और परिवार कल्याण से संबंधित श्रव्य दृश्य सहायता का निर्माण विस्तारण शिक्षा और जानकारी का विकास और उत्पादन ।
27. परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए लोक निजी भागीदारी का संवर्धन ।
28. निम्नलिखित संस्थाओं से संबंधित सभी मामले:-
 - (क) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम ।
 - (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली ।
29. गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) - गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 का 34) का कार्यान्वयन ।

ख. लोप किया गया ।

—

ग. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

(C. DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH)

1. मूलभूत, अनुप्रयुक्त और नैदानिक अनुसंधान का संवर्धन और समन्वय जिसमें अग्रणी क्षेत्रों में अवसंरचना, जनशक्ति और कुशलता के विकास तथा संबंधित सूचना के प्रबंधन के माध्यम से चिकित्सीय, स्वास्थ्य, जैव-चिकित्सीय और चिकित्सीय वृत्ति तथा शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में नैदानिक प्रयोग तथा प्रचालनात्मक अनुसंधान सम्मिलित है।
2. अनुसंधान शासन संबंधी मुद्दों का संवर्धन करना और मार्गदर्शन करना जिसमें चिकित्सीय और स्वास्थ्य अनुसंधान में नैतिक मुद्दे सम्मिलित हैं।
3. चिकित्सीय, जैव चिकित्सीय और स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी क्षेत्रों में अंतरक्षेत्रीय समन्वय तथा सार्वजनिक-निजी-भागीदारी का संवर्धन करना।
4. चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित अनुसंधान क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण, जिसमें ऐसे प्रशिक्षण के लिए भारत में और विदेश में अध्येतावृत्ति प्रदान करना सम्मिलित है।
5. चिकित्सीय और स्वास्थ्य अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जिसमें संबंधित क्षेत्रों में भारत में और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संबंधी कार्य सम्मिलित है।
6. महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तकनीकी सहायता।
7. नए और बाह्य अभिकारकों के कारण प्रादुर्भाव का अन्वेषण तथा निवारण के लिए उपायों का विकास।
8. चिकित्सीय और स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्रों में वैज्ञानिक सोसाइटियों व संगमों, पूर्त और धार्मिक विन्यासों से संबंधित विषय।
9. विभाग को सुपुर्द किए गए विषयों से संबंधित क्षेत्रों में तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य में विशिष्ट अध्ययनों के संवर्धन के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के अधीन संगठनों और संस्थानों के बीच समन्वय।
10. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद।

घ. लोप किया गया।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
(MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES)

क. भारी उद्योग विभाग
(A. DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY)

1. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड ।
2. दि माइनिंग एंड ऐलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड ।
3. दि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड ।
4. भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड ।
5. एच.एम.टी. बियरिंग लिमिटेड ।
6. एच.एम.टी. लिमिटेड ।
7. एच.एम.टी. इंटरनेशनल लिमिटेड ।
8. स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ।
9. एन्ड्रू यूल् एंड कंपनी लिमिटेड ।
10. भारत ऑपथाल्मिक ग्लास लिमिटेड ।
11. भारत लैदर कारपोरेशन ।
12. सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ।
13. साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ।
14. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ।
15. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड ।
16. हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ।
17. हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड ।
18. हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड ।
19. इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड ।
20. दि मांड्या नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड ।
21. नागालैंड पल्प एंड पेपर कम्पनी लिमिटेड ।
22. नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ।
23. दि नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।
24. नेशनल इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड ।
25. एन.ई.पी.ए. लिमिटेड ।

26. राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड ।
27. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड ।
28. दामोदर सीमेंट एंड स्लैग लिमिटेड ।
29. टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ।
30. टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया ।
31. प्राग टूल्स लिमिटेड ।
32. रिहेबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ।
33. सांभर साल्ट्स लिमिटेड ।
34. फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट ।
35. भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड:

समनुषंगी :

- (क) भारत ब्रेक्स एंड वाल्वज लिमिटेड;
 - (ख) भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड;
 - (ग) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड;
 - (घ) ब्रेथवेट एंड कम्पनी लिमिटेड;
 - (ङ) बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड;
 - (च) जेसप एंड कम्पनी लिमिटेड;
 - (छ) दि लैगन जूट मशीनरी कम्पनी लिमिटेड;
 - (ज) ब्रेथवेट, बर्न एंड जैसप कंस्ट्रक्शन लिमिटेड;
 - (झ) रेरोल बर्न लिमिटेड;
 - (ञ) वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड;
36. भारत यंत्र निगम लिमिटेड ।
- समनुषंगी :**
- (क) दि त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, इलाहाबाद;
 - (ख) दि तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, दुर्गापुर;
 - (ग) दि भारत हैवी प्लेट्स एंड वैसल्स लिमिटेड;
 - (घ) भारत पंप्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड;
 - (ङ) रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड;
 - (च) ब्रिज एंड रूफ कंपनी ।
37. मारूति उद्योग लिमिटेड ।
 38. सभी उद्योगों के लिए भारी इंजीनियरिंग उपस्कर का विनिर्माण ।

39. भारी विद्युत इंजीनियरी उद्योग ।
 40. मशीनरी उद्योग जिसके अंतर्गत मशीनी औजार और इस्पात विनिर्माण भी हैं ।
 41. आटो उद्योग, जिसके अंतर्गत ट्रैक्टर और मिट्टी हटाने वाले उपस्कर भी हैं ।
 42. सभी प्रकार के डीजल इंजन ।
 43. आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन, पुणे ।
 44. राष्ट्रीय ऑटोमेटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (एनएटीआरआईपी) तथा एनएटीआरआईपी कार्यान्वयन सोसाइटी (एनएटीआईएस) ।
-

ख. लोक उद्यम विभाग

(B. DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

12. पूर्ववर्ती लोक उद्यम ब्यूरो जिसके अंतर्गत औद्योगिक प्रबंध पूल भी है, से संबंधित अवशिष्ट कार्य ।
 2. सभी पब्लिक सेक्टर उद्यमों को प्रभावित करने वाले साधारण नीतिगत विषयों का समन्वय ।
 3. पब्लिक सेक्टर उद्यमों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और अनुश्रवण जिसमें समझौता ज्ञापन तंत्र भी सम्मिलित है ।
 4. पब्लिक सेक्टर उद्यमों के लिए स्थायी माध्यस्थम तंत्र से संबंधित मामले ।
 5. स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के अधीन केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के कर्मचारियों को परामर्श, प्रशिक्षण और उनका पुनर्वास ।
 6. केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों में पूंजीगत परियोजनाओं और व्यय की पुनर्विलोकन ।
 7. केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों के कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने और पब्लिक सेक्टर उद्यमों में अन्य क्षमता निर्माण शुरुआतों के उद्देश्य से उपाय ।
 8. पब्लिक सेक्टर उद्यमों के पुनरुद्धार, पुनरसंरचना या बंद करने से संबंधित सलाह देना जिसमें संबंधित तंत्र भी सम्मिलित है ।
 9. लोक उद्यम स्थायी सम्मेलन से संबंधित मामले ।
 10. अंतर्राष्ट्रीय लोक उद्यम केन्द्र से संबंधित मामला ।
 11. केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों का वर्गीकरण, जिसमें "रत्न" दर्जा प्रदान करना सम्मिलित है ।
 12. पब्लिक उद्यमों का सर्वेक्षण ।
-

गृह मंत्रालय
(MINISTRY OF HOME AFFAIRS)

क. आंतरिक सुरक्षा विभाग
(A. DEPARTMENT OF INTERNAL SECURITY)

I. पुलिस

1. असम राइफल्स ।
2. सीमा सुरक्षा बल ।
3. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ।
4. विशेष सेवा ब्यूरो ।
5. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और केन्द्रीय खुफिया प्रशिक्षण स्कूल ।
6. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ।
7. आसूचना ब्यूरो ।
8. केन्द्रीय न्याय-विज्ञान प्रयोगशालाएं और संदिग्ध दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक ।
9. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ।
10. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।
11. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ।
12. भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित मामले ।
13. भारतीय पुलिस सेवा और अर्ध-सैनिक बलों के अधिकारियों का विदेश में प्रशिक्षण, जिसके अंतर्गत द्विपक्षीय सहयोग के अधीन आने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हैं ।
14. भारत में विदेशी पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित सभी मामले ।
15. नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड से संबंधित सभी मामले ।
16. अंतर्राज्यिक पुलिस बेतार प्रणाली से संबंधित मामले ।
17. पुलिस पदकों से संबंधित मामले ।

II. कानून और व्यवस्था

18. आतंकवाद का मुकाबला करने से संबंधित मामले ।
19. अति विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा, धमकी के मद्देनजर व्यक्तिगत सुरक्षा, महत्वपूर्ण सरकारी भवनों आदि की सुरक्षा ।
20. आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 - लंबित मामले ।
21. आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984 (1984 का 61) - इस अधिनियम से संबंधित सभी मामले ।

22. रजिस्ट्रीकरण और देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता देना ।
23. आप्रवास ब्यूरो से संबंधित सभी मामले ।
24. अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के नागरिकों को भारत में प्रवेश के लिए वीजा देना, जिसके अंतर्गत भारत में दीर्घावधि तक ठहरना भी है, और सभी विदेशियों के भारत में प्रवेश/ठहरने का विनियमन ।
25. दूसरे देशों के नागरिकों का भारत से विवासन ।
26. भारत में कैद विदेशियों का संप्रत्यावर्तन, जिसके अंतर्गत भारतीय जल सीमा में पकड़े गए विदेशी मछुआरे भी हैं ।
27. सरकारी सेवक जिनके कुटुंब पाकिस्तान में है - सरकारी सेवकों को पाकिस्तान जाने की अनुज्ञा दिए जाने के मामले ।
28. संगमों और व्यक्तियों द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति और उपयोग तथा विदेशी आतिथ्य का विनियमन ।
29. केन्द्रीय सचिवालय सुरक्षा ।
30. सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 11 के अधीन भारत में अवांछनीय साहित्य लाने का निवारण ।
31. आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 (1981 का 40) ।
32. संविधान के अनुच्छेद 352 के खण्ड (1) के अधीन जारी की गई किसी उदघोषणा के प्रवर्तन की अवधि के दौरान सरकारी सेवकों के किसी कर्तव्य के लिए सेवाओं की अध्यापेक्षा ।
33. किसी अन्य केन्द्रीय मंत्रालय अथवा विभाग को विनिर्दिष्टतया आबंटित विस्तार तक को छोड़कर, निवारक निरोध।
34. व्यक्तियों, अभियुक्त व्यक्तियों तथा निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों को एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाया जाना ।
35. दंड विधि ।
36. दंड प्रक्रिया ।
37. महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों, जिनके अंतर्गत वे भी हैं जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (अत्याचार-निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33), में आते हैं, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और अन्य सहजभेद्य समूहों के प्रति दांडिक अपराध ।
38. नागालैण्ड राज्य से संबंधित मामले ।
39. सिक्किम राज्य से संबंधित मामले ।
40. रेल संपत्ति के मूषण से संबंधित अपराधों और सरकारी रेलों और गैर-सरकारी रेलों में अपराधों से संबंधित अपराधों से भिन्न सामान्य अपराध की बाबत संसदीय प्रश्न/विषय ।
41. शस्त्र, आग्नेयास्त्र और गोला बारूद से संबंधित मामले ।

III. पुनर्वास

42. (क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (ख) भारत-पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध के परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों, और (ग) जम्मू-कश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों से विस्थापित व्यक्तियों को राहत/उनके पुनर्वास से संबंधित अवशिष्ट कार्य ।

43. प्रत्यावर्तित भारतीय राष्ट्रियों को राहत और उनका पुनर्वास ।
44. तिब्बती शरणार्थियों की सहायता और पुनर्वास ।
45. श्रीलंका से आए शरणार्थियों के लिए राहत ।
46. दण्डकारण्य विकास योजना और दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण ।
47. भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजे और उनके पुनर्वास की व्यवस्था से संबंधित अवशिष्ट कार्य, सरकार निर्मित संपत्तियों की बाबत पट्टा या हस्तांतरण-पत्र जारी करने, पट्टाविलेखों का संपरिवर्तन करने और ऐसी संपत्तियों से लगी हुई भूमि की अतिरिक्त पट्टियों और सुधारक क्षेत्रों के आबंटन से भिन्न, जिन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को आबंटित किया गया है ।
48. समय-समय पर प्रधानमंत्री द्वारा निर्दिष्ट किए गए विशेष क्षेत्रों का विकास ।
49. भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों की निष्क्रांत संपत्ति और मुआवजे तथा उनके पुनर्वास के प्रशासन से संबंधित अधिनियमों का प्रशासन ।
50. भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई निष्क्रांत संपत्ति के संबंध में पाकिस्तान के साथ बातचीत ।
51. भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से प्राप्त दावा न की गई चल संपत्ति के निपटारे से संबंधित अवशिष्ट कार्य ।
52. प्राकृतिक आपदाओं (सूखा, ओलावृष्टि, नाशक जीव के हमले अथवा महामारियों से भिन्न) तथा मानव-जनित आपदाओं की दशा में राहत उपायों का समन्वय, जिसके अंतर्गत अन्य मंत्रालयों अथवा विभागों को आबंटित कार्य की विशिष्ट मर्दे नहीं हैं ।
53. सूखा या महामारियों से भिन्न, सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के कारण मानव जीवन और संपत्ति को होने वाली हानि से संबंधित मामले ।
54. स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 4 (3) के उपबंधों के अधीन स्थापित स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो तथा स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार को रोकने तथा उसके प्रतिरोध करने के सभी उपायों के समन्वय से संबंधित सभी मामले।
55. स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और पूर्वगामी रसायनों में अवैध व्यापार के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों, करारों, नयाचारों, आदि से संबंधित सभी मामले, जिनके लिए गृह मंत्रालय और उसके अधीन संगठन कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत हैं, केवल उन मामलों को छोड़कर जो वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग को आबंटित हैं ।
56. निम्नलिखित अधिनियमों का प्रशासन, अर्थात्:
 - (क) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19);
 - (ख) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37);
 - (ग) दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1961 (1961 का 23);
 - (घ) अल्पवय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम, 1956 (1956 का 93);
 - (ङ) पंजाब विशेष शक्ति (प्रेस) अधिनियम, 1956 (1956 का 38);
 - (च) सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1958 (1958 का 28);
 - (छ) आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 (1980 का 41);

- (ज) अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 (1983 का 39);
- (झ) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6);
- (ञ) आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 (2002 का 15);
- (ट) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31);
- (ठ) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 (1920 का 34);
- (ड) विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 (1939 का 16);
- (ढ) आप्रवास (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000 (2000 का 52);
- (ण) नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57), उसकी धारा 7ख (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग को छोड़कर;
- (त) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49);

IV. शत्रु के साथ व्यापार: शत्रु संपत्ति

- 57. भारत में शत्रु-संपत्ति के अभिरक्षक सहित शत्रु संपत्ति के प्रबंधन, परिरक्षण और नियंत्रण संबंधी मामले ।
- 58. राजस्व विभाग के अधीन वर्णित कार्य से भिन्न, आतंकवादी कार्यों के वित्त-पोषण से निपटने से संबंधित सभी मामले ।²²

ख. राज्य विभाग

(B. DEPARTMENT OF STATES)

(I) केन्द्र-राज्य संबंध

1. नए राज्यों की स्थापना और उनका बनाया जाना: उनसे उद्भूत होने वाले विषय (ऐसे विषयों को छोड़कर, जिनका संबंध सेवा-कार्मिकों के आबंटन से है); सेवाओं का एकीकरण तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को आबंटित राज्य सेवाओं से संबंधित अन्य मामले तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन।
2. संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (22) में निर्दिष्ट भूतपूर्व भारतीय राज्यों के शासकों और उनके कुटुम्बों से संबंधित मामले।
3. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों की बाबत संविधान के अनुच्छेद 371 के विशेष उपबंध।
4. राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित अधिनियमों का प्रशासन।

(II) अंतर्राज्यिक संबंध

5. अंतर्राज्यिक परिषद।
6. अंतर्राज्यिक प्रवास।

(III) संघ राज्य क्षेत्र

7. विधान-मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र:-

(क) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली:

- (i) संविधान के भाग VIII में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार संघ सरकार के कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी विषय, वहां तक जहां तक कि ये राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 पर लागू हैं, सिवाय उन मामलों के जिनका संबंध राज्य सूची की प्रविष्टि 18 से है और सभी ऐसे मामलों के जो इन नियमों के अधीन भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को विनिर्दिष्टतः सौंपे गए हैं;
- (ii) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार की सभी शक्तियां और कृत्य, सिवाय उन मामलों के जिनका संबंध भूमि और भवन उप विधियों से है;

(ख) पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र:

संविधान के भाग VIII में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी विषय वहां तक जहां तक कि इनका संबंध पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 से है, सिवाय सभी ऐसे मामलों के जो भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को विनिर्दिष्टतः सौंपे गए हैं।

8. (क) संघ राज्य क्षेत्रों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए संविधान के अनुच्छेद 240 के अधीन विनियम बनाना।

(ख) राज्य अधिनियमों का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार।

- (ग) विभिन्न अधिनियमितियों के अधीन राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को प्रत्यायोजन।
- (घ) संघ राज्य क्षेत्रों में लोक सेवाओं से संबंधित साधारण प्रश्न और ऐसे सेवा मामले जहां तक ये निम्नलिखित से संबंधित राज्य सरकारों के कार्य-क्षेत्र के भीतर आते हैं:-
- (i) संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यों से संबंधित सेवारत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी;
 - (ii) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली, अंडमान व निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली सिविल और पुलिस सेवाएं (दानिक्स और दानिप्स);
 - (iii) पांडिचेरी सिविल और पुलिस सेवाएं।
- (ङ) संघ राज्य क्षेत्रों में उपराज्यपालों और प्रशासकों की नियुक्ति।

टिप्पणी: संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित उपर्युक्त सभी मामले, सिवाय उन मामलों के जो विनिर्दिष्टतः किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को आबंटित किए गए हैं।

9. विधान मण्डल के बिना संघ राज्य क्षेत्र:-

राज्य सूची और समवर्ती सूची में प्रगणित सभी मामले जहां तक कोई ऐसा मामला संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू है, सिवाय सभी ऐसे मामलों के जिन्हें इन नियमों के अधीन भारत सरकार के किसी मंत्रालय अथवा विभाग को विनिर्दिष्टतः सौंपा गया है, जिसके अंतर्गत अंदमान और निकोबार द्वीप- समूहों के संबंध में शिक्षा, सड़क और उन पर पुल संकर्म और पारघाट भी हैं।

(IV) अन्य विषय

10. स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन और अन्य प्रसुविधाएं।

11. मानव अधिकार:-

- (i) “मानव अधिकार” के मामलों के संबंध में, साधारण नीतियों के लिए नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करना, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, या इस संबंध में कोई अन्य संस्थागत व्यवस्था भी है+;
- (ii) पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों द्वारा की गई अभिकथित ज्यादतियों से संबंधित मानव अधिकारों के अतिक्रमण+;
- (iii) देश के भीतर मानव अधिकार संगठनों और अन्य संबंधित संगठनों से पारस्परिक संवाद और विभिन्न विभागों और राज्य सरकारों से समन्वय+;
- (iv) मानव अधिकारों के संबंध में नीति का समन्वय।

टिप्पण: गृह मंत्रालय मानव अधिकारों से संबंधित समग्र नीति के लिए नोडल मंत्रालय होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, महिलाएं, अल्पसंख्यक, बच्चे और बंधुआ मजदूर जैसे विशिष्ट समूहों के कल्याण

और सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए मुख्य रूप से संबंधित विभाग इन विशिष्ट समूहों के मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने के संबंध में उत्तरदायी होंगे।

12. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, राष्ट्रीय सिविल रक्षा महाविद्यालय और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय से संबंधित विषय।
13. अग्निशमन सेवाओं का विकास।
14. किसी राज्य से संबंधित पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का उस राज्य के बाहर किसी क्षेत्र पर विस्तार किन्तु इससे एक राज्य की पुलिस उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र में उसकी शक्तियों और अधिकारिता का प्रयोग उस राज्य सरकार जिसमें वह क्षेत्र स्थित है, की सहमति के बिना नहीं कर सकेगी; किसी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का राज्य के बाहर रेल क्षेत्रों पर विस्तार।
15. पुलिस सुधार।
16. कारागार सुधार।
17. सड़कों और उन पर पुल संकर्मों और पारघाटों को छोड़कर, असम के स्वायत्तशासी जिलों से संबद्ध मामलों।
18. संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 में दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों के लिए राज्यों के राज्यपालों द्वारा बनाए गए विनियम।

ग. राजभाषा विभाग

(C. DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

1. संविधान के राजभाषा से संबंधित उपबंधों और राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) के उपबंधों का कार्यान्वयन, वहां तक के सिवाए, जहां तक इस प्रकार का कार्यान्वयन किसी अन्य विभाग को सौंप दिया गया है।
2. राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी भाषा का सीमित प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन।
3. संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों, जिनमें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण योजनाएं भी शामिल हैं, के लिए नोडल उत्तरदायित्व।
4. संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रचार साहित्य का प्रकाशन और वितरण।
5. संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों, जिनमें प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्य विवरण, पाठ्य-पुस्तक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उनके लिए अपेक्षित उपस्कर (मानकीकृत लिपि सहित) शामिल हैं, में समन्वय।
6. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और संवर्ग प्रबंध।
7. केन्द्रीय हिन्दी समिति, जिसमें इसकी उपसमितियां भी शामिल हैं, से संबंधित मामले।
8. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्थापित हिन्दी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य का समन्वय।
9. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित मामले।

—————

घ. गृह विभाग

(D. DEPARTMENT OF HOME)

1. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की अधिसूचना तथा राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह।
2. मृत्यु दण्डादेश के संबंध में क्षमा, प्रविलम्बन, निलम्बन, परिहार या लघुकरण और जिस विषय पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उससे संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराधों के लिए राज्यों के न्यायालयों द्वारा दण्डादिष्ट बंदियों से दण्डादेश के परिहार (मृत्यु से भिन्न) के लिए या क्षमा के लिए प्राप्त अर्जियां।
3. प्रधानमंत्री और संघ के अन्य मंत्रियों और संसदीय सचिवों की नियुक्ति और पदत्याग की अधिसूचनाएं निकालना।
4. राष्ट्रपति के नाम से कागज-पत्रों के अधिप्रमाणीकरण के लिए नियम।
5. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए कामकाज संबंधी मानक नियम।
6. राज्य सभा और लोक सभा के लिए नाम-निर्देशन।
7. राज्यपालों की नियुक्ति, पदत्याग और हटाया जाना तथा संबंधित मामले।
8. राज्यपालों द्वारा बनाए गए विनियम, जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किए गए हों।
9. (जम्मू-कश्मीर के सिवाय) राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा पारित विधेयक, जो राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किए गए हों; और राज्य विधान की बाबत राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार से पूर्व परामर्श।
10. राज्यों के राज्यपालों द्वारा निकाले गए अध्यादेशों के प्रख्यापन के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन।
11. राजगामी, व्यपगत या स्वामिहीनत्व होने से संघ प्रोदभूत संपत्ति।
12. किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त अनुपात द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध।
13. संविधान के (वित्तीय आपात से संबद्ध मामलों से भिन्न) आपात-उपबंधों से संबद्ध मामले।
14. न्यायिक मामलों में अन्य देशों के साथ हुए अभिसमय, जिनके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संबंधी प्रश्न और अश्लील प्रकाशनों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त निदेश व्यवहार आते हैं।
15. विधायकों के लिए आचरण-संहिता से संबंधित मामले।
16. मंत्रियों के लिए आचरण-संहिता।
17. सरकारी सेवकों की पत्नियों या आश्रितों का भारत में विदेशी मिशनों में नियोजन।
18. सिविल और सैनिक अधिकारियों का परस्पर आना-जाना।
19. भारत सरकार या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा संगठित लाटरियां।
20. जनगणना, जिसके अंतर्गत जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) तथा जनगणना (संशोधन) अधिनियम, 1993 (1994 का 11) का प्रशासन भी है।
21. शासकीय पोशाक।
22. राष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार और अनुपस्थिति छुट्टी विषयक अधिकार; संघ के मंत्रियों, उप-मंत्रियों और संसदीय सचिवों के वेतन और भत्ते।

23. राष्ट्रगान ।
 24. भारत का राष्ट्रीय ध्वज; राष्ट्रपति की और राज्यपाल की ध्वजाएं ।
 25. राज्य संप्रतीक ।
 26. अग्रता अधिपत्र ।
 27. पुरस्कार और अलंकरण ।
 28. राष्ट्रीय त्यौहार ।
 29. राष्ट्रीय एकीकरण और सांप्रदायिक सौहार्द से संबंधित मामले ।
 30. भौगोलिक नामों में परिवर्तन ।
 31. उच्च पदस्थ अधिकारियों की मृत्यु पर की जाने वाली कार्रवाई ।
 32. राजनीतिक पेशनें ।
 33. गदर के वीरों के आश्रितों को अनुकम्पा भत्ता ।
 34. गृह मंत्री की वैवेकिक निधि ।
 35. विष ।
 36. जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) का प्रशासन भी है ।
 37. समाचार-पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय ।
 38. निम्नलिखित का प्रशासन:
 - (क) जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) - विधायी पक्ष;
 - (ख) राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (1971 का 69);
 - (ग) धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 (1988 का 41);
 - (घ) उपासना-स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 (1991 का 42);
 - (ङ) अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, 1993 (1993 का 33) ।
-

ड जम्मू-कश्मीर कार्य विभाग

(E. DEPARTMENT OF JAMMU AND KASHMIR AFFAIRS)

1. जम्मू-कश्मीर राज्य की बाबत सांविधानिक उपबंध ।
2. जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंधित सभी विषय, जिनके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रति आतंकवाद और किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को विनिर्दिष्ट: आबंटित विषयों/मामलों की बाबत समन्वय जैसा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा पर तैनाती और प्रबंध के विषयक रक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय, परन्तु इसके अंतर्गत वे मामले नहीं हैं जिनका संबंध विदेश मंत्रालय से है ।
3. सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990 (1990 का 21) का प्रशासन ।
टिप्पण: जम्मू-कश्मीर कार्य विभाग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय करेगा, मुख्य रूप से जिनका संबंध जम्मू-कश्मीर में विकास और कल्याण कार्यकलापों से हैं, संबंधित मंत्रालय/विभाग उनको आबंटित विषयों की बाबत जिम्मेदार होंगे ।

च. सीमा प्रबंधन विभाग

(F. DEPARTMENT OF BORDER MANAGEMENT)

1. अंतर्राष्ट्रीय भूमि और तटीय सीमाओं का प्रबंध, उन विषयों के सिवाय जिन्हें रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को विनिर्दिष्टतः आबंटित किया गया है।
 2. इस सूची में निर्दिष्ट विषयों की बाबत राज्य सरकारों और भारत सरकार के अन्य विभागों के साथ समन्वय।
 3. सीमा पुलिस और सुरक्षा को सुदृढ़ करना।
 4. रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के समन्वय से सड़कों जैसी अवसंरचना का सृजन; सीमाओं पर बाड़ लगाना और परिप्रदीप्ति।
 5. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम।
-

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
(MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS)

1. निम्नलिखित के सिवाय संघ की सम्पत्तियां, चाहे वे भूमि हों या भवन, अर्थात्:
 - (क) वे जो रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के हों;
 - (ख) ऐसे भवन या भूमि, जिनके निर्माण या अर्जन के लिए वित्तपोषण सिविल संकर्म बजट से भिन्न बजट से किया गया हो;
 - (ग) ऐसी भूमि या भवन, जिनका नियंत्रण उनके निर्माण या अर्जन के समय या उसके पश्चात् स्थायी रूप से अन्य मंत्रालयों और विभागों को सौंप दिया गया हो।
2. सभी सिविल संकर्म और भवन, जिनके अन्तर्गत, सड़कों को छोड़कर और रेल मंत्रालय, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग द्वारा निष्पादित और उनके भवनों को छोड़कर, संघ राज्य क्षेत्रों के सिविल संकर्म और भवन भी हैं।
3. उद्यान कृषि संक्रियाएं।
4. केन्द्रीय लोक निर्माण संगठन।
5. मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी होस्टलों सहित सरकारी सम्पदाओं का प्रशासन। महानगरों में कार्यालयों का अवस्थापन या वहां से उनका विसर्जन।
6. विज्ञान भवन में जगह का आबंटन।
7. चार पुनर्वास बाजारों, अर्थात् सरोजिनी नगर मार्केट, शंकर मार्केट, प्लेजर गार्डन मार्केट और कमला मार्केट का प्रशासन।
8. विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) के अधीन दिल्ली और नई दिल्ली में सरकार द्वारा निर्मित सम्पत्तियों की बाबत पट्टा या हस्तांतरण पत्र जारी करना और पट्टा विलेखों का संपरिवर्तन करना, ऐसी सम्पत्तियों से लगी हुई भूमि की अतिरिक्त पट्टियों और सुधारक क्षेत्रों का आबंटन।
9. भारत सरकार के लिए लेखन सामग्री और मुद्रण, जिसके अंतर्गत सरकारी प्रकाशन भी हैं।
10. रेल मंत्रालय, रेल बोर्ड को आबंटित कार्य-मदों के अधीन रहते हुए रेल आधारित प्रणालियों की तकनीकी योजना सहित शहरी परिवहन प्रणालियों की योजना और समन्वय।
11. ऐसी रेल आधारित शहरी परिवहन प्रणालियों से भिन्न जो भारतीय रेल द्वारा वित्तपोषित हैं, रेल आधारित शहरी परिवहन प्रणालियों के लिए अधिकतम और न्यूनतम दरों तथा भाड़ों का नियतन।
12. नगर निगम सीमाओं या किसी अन्य संलग्न क्षेत्र के भीतर ट्रामवे, जिसके अन्तर्गत उन्नत द्रुतगामी ट्राम भी हैं।
 41. नगर और ग्राम योजना; महानगरीय क्षेत्रों की योजना और विकास से संबंधित विषय, इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता।
 41. दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अर्जन, विकास और निपटान की योजनाएं।
15. दिल्ली विकास प्राधिकरण।

16. दिल्ली का मास्टर प्लान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मास्टर प्लान तथा गन्दी बस्ती सफाई विषयक काम का समन्वय ।
17. स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में स्मारकों का परिनिर्माण ।
18. सरकारी कालोनियों का विकास ।
19. स्थानीय सरकार, अर्थात् नगर निगमों का (दिल्ली नगर निगम को छोड़कर), नगर पालिकाओं का (नई दिल्ली नगर पालिका समिति को छोड़कर) और पंचायती राज संस्थाओं को छोड़कर अन्य स्थानीय स्वायत्त शासनों का गठन और उनकी शक्तियां।
20. दिल्ली नगर निगम का दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन उपक्रम ।
21. शहरी क्षेत्रों से संबंधित (जल शक्ति मंत्रालय) को सौंपे गए जल योजना और समन्वय के सम्पूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अधीन रहते हुए) जल प्रदाय, मलव्ययन, जल-निकास तथा स्वच्छता और आबंटित जल संसाधनों से जुड़ावा। इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता ।
22. केन्द्रीय स्थानीय स्व-शासन परिषद् ।
23. दिल्ली में सरकारी भूमि का आबंटन ।
24. राजघाट समाधि समिति का प्रशासन ।
25. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना और विकास तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) के प्रशासन से संबंधित सभी विषय ।
26. भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास (इनटैक) से संबंधित विषय ।
27. आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) से संबंधित सभी विषय ।
- 27 क. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड तथा उसकी समनुषंगियों से संबंधित मामले ।
- 27 ख. हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड से संबंधित मामले ।
28. आवास नीति और कार्यक्रम तैयार करना (ग्रामीण आवास को छोड़कर, जिसे ग्रामीण विकास विभाग को सौंपा गया है), योजना स्कीमों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन, आवास, निर्माण सामग्री और तकनीक संबंधी आंकड़ों का संग्रहण और प्रसारण, निर्माण लागत घटाने के लिए साधारण उपाय और राष्ट्रीय आवास नीति का केन्द्रीय उत्तरदायित्व ।
29. मानव बस्तियां, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती आयोग तथा आवासन और मानव-बस्ती के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता भी हैं ।
30. शहरी विकास, जिसके अंतर्गत मलिन बस्ती सफाई योजनाएं तथा झुग्गी-झोंपड़ी हटाने की योजनाएं भी हैं। इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता ।
31. राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ ।
32. शहरी रोजगार और शहरी गरीबी उपशमन संबंधी विशिष्ट कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, जिसके अंतर्गत समय-समय पर बनाए गए अन्य कार्यक्रम भी हैं ।

33. स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का 30) का प्रशासन।
 34. दिल्ली होटल (आवासन का नियंत्रण) अधिनियम, 1949 (1949 का 24) का प्रशासन।
 35. सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40)।
 36. दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) का प्रशासन।
 37. दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (1958 का 59)।
 38. नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33)।
 39. दिल्ली नागरी कला आयोग, दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1)।
 40. पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7) का प्रशासन।
 41. भूसंपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) का प्रशासन।
-

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)

क. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
(A. DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY)

1. प्रारंभिक शिक्षा ।
 2. बुनियादी शिक्षा ।
 3. बालभवन, बाल-संग्रहालय ।
 4. सामाजिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा ।
 5. इस सूची की प्रविष्टियों के संदर्भ में श्रव्य - दृश्य शिक्षा ।
 6. इस सूची की मदों की बाबत पुस्तकें (उन पुस्तकों से भिन्न, जिनसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संबंध है) और पुस्तक विकास (लेखन-कागज और अखबारी कागज उद्योग, जिससे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संबंध है, को छोड़कर) ।
 7. इस सूची की मदों की बाबत शैक्षिक अनुसंधान ।
 8. इस सूची की मदों के संदर्भ में प्रकाशन, सूचना और आंकड़े ।
 9. इस सूची की मदों के संदर्भ में शिक्षकों को प्रशिक्षण ।
 10. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ।
 11. इस विभाग द्वारा व्यवहृत विषयों से संबंधित पूर्त कार्य और पूर्त संस्थाएं, पूर्त कार्य व धार्मिक विन्यास।
 12. माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक मार्गदर्शन ।
 13. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ।
-

ख. उच्चतर शिक्षा विभाग

(B. DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

1. विश्वविद्यालय शिक्षा; केन्द्रीय विश्वविद्यालय; ग्रामीण उच्चतर शिक्षा; उच्चतर शिक्षा और तकनीकी शिक्षा योजना और स्कूल शिक्षा विकास से संबंधित विदेशी सहायता कार्यक्रम ।
2. उच्चतर विद्या (विश्वविद्यालय से भिन्न) की संस्थाएं ।
3. इस सूची की मदों की बाबत पुस्तकें (उन पुस्तकों से भिन्न, जिनसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संबंध है) और पुस्तक विकास (लेखन-कागज और अखबारी कागज उद्योग, जिससे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संबंध है, को छोड़कर) ।
4. इस सूची की मदों के संदर्भ में श्रव्य - दृश्य शिक्षा ।
5. प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य-पुस्तकें तैयार करना ।
6. लोप किया गया ।
7. शैक्षिक अनुसंधान ।
8. प्रकाशन, सूचना और सांख्यिकी ।
9. बहुभाषीय शब्दकोषों सहित हिन्दी का विकास और प्रसार ।
10. हिन्दी के शिक्षण और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता देना ।
11. संस्कृत का प्रचार और विकास ।
12. विस्थापित अध्यापकों और विद्यार्थियों के पुनर्वास की तथा अन्य समस्याएं ।
13. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ।
14. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) और युनेस्को के साथ सहयोगार्थ भारतीय राष्ट्रीय आयोग ।
15. इस विभाग द्वारा व्यवहृत विषयों में विदेशी राष्ट्रों और विदेशी अभिकरणों द्वारा प्रस्तावित छात्रवृत्तियों सहित सभी छात्रवृत्तियों से संबंधित विषय, किन्तु इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अधिसूचना से निकाले गए, यायावर और अर्ध-यायावर जन-जातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां तथा साधारण छात्रवृत्ति योजनाएं तथा विभिन्न योजनाओं के अधीन विदेशी विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां नहीं आती हैं ।
16. विदेश में भारतीय विद्यार्थियों की शिक्षा और कल्याण; विदेश में भारतीय मिशनों के शिक्षा विभाग; विदेश में शिक्षा संस्थाओं और भारतीय विद्यार्थी संगमों को वित्तीय सहायता ।
17. शिक्षा आदान-प्रदान कार्यक्रम; अध्यापकों, आचार्यों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, आदि का आदान-प्रदान; भारत और विदेशों के बीच विद्योपासकों के आदान-प्रदान का कार्यक्रम ।
18. विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को विदेशों में नियुक्तियां स्वीकार करने की अनुमति प्रदान करना ।

19. भारतीय संस्थाओं में विदेशी विद्यार्थियों का प्रवेश ।
20. इस विभाग में व्यवहृत विषयों के संबंध में पूर्त और पूर्त-संस्थाएं, पूर्त और धार्मिक विन्यास ।
21. विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं में उच्चतर गणित, न्यूक्लीय विज्ञान और परमाणु ऊर्जा में अनुसंधान से भिन्न, तदर्थ वैज्ञानिक अनुसंधान ।
22. विज्ञान मंदिर ।
23. गणित, न्यूक्लीय विज्ञान और परमाणु ऊर्जा से भिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले वैज्ञानिकों को आंशिक वित्तीय सहायता के बारे में साधारण नीति ।
24. तकनीकी शिक्षा का विस्तार, विकास और समन्वय ।
25. योजना और स्थापत्य स्कूल ।
26. प्रादेशिक मुद्रण स्कूल ।
27. तकनीकी शिक्षा के लिए राज्य सरकारों की संस्थाओं, गैर-सरकारी संस्थाओं, संघ राज्यक्षेत्रों के वृत्तिक निकायों और तकनीकी संस्थाओं को सहायता अनुदान । बुनियादी विज्ञानों में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए सहायता अनुदान; मूल विज्ञान में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए अनुदान। शैक्षिक संस्थाओं में उच्चतर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय शिक्षा के विकास और अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान; विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मूल अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान; मूल अनुसंधान के लिए व्यष्टियों को अनुदान ।
28. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय डिप्लोमा और राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र परीक्षाएं संचालित करना भी है ।
29. इंजीनियरी और प्रौद्योगिकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधाएं ।
30. भारत सरकार के अधीन पदों पर भर्ती के प्रयोजन के लिए वृत्तिक/तकनीकी अर्हता की मान्यता ।
31. राष्ट्रीय अनुसंधान आचार्यवृत्ति और अध्येतावृत्ति ।
32. भारत में वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में विदेशी परीक्षा का आयोजन ।
33. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।
34. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ।
35. भारतीय प्रशासनिक कर्मचारीवृन्द महाविद्यालय, हैदराबाद ।
36. भारतीय खान तथा अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान स्कूल, धनबाद ।
37. खड़गपुर, मुंबई, कानपुर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहटी और रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ।
38. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर ।
39. टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुंबई ।
40. भारत में और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी गृह ।
41. आधुनिक भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए स्कीमें ।

42. इंजीनियरी व्यावसायिक सेवाओं का विनियमन ।
 43. वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 का 20) ।
-

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING)

I. प्रसारण नीति और प्रशासन

1. संघ के भीतर रेडियो और टेलीविजन से प्रसारण संबंधी समस्त मामले, जिसमें लोक सभा और विधान सभा के निर्वाचनों के समय मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के उपयोग का विनियमन तथा किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति की मृत्यु पर राष्ट्रीय शोक की अवधि के दौरान सरकारी इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया भी सम्मिलित है।
2. प्राइवेट भारतीय कंपनियों या भारतीय राष्ट्रियों द्वारा भारत में रेडियो और टेलीविजन प्रसारण से संबंधित विधि का प्रारंभ और क्रियान्वयन।
3. प्रसारण की मानीटरी तथा प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25)।
4. भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा तथा भारतीय प्रसारण (इंजीनियरी) सेवा से संबंधित सभी मामले, जब तक कि उन्हें प्रसार भारती को नहीं सौंपा जाता।

II. केबल दूरदर्शन नीति

5. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7)।

III. रेडियो

6. आकाशवाणी से संबंधित सभी कारबार, जिसमें घरेलू कार्यक्रम, विदेशी राष्ट्रों और विदेशस्थ भारतीयों के लिए कार्यक्रम, रेडियो पत्रिकाओं, प्रसारण इंजीनियरी के क्षेत्र में अनुसंधान, विदेशी प्रसारण को मानीटर करने, कार्यक्रम आदान-प्रदान और प्रतिलेखन सेवा, सामुदायिक श्रवण स्कीम, आदि के अधीन राज्य सरकारों को सामुदायिक रिसेविंग सेटों के प्रदाय में समाचार सेवा समाविष्ट है।
7. संपूर्ण संघ में रेडियो प्रसारण का विकास, रेडियो स्टेशनों और ट्रांसमीटरों का संस्थापन और अनुरक्षण तथा प्रसारण सेवा का प्रचालन।

IV. दूरदर्शन

8. आदान-प्रदान, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन कार्यक्रमों का सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी है।
9. संपूर्ण संघ में दूरदर्शन का विकास, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों और ट्रांसमीटरों का संस्थापन, अनुरक्षण और प्रचालन तथा दूरदर्शन सेवाओं का प्रचालन भी है।
10. दूरदर्शन से बाहर दूरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण का संवर्धन।

V. फिल्में

11. संघ सूची की प्रविष्टि 60 के अधीन विधान, अर्थात् 'प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की मंजूरी।
12. चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) का प्रशासन।
13. नाट्यशाला और नाट्यशालेतर फिल्मों देखने के लिए फीचर तथा लघु फिल्मों का आयात।
14. फीचर और लघु, दोनों भारतीय फिल्मों का निर्यात।

15. फिल्म उद्योग द्वारा अपेक्षित अनुदूभाषित चलचित्र फिल्म और विविध प्रकार के उपस्करों का आयात ।
16. फिल्म उद्योग से संबंधित सभी मामले, जिसके अंतर्गत उससे संबंधित विकास और संवर्धन कार्यकलाप भी हैं।
17. भारत में निर्मित फिल्मों के लिए राज्य पुरस्कारों की स्थापना करके तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड की सहायता से अच्छे सिनेमा का संवर्धन ।
18. अंतर्देशीय और विदेश में प्रचार के लिए वृत्त चित्रों और समाचार-चित्रों तथा अन्य फिल्मों और फिल्म-स्ट्रिप्स का निर्माण और वितरण ।
19. फिल्म तथा फिल्म से संबंधित सामग्रियों का परिरक्षण ।
20. भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सवों का आयोजन तथा विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सवों में भारत की भागीदारी ।
21. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अंतर्गत फिल्मोत्सवों का आयोजन ।
22. फिल्म सोसायटी आंदोलन ।

VI. विज्ञापन और दृश्य प्रचार

23. भारत सरकार की ओर से विज्ञापनों का निर्माण और प्रकाशन ।

VII. प्रेस

24. भारत सरकार की नीतियों और क्रियाकलापों का प्रेस के माध्यम से निरूपण और निर्वचन ।
25. प्रेस से संबंधित सूचना समस्याओं पर सरकार को सलाह देना, प्रेस में यथा परावर्तित लोकमत की प्रमुख प्रवृत्तियों से सरकार को अवगत कराना तथा सरकार और प्रेस के बीच संपर्क स्थापित करना ।
26. सशस्त्र बलों का और उनके लिए प्रचार ।
27. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 95 और 96 के प्रशासन को छोड़कर, प्रेस के साथ सरकार के संबंधों का साधारण संचालन ।
28. प्रेस तथा पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) का समाचारपत्रों से संबद्ध प्रशासन ।
29. प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37) का प्रशासन ।
30. समाचार-पत्रों को अखबारी कागज का वितरण ।

VIII. प्रकाशन

31. देश की तथा विदेशों की आम जनता को भारत के संबंध में अद्यतन और ठीक-ठीक जानकारी कराने की दृष्टि से, अंतर्देशीय तथा विदेश प्रचार के राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों पर लोकप्रिय पुस्तिकाओं, पुस्तकों तथा जरनलों का निर्माण, विक्रय तथा वितरण ।

IX. अनुसंधान और संदर्भ

32. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सूचना माध्यम एककों को हर उस सामग्री के संग्रहण, संकलन और तैयारी में सहायता करना जिसमें प्रकाशित कृतियों, आदि में अनुसंधान करना अंतर्ग्रस्त है ।

33. मंत्रालय के सूचना माध्यम एककों के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर ज्ञान का सार संग्रहण तैयार करना और सामयिक तथा अन्य विषयों पर मार्गदर्शन तथा पृष्ठभूमि टिप्पण तैयार करना ।

X. प्रकीर्ण

34. भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार ।
35. पत्रकार कल्याण निधि का प्रशासन ।
36. गायक और वादक, दोनों प्रकार, के प्रसिद्ध संगीतज्ञों को, नर्तक नर्तकियों को और नाटककारों को, जिन्होंने, आकाशवाणी और इस मंत्रालय के अन्य एककों की सफलता में सारभूत योगदान दिया है, या निर्धनावस्था वाले उनके उत्तरजीवियों को वित्तीय सहायता ।
37. एशियाई पैसिफिक प्रसारण यूनियन, राष्ट्रकुल प्रसारण एसोसिएशन और गुट-निरपेक्ष समाचार अभिकरण पूल से संबंधित सभी मामले ।
38. भारतीय सूचना सेवा (समूह 'क' और 'ख') का काडर प्रबंध ।

XI. संलग्न और अधीनस्थ संगठन

39. (क) आकाशवाणी;
(ख) दूरदर्शन;
(ग) प्रेस सूचना ब्यूरो;
(घ) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय;
(ङ) प्रकाशन प्रभाग;
(च) भारत के समाचार-पत्र रजिस्ट्रार का कार्यालय;
(छ) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड;
(ज) फिल्म प्रभाग;
(झ) फिल्मोत्सव निदेशालय;
(ञ) भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार;
(ट) क्षेत्र प्रचार निदेशालय;
(ठ) गीत और नाट्य प्रभाग;
(ड) अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग;
(ढ) फोटो प्रभाग;
(ण) प्रधान लेखा कार्यालय;
(त) केन्द्रीय मानीटरी सेवा ।

XII. स्वायत्त संगठन

40. (क) भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान, पुणे;
(ख) सत्यजीत रे फिल्म और दूरदर्शन संस्थान, कोलकाता;
(ग) भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी;
(घ) भारतीय जनसंपर्क संस्थान;

- (ड) भारतीय प्रेस परिषद;
(च) भारतीय फिल्म सोसाइटी परिसंघ ।

XIII. पब्लिक सेक्टर उपक्रम

41. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड ।
42. प्रसारण इंजीनियर्स परामर्शी (भारत) लिमिटेड ।
-

जल शक्ति मंत्रालय

क. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

I. साधारण

1. राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल का विकास, संरक्षण और प्रबंध; जल के विविध उपयोगों और नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में जल योजना और समन्वय का संपूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य ।
2. राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् ।
3. साधारण नीति, तकनीकी सहायता, अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण और सिंचाई से संबंधित सभी मामले, जिनके अंतर्गत बहुउद्देशीय, बड़े, मध्यम, लघु और आपातकालिक सिंचाई संकर्म भी आते हैं; नौवहन और जल विद्युत संबंधी जलीय संरचनाएं; नलकूप और भूमि जल का अन्वेषण एवं दोहन; भूमि जल संसाधनों का संरक्षण और परिरक्षण; धरातलीय और भूमि जल का संयुक्त उपयोग, कृषि प्रयोजनों के लिए सिंचाई, जल प्रबंध, कमान क्षेत्र विकास; जलाशयों और जलाशय अवसादन प्रबंध; बाढ़ (नियंत्रण) प्रबंध, जल-निकास, सूखा नियंत्रण, जल-जमाव और समुद्री कटाव समस्याएं; बांध सुरक्षा ।
4. अंतर्राज्यिक नदियों और नदी घाटियों का विनियमन और विकास । स्कीमों के माध्यम से अधिकरणों के पंचाटों का कार्यान्वयन, नदी बोर्ड ।
5. जल विधि, विधायन ।
6. जल गुणवत्ता निर्धारण ।
7. केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा (समूह क) का काडर नियंत्रण और प्रबंध ।

II. अंतर्राष्ट्रीय पहलू

8. जल संसाधन विकास और प्रबंध, जल निकास और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आयोग और सम्मेलन ।
9. अंतर्राष्ट्रीय जल विधि ।
10. भारत और पड़ोसी देशों की साझी नदियों से संबंधित मामले; बंगलादेश के साथ संयुक्त नदी आयोग; सिंधु जल संधि, 1960; स्थायी सिंधु आयोग ।

11. जल संसाधन विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय और बाह्य सहायता तथा सहयोग कार्यक्रम।

III. विभाग के अधीन संगठन और निकाय

12. केन्द्रीय जल आयोग ।

13. केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र ।

14. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ।

15. केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण ।

16. केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र ।

17. फरक्का बराज परियोजना ।

18. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ।

19. फरक्का बराज परियोजना नियंत्रण बोर्ड ।

20. सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति ।

21. ब्रह्मपुत्र बोर्ड ।

22. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ।

23. बेतवा नदी बोर्ड ।

24. राष्ट्रीय जल-विज्ञान संस्थान ।

25. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ।

26. बाणसागर नियंत्रण बोर्ड ।

27. तुंगभद्रा बोर्ड ।

28. अपर यमुना नदी बोर्ड ।

29. जल और विद्युत परामर्शी सेवा (भारत) लिमिटेड (वापकोस) ।
30. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड ।
31. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण जिसके अंतर्गत मिशन निदेशालय, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन और गंगा संरक्षण से संबंधित अन्य मामले भी हैं ।
32. नदियों का संरक्षण, विकास, प्रबंधन और नदियों के प्रदूषण का उपशमन ।
33. राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय

IV. अधिनियमों का प्रशासन

34. उत्तरी भारत नहर और जल-निकास अधिनियम, 1873 (1873 का 8) ।
 35. अंतर-राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) ।
 36. नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 (1956 का 49) ।
 37. बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 (1976 का 63) ।
 38. ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) ।
-

ख. पेय जल और स्वच्छता विभाग

1. ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित ग्रामीण जल पूर्ति (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को सौंपे गए जल योजना और समन्वय के संपूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अधीन रहते हुए), मल व्ययन, जल निकास और स्वच्छता; इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता ।
 2. लोक सहकारिता, जिसके अंतर्गत स्वैच्छिक अभिकरणों से संबंधित मामले भी हैं जहां तक उनका संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जल पूर्ति, मल-व्ययन, जल निकास और स्वच्छता से है ।
 3. इस सूची की मदों से संबंधित सहकारी समितियां ।
 4. शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पेय जल पूर्ति परियोजनाओं और मुद्दों से संबंधित विषयों के संबंध में समन्वय ।
-

श्रम और रोजगार मंत्रालय
(MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT)

भाग I. संघ विषय

1. संघ रेलों की बाबत – मजदूरी संदाय, व्यवसाय-विवाद, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत न आने वाले कर्मचारियों के लिए काम के घंटे और बालकों के नियोजन का विनियमन ।
2. डॉक की बाबत – डॉक श्रम से संबंधित सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपायों का विनियमन ।
3. खानों और तेल-क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन ।

भाग II. समवर्ती विषय

4. कारखाने ।
5. श्रम-कल्याण – श्रम की औद्योगिक, वाणिज्यिक और कृषि संबंधी दशायें; भविष्य निधियां, कुटुम्ब पेंशन, उपदान, नियोक्ता का दायित्व और कर्मकार प्रतिकर; स्वास्थ्य और रोग बीमा, जिसमें अशक्तता पेंशन, वार्धक्य पेंशन, कारखानों में कार्य दशाओं का सुधार सम्मिलित है; औद्योगिक उपक्रमों में कैटीनें ।
6. बेकारी बीमा ।
7. व्यवसाय संघ; उद्योग और श्रम संबंधी विवाद ।
8. श्रम संबंधी आंकड़े ।
9. ग्रामीण रोजगार और बेरोजगारी के सिवाय, रोजगार और बेरोजगारी ।
10. लोप किया गया ।

भाग III. हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा राज्यों और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए अतिरिक्त कार्य।

11. उपर्युक्त भाग II में वर्णित मर्दे ।

भाग IV. उपर्युक्त भाग I, II और III में वर्णित मामलों में से किसी के संबंध में आनुषंगिक कार्य ।

12. अन्य देशों से की गई संधियों और करारों का कार्यान्वयन ।
13. केन्द्रीय सरकार के सभी औद्योगिक अधिकरणों/श्रम न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां ।

भाग V. प्रकीर्ण कार्य

14. रोजगार कार्यालय ।
15. लोप किया गया ।
16. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.)।
17. त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन ।

18. युद्ध क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1943 (1943 का 23) और स्कीम ।
19. कोयला खानों से भिन्न, खानों में सुरक्षा और कल्याण से संबंधित विधियों का; और खान और अभ्रक खान कल्याण के मुख्य निरीक्षक के संगठनों का प्रशासन ।
20. भारतीय डॉक श्रमिक अधिनियम, 1934 और तदधीन बनाए गए विनियम और डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के अधीन निर्मित डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) स्कीम, 1961 का प्रशासन ।
21. चाय जिला उत्प्रवासी श्रम (निरसन) अधिनियम, 1970 (1970 का 50) और उत्प्रवासी श्रम नियंत्रक के संगठन का प्रशासन ।
22. **लोप किया गया ।**
23. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) का प्रशासन ।
24. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34), कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) तथा उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) का प्रशासन ।
25. केन्द्रीय क्षेत्र के उपक्रमों में श्रम विषयक विधियों का प्रशासन ।
26. श्रम संबंधी आंकड़े; श्रम ब्यूरो के निदेशक का संगठन ।
27. मुख्य श्रम आयुक्त का संगठन और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, केन्द्रीय सरकार श्रम न्यायालयों, राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का गठन और प्रशासन ।
28. कारखानों के मुख्य सलाहकार का संगठन, कर्मचारीवृन्द प्रशिक्षण प्रभाग, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय श्रम संस्थान, उद्योग केन्द्रों के भीतर उत्पादकता और प्रशिक्षण तथा सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के प्रादेशिक संग्रहालय भी हैं ।
29. बागान श्रमिक और बागान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का 69) का प्रशासन ।
30. केन्द्रीय सरकार के श्रम अधिकारियों की भर्ती, तैनाती, स्थानांतरण और प्रशिक्षण ।
31. श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तों) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) का प्रशासन ।
32. कर्मकारों की शिक्षा संबंधी स्कीमें ।
33. प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के संबंध में स्कीमें ।
34. उद्योग में अनुशासन ।
35. अलग-अलग उद्योगों के लिए मजदूरी बोर्डों का गठन ।
36. मोटर परिवहन कर्मकारों के काम की दशाओं का विनियमन ।
37. देश में श्रम विषयक विधियों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन ।
38. सिनेमा कर्मकारों और सिनेमा थियेटर कर्मकारों के काम की दशाओं और उनके कल्याण से संबंधित विधियों का प्रशासन ।
39. प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खानों और कारखानों के लिए), राष्ट्रीय विश्वकर्मा पुरस्कार ।

40. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) और भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) ।
 41. बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा-शर्त) अधिनियम, 1976 (1976 का 11) ।
 42. भविष्य निधि अधिनियम, 1925 का प्रशासन (1925 का 19) ।
-

विधि और न्याय मंत्रालय
(MINISTRY OF LAW AND JUSTICE)

क. विधि कार्य विभाग

(A. DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

1. विधिक मामलों पर मंत्रालयों को सलाह देना, जिसके अंतर्गत संविधान और विधियों का निर्वचन, हस्तांतरण लेखन, और उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में, जहां भारत संघ एक पक्षकार है, भारत संघ की ओर से उपसंजात होने के लिए काउंसिल का नियोजन भी है।
2. भारत का महान्यायवादी, भारत का महासालिसिटर तथा राज्यों के केन्द्रीय सरकार के ऐसे अन्य विधि अधिकारी, जिनकी सेवाओं का उपयोग भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा मिल-बांट कर किया जाता है।
3. केन्द्रीय सरकार की ओर से और केन्द्रीय अभिकरण स्कीम में भाग लेने वाले राज्यों की सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन।
4. सिविल वादों में सम्मनों की तामील, सिविल न्यायालयों की डिक्रियों के निष्पादन, भरण-पोषण आदेशों के प्रवर्तन, और भारत में निर्वसीयत मरने वाले विदेशियों की सम्पदाओं के प्रशासन के लिए विदेशों के साथ व्यतिकारी व्यवस्था।
5. संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अधीन राष्ट्रपति की ओर से संविदाओं और आश्वासनों और संपत्ति-संबंधी हस्तांतरण पत्रों के निष्पादन के लिए अधिकारियों का प्राधिकृत किया जाना और केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वादों में वाद-पत्रों या लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और उनका सत्यापन करने के लिए अधिकारियों का प्राधिकृत किया जाना।
6. भारतीय विधि सेवा।
7. सिविल विधि के मामलों में विदेशों के साथ संधियां और करार।
8. विधि आयोग।
9. विधिक वृत्ति, जिसके अंतर्गत अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) और उच्च न्यायालयों के समक्ष विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति भी हैं।
10. उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता का परिवर्धन और उसको अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करना; उच्चतम न्यायालय के समक्ष विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार व्यक्ति; भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश।
11. नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) का प्रशासन।
12. आय-कर अपील अधिकरण।
13. विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण।
14. लोप किया गया।

ख. विधायी विभाग

(B. LEGISLATIVE DEPARTMENT)

1. विधेयकों का प्रारूपण, जिसके अंतर्गत प्रवर समितियों में प्रारूपकारों का कार्य भी है, अध्यादेशों और विनियमों का प्रारूपण और प्रख्यापन; राज्य अधिनियमों का राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमन, जब भी अपेक्षित हो; कानूनी नियमों और आदेशों की संवीक्षा (राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 और धारा 3क, धारा 3घ, धारा 7 तथा धारा 8क के अधीन अधिसूचनाओं को छोड़कर)।
2. संविधान आदेश; संविधान (संशोधन) अधिनियमों को प्रवृत्त करने के लिए अधिसूचनाएं।
3. (क) केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का प्रकाशन;
(ख) राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5(1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों और उप विधियों के प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन।
4. अनिरसित केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और साधारण कानूनी नियमों और आदेशों के विनियमों का संकलन और प्रकाशन तथा अन्य समरूप प्रकाशन।
5. संसद, राज्यों के विधान-मंडलों, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन; तथा निर्वाचन आयोग।
6. यथासंभव, सभी राजभाषाओं में प्रयोग के लिए, मानक विधि शब्दावली तैयार करना तथा उसका प्रकाशन।
7. सभी केन्द्रीय अधिनियमों और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों तथा उनके द्वारा बनाये गये सभी विनियमों और ऐसे अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये सभी नियमों, विनियमों और आदेशों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ तैयार करना।
8. केन्द्रीय अधिनियमों और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों तथा उनके द्वारा बनाए गए विनियमों का राज्यों की राजभाषाओं में अनुवाद करने और सभी राज्य अधिनियमों और अध्यादेशों का, यदि ऐसे अधिनियम अथवा अध्यादेश हिन्दी से भिन्न किसी अन्य भाषा में हों, हिन्दी अनुवाद करने की व्यवस्था करना।
9. विधि-पुस्तकों और विधि-पत्रिकाओं का हिन्दी में प्रकाशन।
निम्नलिखित विषय, जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-III के अंतर्गत आते हैं (केवल विधान की बाबत):
10. विवाह और विवाह-विच्छेद; शिशु और अवयस्क; दत्तकग्रहण; विल; इच्छापत्र हीनता और उत्तराधिकार, अविभक्त कुटुम्ब और विभाजन।
11. कृषि भूमि (जिसके अंतर्गत बेनामी संव्यवहार, विलेखों और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण नहीं है) से भिन्न, संपत्ति का अन्तरण।
12. संविदायें, किन्तु इनके अंतर्गत कृषि भूमि संबंधी संविदायें नहीं आती हैं।
13. अनुयोज्य दोष।
14. लोप किया गया।
15. न्यास और न्यासी, प्रशासक, साधारण और शासकीय न्यासी।
16. साक्ष्य और शपथ।

17. सिविल प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत परिसीमा और माध्यस्थम भी हैं।
 18. पूर्त और धार्मिक विन्यास तथा धार्मिक संस्थाएं।
-

ग. न्याय विभाग

(C. DEPARTMENT OF JUSTICE)

1. भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदत्याग और उनका हटाया जाना; उनके वेतन, अनुपस्थिति छुट्टी विषयक अधिकार (जिसके अंतर्गत छुट्टी के भत्ते हैं), पेंशनें और यात्रा भत्ते ।
2. राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदत्याग और उनका हटाया जाना, आदि; उनके वेतन, अनुपस्थिति छुट्टी विषयक अधिकार (जिसके अंतर्गत छुट्टी भत्ते हैं), पेंशनें और यात्रा भत्ते ।
3. संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक आयुक्तों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति ।
4. उच्चतम न्यायालय का गठन और संगठन (जिसके अंतर्गत अधिकारिता और शक्तियां नहीं आती, किन्तु ऐसे न्यायालयों का अवमान आता है) और उसमें ली जाने वाली फीसों ।
5. उच्च न्यायालयों और न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों से संबद्ध उपबंधों के सिवाय, इन न्यायालयों का गठन और संगठन ।
6. संघ राज्य क्षेत्रों में न्याय का प्रशासन और न्यायालयों का गठन और संगठन तथा ऐसे न्यायालयों में ली जाने वाली फीसों ।
7. संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय फीस और स्टाम्प शुल्क ।
8. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन ।
9. संघ राज्य क्षेत्रों में जिला जजों तथा वहां की उच्चतर न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों की सेवा-शर्तें ।
10. किसी संघ राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार या किसी संघ राज्य क्षेत्र का किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता से अपवर्जन ।
11. निर्धनों के लिए विधिक सहायता ।
12. न्याय प्रशासन ।
13. न्याय तक पहुंच, न्याय का परिदान और विधिक सुधार ।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES)

भाग I

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I के विषय :

1. वे उद्योग, जिनका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27); के अधीन जहां तक उनका संबंध क्रमशः लघु औद्योगिक उपक्रमों तथा अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों और, यथास्थिति, उक्त अधिनियमों में परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से है; संघ द्वारा विकास और विनियमन संसद द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित किया जाता है।

भाग II

2. संघ राज्यक्षेत्रों के लिए, उपरोक्त भाग I में उल्लिखित विषय, जहां तक वे इन राज्यक्षेत्रों के संबंध में विद्यमान हैं।

भाग III

साधारण और पारिणामिक:

3. खादी, कुटीर, ग्रामीण और कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए सभी उपायों संबंधी नीति और नियोजन से संबंधित सभी विषय और उनका समन्वय।
4. राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड।
5. सहकारी चीनी कारखानों के सिवाय, कुटीर, खादी, ग्रामीण और कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सैक्टर में सहकारिता।
6. सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा, मंत्रालयों या विभागों, लोक क्षेत्र के उपक्रमों और केन्द्रीय सरकार की सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा उत्पादित पदार्थों और दी जा रही सेवाओं के उपापन के लिए अधिमानी नीतियों से संबंधित सभी विषय।
7. कुटीर, खादी, ग्रामीण और कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के साथ तकनीकी और आर्थिक सहकारिता से संबंधित सभी विषय।
- 7क. ऐसे सेक्टरों, जिनका किसी विनिर्दिष्ट विभाग को आबंटन नहीं किया गया है, में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित सेक्टरीय मुद्दे।
- 7ख. स्वादों और सुगंधों का विकास।

भाग IV

संबद्ध कार्यालय:

8. लघु उद्योग विकास संगठन (एसआईडीओ) और विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, जिसमें लघु उद्योग विकास संगठन की क्षेत्रीय इकाईयां जैसे लघु उद्योग सेवा संस्थान, क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र और क्षेत्र परीक्षण स्टेशन, लघु उद्यमी संवर्धन और प्रशिक्षण संस्थान (एसईपीटीआई), आदि शामिल हैं।

भाग V

कानूनी और स्वायत्त निकाय तथा प्रशिक्षण संस्थान:

9. खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग (केवीआईसी), मुम्बई।
10. कयर बोर्ड (सीबी), कोच्चि।
11. लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा चलाए जाने वाले टूल रूम्स तथा प्रशिक्षण केन्द्र।
12. उद्यमता विकास और कुशलता विकास या प्रशिक्षण संस्थान:
 - (i) राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएसआईटी), हैदराबाद।
 - (ii) लोप किया गया।
 - (iii) लोप किया गया।
 - (iv) केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), आगरा।
 - (v) केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), चेन्नै।
 - (vi) खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के सभी प्रशिक्षण संस्थान।
 - (vii) कयर बोर्ड के सभी प्रशिक्षण संस्थान।
13. लघु उद्योगों के लिए प्रत्यय गारंटी निधि न्यास।
14. अनुसंधान और विकास केन्द्र, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-
 - (i) विद्युत मापन उपकरण डिजाइन संस्थान (आईडीईएमआई), मुम्बई।
 - (ii) इलेक्ट्रॉनिक सेवा और प्रशिक्षण केन्द्र (ईएसटीसी), रामनगर।
 - (iii) प्रसंस्करण और उत्पाद विकास केन्द्र (पीपीडीसी), आगरा।
 - (iv) प्रसंस्करण और उत्पाद विकास केन्द्र (पीपीडीसी), मेरठ।
 - (v) सुरभि और सुरुचि विकास केन्द्र (एफएफडीसी), कन्नौज।
 - (vi) कांच उद्योग विकास केन्द्र (सीडीजीआई), फिरोजाबाद।
 - (vii) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, वर्धा।
15. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, जिसमें असंगठित क्षेत्र के उद्यम शामिल हैं, के लिए बनाए गए कोई अन्य कानूनी निकाय या संस्थान।

भाग VI

लोक क्षेत्र के उपक्रम:

16. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, दिल्ली।

भाग VII

पुरस्कार और प्रदर्शनियां:

17. खादी, कुटीर, ग्रामीण और कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।
18. खादी, कुटीर, ग्रामीण और कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा अनुसंधान और विकास के प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।

19. क्वालिटी उत्पादों, जिसमें खादी, कुटीर, ग्रामीण और कयर उद्योग शामिल हैं, के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।
20. खादी, कुटीर, ग्रामीण और कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां, क्रेता-विक्रेता सम्मिलन और इनके समरूप समारोह।

भाग VIII

अधिनियमों, नियमों और विनियमों का प्रशासन:

21. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) और उसके अधीन नियम और विनियम।
22. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख उस सीमा तक जहां तक उसके उपबंधों का संबंध, लघु औद्योगिक उपक्रमों और अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों से है तथा उसके अधीन नियम और विनियम।
23. खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) और उसके अधीन नियम और विनियम।
24. कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) और उसके अधीन नियम और विनियम।

भाग IX

प्रकीर्ण:

25. खादी, कुटीर, ग्रामीण और कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के माध्यम से औद्योगीकरण और रोजगार सृजन से संबंधित प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और इसी प्रकार की स्कीमों और कार्यक्रमों का राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के साथ समन्वय और क्रियान्वयन, तथा इस प्रकार के उद्यमों और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना।
26. खादी, कुटीर, ग्रामीण और कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित अन्य सभी विषय जो किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को विनिर्दिष्टतया आबंटित न किए गए हों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) से संबंधित मंत्रालय के अंतर्गत विद्यमान अकानूनी संगठनों, क्षेत्र कार्यालयों और संस्थाओं की पुनःनामपद्धति।

खान मंत्रालय

(MINISTRY OF MINES)

1. (क) भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर खानों के विनियमन और खनिजों के विकास के लिए विधान, जिसके अंतर्गत राज्यक्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि या भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, के भीतर समुद्र अधःशायी खानों और खनिज भी हैं।
(ख) कोयला, लिग्नाइट और भरणार्थ बालू तथा संघ के नियंत्रणाधीन विधि द्वारा यथाघोषित परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के प्रयोजन के लिए विहित पदार्थों के रूप में घोषित कोई खनिज से भिन्न खानों का विनियमन और खनिजों का विकास, जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में खनिजों के विनियमन और विकास से संबंधित प्रश्न और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक मामले भी हैं।
2. सभी ऐसे अन्य धातु और खनिज, जो विनिर्दिष्टतया किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को आबंटित नहीं हैं जैसे अल्युमिनियम, जस्ता, तांबा, सोना, हीरा, सीसा और निकल।
3. इस विभाग द्वारा व्यवहृत सभी उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा सहायता।
4. भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण।
5. भारतीय खान ब्यूरो।
6. मेटालर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
(MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS)

1. अल्पसंख्यक समुदायों के विनियामक और विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, विनियोजन, समन्वय, मूल्यांकन और पुनरीक्षण ।
2. विधि और व्यवस्था से संबंधित मामलों को छोड़कर, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित सभी मामले ।
3. केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए नीतिगत पहलें एवं उनकी सुरक्षा ।
4. भाषायी अल्पसंख्यकों और भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग आयुक्त के कार्यालय से संबंधित मामले ।
5. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम से संबंधित मामले ।
6. निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) (अब निरसित) के अधीन निष्क्रांत वक्फ संपत्तियों से संबंधित कार्य ।
7. आंग्ल-भारतीय समाज के लिए प्रतिनिधित्व ।
8. विदेश मंत्रालय के परामर्श से, 1955 के पंत-मिर्जा करार के निर्बंधनों के अनुसार, पाकिस्तान के गैर-मुस्लिम धर्म-स्थानों और भारत में मुस्लिम धर्म-स्थानों का संरक्षण और परिरक्षण ।
9. विदेश मंत्रालय के परामर्श से, पड़ोसी राष्ट्रों में अल्पसंख्यक समुदायों संबंधी प्रश्न ।
10. दान और पूर्त संस्थाएं, इस विभाग में व्यवहृत विषयों से संबंदान और धार्मिक विन्यास ।
11. अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक स्तर से संबंधित मामले; अल्पसंख्यक संगठन, जिनमें मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान शामिल है ।
12. वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) और केन्द्रीय वक्फ परिषद ।
13. दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम, 1955 (1955 का 36) ।
14. अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं हेतु वित्तपोषण, जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्तपोषण निगम शामिल है ।
15. अल्पसंख्यकों के लिए केन्द्रीय तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, और साथ ही निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर ।
16. संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से अल्पसंख्यकों के संरक्षण संबंधी उपायों को तैयार करना और उनकी सुरक्षा ।
17. धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों के मध्य सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग ।
18. जस्टिस सच्चर समिति से संबंधित सभी मामले ।
19. अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्री कार्यक्रम ।
20. अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कोई अन्य विषय ।

21. हज यात्रा का प्रबंधन, जिसमें हज समिति अधिनियम, 1959 (1959 का 51) तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों का प्रशासन भी सम्मिलित है।
-

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

(MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY)

1. बायो गैस का अनुसंधान और विकास तथा बायो गैस यूनिटों से संबद्ध कार्यक्रम ।
 2. अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत आयोग (अ.ऊ.स्रो.आ) ।
 3. सौर ऊर्जा, जिसके अंतर्गत प्रकाश वोल्टीय यंत्र एवं उनका विकास, उत्पादन और अनुप्रयोग भी है ।
 4. 25 मेगावाट की और उससे कम क्षमता की लघु/मिनी/सूक्ष्म हाइडल परियोजनाओं से संबंधित सभी मामले ।
 5. समुन्नत चूल्हों और उनके अनुसंधान तथा विकास से संबंधित कार्यक्रम ।
 6. भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण ।
 7. ऊर्जा के अन्य अपारंपरिक/नवीकरणीय स्रोतों का अनुसंधान और विकास तथा उनसे संबद्ध कार्यक्रम ।
 8. ज्वारीय ऊर्जा ।
 9. एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (ए.ग्रा.ऊ.का.) ।
 10. भूतापीय ऊर्जा ।
 11. लोप किया गया ।
-

पंचायती राज मंत्रालय

(MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ)

1. पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामले ।
 2. जिला योजना समितियां ।
-

संसदीय कार्य मंत्रालय

(MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS)

1. संसद के दोनों सदनों के आह्वान और सत्रावसान की तारीखें, लोक सभा का विघटन, संसद के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण ।
2. दोनों सदनों की विधायी तथा अन्य शासकीय कार्य की योजना और समन्वय ।
3. जिन प्रस्तावों की सूचना सदस्यों ने दी है उनकी चर्चा के लिए संसद में सरकारी समय का आबंटन ।
4. संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं और सचेतकों के साथ संपर्क ।
5. विधेयकों संबंधी प्रवर और संयुक्त समिति के लिए सदस्य सूचियां ।
6. सरकार द्वारा स्थापित समितियों तथा अन्य निकायों में संसद-सदस्यों की नियुक्ति ।
7. विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसद-सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का कार्यकरण ।
8. मंत्रियों द्वारा संसद में दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन ।
9. प्राइवेट सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का दृष्टिकोण ।
10. संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति को सचिवीय सहायता ।
11. प्रक्रिया संबंधी तथा अन्य संसदीय मामलों पर मंत्रालयों को सलाह ।
12. संसदीय समितियों द्वारा की गई साधारण रूप से लागू होने वाली सिफारिशों पर मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय ।
13. संसद-सदस्यों द्वारा रोचक स्थानों का परिदर्शन जिसे राजकीय रूप से समर्थित किया गया हो ।
14. संसद-सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित मामले ।
15. संसदीय सचिव-कृत्य ।
16. संपूर्ण देश में विद्यालयों/महाविद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन ।
17. अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन ।
18. संसद-सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित प्रतिनिधिमंडलों का अन्य देशों के साथ आदान-प्रदान ।
19. लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों के नियम 377 के अधीन तथा राज्य सभा में विशेष उल्लेखों के माध्यम से उठाए जाने वाले मामलों के संबंध में नीति का अवधारण और अनुवर्ती कार्रवाई ।
20. मंत्रालयों/विभागों में संसदीय कार्य करने संबंधी निर्देशिका ।
21. संसद-अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 (1953 का 20) ।
22. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) ।
23. संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33) ।
24. संसद में मान्यता प्राप्त दल और समूह का नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5) ।

क. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

(A. DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

I. सेवाओं में भर्ती, प्रोन्नति और मनोबल ।

1. नागरिकों के कतिपय वर्गों के लिए सेवाओं में पदों का आरक्षण ।
2. रेल सेवाओं और परमाणु ऊर्जा विभाग, पूर्ववर्ती इलैक्ट्रानिक्स विभाग, अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रणाधीन सेवाओं और रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के नियंत्रणाधीन वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं के सिवाय, केन्द्रीय सेवाओं से संबंधित भर्ती, प्रोन्नति और ज्येष्ठता संबंधी साधारण प्रश्न ।
3. सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए आयु-सीमाओं, स्वास्थ्य मानकों, शैक्षिक अर्हताओं तथा अतकनीकी डिग्रियों/डिप्लोमाओं की मान्यता की बाबत साधारण नीति ।
4. रेल सेवाओं से भिन्न, सेवाओं के संबंध में पदों के वर्गीकरण और राजपत्रित हैसियत प्रदान करने के संबंध में साधारण नीति विषयक मामले ।
5. रेल विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, पूर्ववर्ती इलैक्ट्रानिक्स विभाग, और अंतरिक्ष विभाग में भर्ती के सिवाय, भारत सरकार के सचिवालय और उसके संलग्न कार्यालयों के लिए अनुसचिवीय कर्मचारियों की भर्ती ।
6. रेल विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, पूर्ववर्ती इलैक्ट्रानिक्स विभाग, और अंतरिक्ष विभाग के अधीन पदों के सिवाय भारत सरकार के अधीन सिविल पदों पर अभारतीयों की नियुक्ति ।
7. लोप किया गया ।
8. सिविल पदों और सेवाओं में नियुक्ति की बाबत युद्ध सेवा-अभ्यर्थियों को रियायतें ।
9. जो क्षेत्र इस समय पाकिस्तान में हैं, उन क्षेत्रों से विस्थापित हुए सरकारी सेवकों और छंटनी किए गए अस्थायी कर्मचारियों के पुनः स्थापन के संबंध में साधारण नीति ।
10. लोक सेवाओं में प्रथम नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के विषय में राजनीतिक पीड़ितों को रियायतें ।
11. अधिवर्षिता-प्राप्त अधिकारियों के सेवा विस्तारण या पुनर्नियोजन के संबंध में साधारण नीति।
12. भारतीय नागरिकों से भिन्न, व्यक्तियों की बाबत संघ के अधीन सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए पात्रता के प्रमाण-पत्र देना ।
13. (क) विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अधीन और द्विपक्षीय आधार पर विदेशस्थ भारतीय विशेषज्ञों की एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में प्रतिनियुक्ति ।
(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके सहबद्ध अभिकरणों के साथ तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य और कृषि संगठन इत्यादि जैसे उसके अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ नियोजन के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति ।
14. सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चरित्र तथा पूर्ववृत्त, उपयुक्तता संबंधी सत्यापन विषयक साधारण नीति ।

15. उच्चतर पदों के लिए रोजगार कार्यालयों में ऐसे कार्मिकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए, जो सेवा में हों, आपत्ति न होने संबंधी प्रमाणपत्रों को जारी करने के संबंध में नीति विषयक मामले ।
16. मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारिवृन्द संबंधी मामले ।
17. निम्नलिखित के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अधिशेष हो गये कर्मचारियों का पुनः अभिनियोजन:
 - (क) प्रशासनिक सुधार;
 - (ख) कर्मचारिवृन्द निरीक्षण एकक द्वारा किये गए अध्ययन;
 - (ग) दीर्घकालिक किन्तु अस्थायी संगठनों का परिसमापन ।
18. मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन विभिन्न काडरों के समुचित प्रबंधन के संबंध में मंत्रालयों को सलाह ।

II. प्रशिक्षण

19. (क) अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं के लिए प्रशिक्षण नीतियां तैयार करना और उनका समन्वय;
- (ख) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी तथा सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान;
- (ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम;
- (घ) प्रशिक्षण संबंधी सामग्री का और प्रशिक्षण तकनीकों, सुविधाओं और कार्यक्रमों की जानकारी का तैयार किया जाना और उसका प्रकाशन;
- (ङ) राज्यों के भीतर की तथा विदेशों की प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ संपर्क;
- (च) मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधन के स्तरों के लिए पुनश्चर्या तथा विशेष पाठ्यक्रम।

III. सतर्कता और अनुशासन

20. (क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग;
 - (ख) लोक सेवकों के मध्य सतर्कता और अनुशासन संबंधी सभी नीति विषयक मामले;
 - (ग) संसद-सदस्यों और प्रशासन के बीच संबंध ।
- 20क. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (1947 का 2); केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन, जिसके अंतर्गत विधि प्रभाग, तकनीकी प्रभाग, नीति प्रभाग और प्रशासन प्रभाग भी हैं); खाद्य अपराध स्कंध; और आर्थिक अपराध स्कंध ।

IV. सेवा-शर्तें

21. सामान्य प्रश्न (रेल विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, पूर्ववर्ती इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण के अधीन सेवाओं के सिवाय, अखिल भारतीय तथा संघ लोक सेवाओं संबंधी उन प्रश्नों से भिन्न जिनका वित्त से संबंध है, जिनमें आचरण नियम भी आते हैं) ।
22. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें (रेल विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, पूर्ववर्ती इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रणाधीन कर्मचारियों, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के नियंत्रणाधीन वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों को छोड़कर, ऐसी सेवा-शर्तें छोड़कर जिनका वित्त से संबंध है, जहां तक उनसे सेवा के साधारण हितों के प्रश्न उत्पन्न होते हैं) ।
23. (क) मूल नियमों, अनुपूरक नियमों और सिविल सेवा नियमों सहित (किन्तु इसमें पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ नहीं आते हैं) सभी सेवा नियमों का, निम्नलिखित को छोड़कर, प्रशासन:

- (i) कर्मचारियों के वेतन ढांचे के पुनरीक्षण संबंधी प्रस्ताव;
 - (ii) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षणों के प्रस्ताव;
 - (iii) वेतन आयोग की नियुक्ति, सिफारिशों पर कार्रवाई और उनका कार्यान्वयन;
 - (iv) महंगाई भत्ता और अन्य प्रतिपूरक भत्ते और यात्रा भत्ते;
 - (v) सरकारी कर्मचारियों को सेवा-शर्तें अथवा महत्वपूर्ण आवर्ती वित्तीय निहितार्थ वाले अनुषंगी हितलाभों के रूप में कोई नई सुविधा; और
 - (vi) प्रमुखतः वित्तीय प्रकृति के सेवा-नियमों में संशोधन संबंधी मामले;
- (ख) सेवा-शर्तों और महत्वपूर्ण आवर्ती वित्तीय निहितार्थों वाले अनुषंगी हितलाभों के रूप में सरकारी कर्मचारियों को नई सुविधा के प्रस्तावों का उपक्रमण;
- (ग) खंड (क) की मद (vi) में निर्दिष्ट प्रमुखतः वित्तीय प्रकृति के सेवा-नियमों सहित सेवा-नियमों में संशोधन से संबंधित मामलों में भारत सरकार के औपचारिक आदेश जारी करना;
- (घ) दीर्घावधिक वित्तीय निहितार्थों वाले किन्हीं भी सेवा-नियमों का वित्त मंत्रालय के परामर्श से शिथिलीकरण और उदारीकरण ।
24. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को अनुदान ।
25. रेल कर्मचारियों से भिन्न, सिविल कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत सुविधाएं ।
26. केन्द्रीय सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1949 ।
27. रेल विभाग के अधीन अस्थायी सरकारी सेवकों के सिवाय, अस्थायी सेवकों की छंटनी और प्रत्यावर्तन संबंधी साधारण नीति ।
28. केन्द्रीय सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा को निरापद करना) नियमों का प्रशासन ।
29. केन्द्रीय सचिवालय और इसके संबद्ध कार्यालयों में वर्ग IV तथा अन्य सरकारी सेवकों के लिए वर्दियां।
30. भारत सरकार के कार्यालयों के लिए काम के घंटे और अवकाश दिन ।
31. ऐसे सेवा नियमों का प्रशासन, जिसमें वित्त मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट प्रत्यायोजित वित्तीय बातें हों ।
32. वित्त मंत्रालय की बाबत ऐसी प्रस्थापनाओं पर सलाह, जिनका संबंध किसी सेवा के पदों की संख्या श्रेणी से अथवा उनकी सदस्य संख्या से अथवा सरकारी सेवकों के वेतन और भत्तों से अथवा उनकी सेवा की अन्य किन्हीं ऐसी शर्तों से हो जिसमें वित्तीय प्रश्न निहित हों ।
33. सरकारी सेवकों द्वारा किए गए विधिक व्ययों की प्रतिपूर्ति के संबंध में साधारण नीति ।
34. पदेन सचिवालय हैसियत प्रदान करने के लिए प्रस्थापनाएं ।
35. सिविल पदों पर व्यक्तियों की अवैतनिक नियुक्तियां ।
36. संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ।
- V. ज्येष्ठ और मध्यवर्गीय प्रबंधन**
37. ज्येष्ठ प्रबंधन (अर्थात् संयुक्त सचिव और उनसे ऊपर तथा उनके समकक्ष) के सभी पहलू, जिनके अंतर्गत उसके लिए कार्मिक की अभिवृद्धि भी है ।

38. (क) भारत सरकार का स्थापना अधिकारी ।
 (ख) मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ।
 (ग) केन्द्रीय स्थापना बोर्ड ।
 (घ) मध्यवर्गीय प्रबंधकगण (अर्थात् निदेशकों, उप सचिवों और अवर सचिवों और उनके समकक्ष) के कैरियर का विकास

VI. सरकार-कर्मचारी संबंध, जिनमें कर्मचारिवृन्द की शिकायतें और कल्याण भी हैं ।

39. (क) भारत सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के सेवा संगम ;
 (ख) संयुक्त परामर्शदाता तंत्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की विभागीय परिषद;
 (ग) कर्मचारिवृन्द की शिकायतें दूर करने के लिए तंत्र ;
 (घ) कर्मचारिवृन्द कल्याण, जिसके अंतर्गत खेल-कूद, सांस्कृतिक क्रिया-कलाप, गृह कल्याण केन्द्र, कैन्टीनें, सहकारी स्टोर, आदि भी हैं ;
 (ङ) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों और राज्य प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित सभी मामले ;
 (च) सरकार कर्मचारी संबंधों के बारे में अन्य मामले, जिनका इस मंत्रालय के संबंध में किसी अन्य प्रविष्टि के अंतर्गत विनिर्दिष्टतः उपबंध नहीं है ।

VII. संघ लोक सेवा आयोग

40. संघ लोक सेवा आयोग ।

VIII. भारतीय प्रशासनिक सेवा, अंतर मंत्रालय संवर्ग, जिसके अंतर्गत उसके सदस्यों की कैरियर विषयक योजना भी आती है, के प्रबंधन के केन्द्रीयकृत पहलू ।

41. (क) नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन ;
 (ख) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) के अधीन नियम और विनियम ;
 (ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसके अंतर्गत भारतीय सिविल सेवा है, से संबद्ध सभी मामले ;
 (घ) अखिल भारतीय सिविल सूची और सेवाओं का इतिहास ;
 (ङ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा ।

IX. भविष्य विषयक योजना और जनशक्ति योजना

42. (क) अखिल भारतीय सेवा और केन्द्रीय सरकारी सेवाओं के लिए भविष्य विषयक योजना और जनशक्ति योजना के संबंध में साधारण नीति विषयक प्रश्न ;
 (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लिए भविष्य विषयक योजना और जनशक्ति योजना से संबद्ध सभी मामले ।

X. कार्मिक प्रबंध अभिकरण

43. विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के भीतर कार्मिक प्रबंध अभिकरणों के काम का समन्वय ।

XI. राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप कार्मिकों का आबंटन और सेवाओं का एकीकरण ।

44. (क) राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित सेवा कार्मिकों का आबंटन-;
 (ख) संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न, राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित सेवा का विभाजन और एकीकरण ;
 (ग) राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित कार्मिकों की सेवा-शर्तों का संरक्षण ;

(घ) राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित राज्य सेवाओं से संबद्ध अन्य मामले ।

XII. लोक उद्यम चयन बोर्ड

45. लोक उद्यम चयन बोर्ड (लो०उ०च०बो०) ।

(ख) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

(B. DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES)

1. प्रशासनिक सुधार, जिसमें ई-शासन और सर्वोत्तम व्यवहार का प्रसार भी हैं।
 2. संगठन और पद्धति।
 3. निम्नलिखित से संबंधित मामलों के बारे में नीति, समन्वय और मानीटरी-:
 - (क) सामान्यतः लोक शिकायतों का निवारण; और
 - (ख) केन्द्रीय सरकारी अभिकरणों से संबंधित शिकायतें।
 4. (क) लोक प्रबंध में अनुसंधान;
 - (ख) लोक प्रबंध के मामलों में राज्य सरकारों, वृत्तिक संस्थाओं आदि के साथ संपर्क।
 5. केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका का प्रशासन।
-

(ग) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

(C. DEPARTMENT OF PENSIONS AND PENSIONERS WELFARE)

1. नीति बनाना और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों (सिविल, रक्षा और रेल पेंशनभोगियों) के लिए सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित मामलों का समन्वय करना।
2. निम्नलिखित का प्रशासन:
 - (क) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972; केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981; केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939; अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम, 1958; और
 - (ख) विभाग को सौंपी गई केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों से संबंधित कोई अन्य स्कीम।
3. पेंशन ढांचा और पेंशन भोगियों को राहत।
4. केन्द्रीय सरकार के पेंशन-भोगियों को अनुषंगी हितलाभ की नई सुविधाएं।
5. पेंशन नियमों या सेवा-निवृत्ति लाभों से संबंधित किसी अन्य नियम के संशोधन या शिथिलीकरण से संबंधित मामले।
6. केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों के कल्याण से संबंधित नीति और समन्वय।

टिप्पण: उपर्युक्त 3 के संबंध में कार्रवाई वित्त मंत्रालय की सहमति से की जाएगी। अन्य मामलों, जिनमें आवर्ती वित्तीय निहितार्थ निहित हों, के संबंध में कार्रवाई या किसी नियम के शिथिलीकरण या उदारीकरण की कार्रवाई उन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन रहते की जाएगी जो पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग और वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के बीच करार पाए हों।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
(MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS)

1. प्राकृतिक गैस और कोल बेड मेथेन सहित पेट्रोलियम संपदा की खोज और उसका दोहन ।
2. प्राकृतिक गैस, कोल बेड मेथेन और पेट्रोलियम उत्पादों सहित पेट्रोलियम का उत्पादन, प्रदाय, वितरण, विपणन और मूल्य-निर्धारण ।
3. तेल परिष्करणियां, जिनमें स्नेहक संयंत्र शामिल हैं ।
4. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए योज्य ।
- 4क. (i) जैव ईंधनों के संबंध में समग्र समन्वय;
(ii) जैव ईंधनों पर राष्ट्रीय नीति;
(iii) जैव ईंधनों और इसके सम्मिश्रित उत्पादों का विपणन, संवितरण और खुदरा विक्रय;
(iv) जैव ईंधनों के उत्पादन में सहायता के लिए नीति/स्कीम;
(v) जैव ईंधनों का सम्मिश्रण तथा सम्मिश्रण नियतन जिनके अंतर्गत ऐसे सम्मिश्रण के लिए मानक निर्धारित करना भी है;
(vi) राष्ट्रीय जैव ईंधन विकास बोर्ड की स्थापना और विद्यमान संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करना; और
(vii) जैव ईंधनों के परिवहन, अचल और अन्य अनुप्रयोगों संबंधी अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन।
5. स्नेह मिश्रण और ग्रीसें ।
- 5क. लोप किया गया ।
6. मंत्रालय द्वारा व्यवहृत सब उद्योगों की योजना, विकास तथा नियंत्रण और उनकी सहायता ।
7. तेल क्षेत्र सेवाओं की योजना, विकास और विनियमन ।
8. इस सूची में सम्मिलित किये गये विषयों के अंतर्गत आने वाली पब्लिक सेक्टर परियोजनाएं । इंजीनियर्स इंडिया लि. और इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कंपनी, जिसमें उनकी अनुषंगी भी शामिल हैं उन परियोजनाओं के सिवाए, जो किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को विनिर्दिष्टता आबंटित की गई है ।
9. तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) ।
10. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1993 (1993 का 65) ।
11. पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50)।
12. एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1974 (1974 का 4) ।
13. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) ।
14. बर्मा-शैल [(भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1976 (1976 का 2)] ।
15. कालटैक्स [(कालटैक्स आइल रिफाइनिंग (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों तथा कालटैक्स (इंडिया) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1977 (1977 का 17)] ।

16. पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) और तदधीन बनाए गए नियमों का प्रशासन ।
 17. बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड का प्रशासन ।
-

योजना मंत्रालय (MINISTRY OF PLANNING)

नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था) के संबंध में संसद के प्रति उत्तरदायित्व ।

विद्युत मंत्रालय

(MINISTRY OF POWER)

1. विद्युत शक्ति सेक्टर में साधारण नीति और ऊर्जा नीति से संबंधित मामले और उसका समन्वय। (किसी सेक्टर, ईंधन, क्षेत्र और पारदेशीय अंतःदेशीय प्रवाह को ध्यान में रखे बिना, ऐसी नीतियां बनाने, स्वीकार करने, कार्यान्वित करने और उनका पुनर्विलोकन करने के संबंध में लघु, मध्यम और दीर्घावधिक नीतियों का ब्यौरा)।
2. जल विद्युत शक्ति (25 मेगावाट और उससे कम क्षमता की लघु/मिनी/सूक्ष्म हाइडल परियोजनाओं के सिवाय) और तापीय शक्ति तथा पारेषण और वितरण प्रणाली नेटवर्क से संबंधित सभी मामले।
3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जल विद्युत शक्ति और तापीय शक्ति, पारेषण प्रणाली नेटवर्क और वितरण प्रणाली से संबंधित अनुसंधान, विकास और तकनीकी सहायता।
4. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36), ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52), दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 14) और भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड, जैसा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) में प्रावधान है, का प्रशासन।
5. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत बोर्ड और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग से संबंधित सभी मामले।
6. (क) ग्रामीण विद्युतीकरण।
(ख) विद्युत स्कीमों और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय/विकास स्कीमों/कार्यक्रमों/विकेन्द्रीकृत और वितरित उत्पादन से संबंधित मामले।
7. निम्नलिखित उपक्रमों/संगठनों से संबंधित मामले:-
(क) दामोदर घाटी निगम;
(ख) भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (सिंचाई से संबंधित मामलों के सिवाय);
(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड;
(घ) राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड;
(ङ) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड;
(च) पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड;
(छ) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड;
(ज) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड;
(झ) टिहरी जल विद्युत विकास निगम;
(ञ) नाथपा झाकरी विद्युत निगम;
(ट) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान;
(ठ) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान;
(ड) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो;
(ढ) भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड;
(ण) नर्मदा जल विद्युत विकास निगम (संयुक्त उद्यम)।
8. विद्युत सेक्टर से संबंधित ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता से संबंधित सभी मामले।

रेल मंत्रालय

(MINISTRY OF RAILWAYS)

रेल बोर्ड

1. सरकारी रेलों- सभी विषय, जिनके अंतर्गत वे विषय भी हैं, जो रेल राजस्व और व्यय से संबंधित हैं किन्तु जिनमें रेल निरीक्षणालय और रेल लेखा-परीक्षा नहीं आते।
 2. गैर-सरकारी रेलों -वहां तक वे विषय जहां तक उनके लिए रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) में या सरकार और इन रेलों के बीच संविदाओं में या किन्हीं अन्य कानूनी अधिनियमितियों में, अर्थात् सुरक्षा, अधिकतम और न्यूनतम दरों और भाड़ा, इत्यादि विषयक विनियमों में जैसाकि उपबंध किया गया है कि उनका नियंत्रण रेल मंत्रालय, रेल बोर्ड करेगा, इसमें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य मर्दे नहीं आती।
 3. रेल संपत्ति के मूषण से संबंधित अपराधों और सरकारी रेलों और गैर-सरकारी रेलों में अपराधों से संबंधित अपराधों की बाबत संसदीय प्रश्न/विषय।
 4. रेल कर्मचारियों पर लागू पेंशन नियमों का प्रशासन।
-

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS)

I. निम्नलिखित विषय, जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 के अंतर्गत आते हैं:

1. मोटर वाहनों का अनिवार्य बीमा ।
2. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) का प्रशासन ।
3. संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किए गए राजमार्ग।
4. विधायी विभाग से संवीक्षा और विधीक्षा कराए बिना, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) और धारा 3क, धारा 3घ, धारा 7 तथा धारा 8क के अधीन अधिसूचनाएं जारी करना।

II. संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत:

5. राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न मार्ग ।
6. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) का प्रशासन और मोटर यानों का कराधान ।
7. यंत्रनोदित यानों से भिन्न यान ।

III. अन्य विषय, जिन्हें पिछले भागों में सम्मिलित नहीं किया गया है:

8. लोप किया गया ।
9. सड़क संकर्मों से संबंधित समन्वय और अनुसंधान ।
10. केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित सड़क संकर्म,जिनके अंतर्गत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में किए जाने वाले सड़क संकर्म नहीं हैं ।
11. मोटर यान विधान ।
12. मोटर परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र में परिवहन सहकारिताओं का संवर्धन ।
13. सड़कों के अवसंरचना वाले क्षेत्रों में निजीकरण नीति का बनाया जाना ।

IV. स्वशासी निकाय:

14. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ।

V. सोसाइटियां/संगम:

15. राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान ।

VI. लोक सेक्टर उपक्रम:

16. भारतीय सड़क निर्माण निगम ।

VII. अधिनियम:

17. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) ।
18. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) ।

19. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)।
 20. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68)।
-

ग्रामीण विकास मंत्रालय
(MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT)

क. ग्रामीण विकास विभाग
(A. DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)

1. लोप किया गया।
2. लोक सहकारिता, जिसके अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए स्वयंसेवी अभिकरणों, लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि से संबंधित सभी विषय हैं, उन पहलुओं को छोड़कर, जो पेयजल पूर्ति विभाग के कार्यक्षेत्र में आते हैं।
3. इस सूची की मदों से संबंधित सहकारी समितियां।
4. असम के उन जनजातीय क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित सड़क संकर्म जो संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 से उपाबद्ध सारणी के भाग- I और भाग- II में विनिर्दिष्ट हैं।
5. दि सेंटर फार इंटिग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट फार एशिया एंड पेसिफिक (सीआईआरडीएपी) तथा दि एफ्रो एशियन रूरल रिकंस्ट्रक्शन आर्गनाइजेशन (ए.ए.आर.आर.ओ.) के सहयोग से संबंधित सभी मामले।
6. (क) ग्रामीण रोजगार या बेरोजगारी से संबंधित सभी विषय, जैसे ग्रामीण रोजगार के लिए नीतियां और कार्यक्रम, जिनके अंतर्गत विशेष संकर्म, मजदूरी या आय के स्रोत उत्पन्न करना भी है, तैयार करना और उससे संबंधित प्रशिक्षण देना;
(ख) समय-समय पर बनाए गए ग्रामीण रोजगार के विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
(ग) ग्रामीण रोजगार या बेरोजगारी से संबंधित सूक्ष्म स्तर आयोजना तथा उसके लिए प्रशासनिक ढांचा।
7. समेकित ग्रामीण विकास, जिसके अंतर्गत लघु कृषक विकास अभिकरण, सीमांत कृषक और कृषि मजदूर, आदि भी हैं।
8. ग्रामीण आवास, जिसके अंतर्गत ग्रामीण आवास नीति भी है और देश में उससे संबद्ध और आनुषंगिक सभी मामले या ग्रामीण आयोजना जहां तक कि उसका संबंध ग्रामीण क्षेत्रों से है।
9. गांवों को सड़कों से जोड़ने से संबंधित सभी मामले, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी है।

ख. भूमि संसाधन विभाग

(B. DEPARTMENT OF LAND RESOURCES)

1. भूमि-सुधार, भूदृति, भू-अभिलेख, जोत भूमि की चकबंदी तथा अन्य संबंधित विषय।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) का प्रशासन और संघ के प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन संबंधी मामले।
3. किसी राज्य में उस राज्य से बाहर पैदा हुए कर विषयक दावों तथा अन्य लोक मांगों, जिनके अंतर्गत भू-राजस्व बकाया और इस प्रकार वसूल की जाने वाली बकाया भी है, की वसूली।
4. भूमि, अर्थात् भाटक का संग्रहण, भूमि का अंतरण और अन्य संक्रमण, भूमि सुधार और कृषि संबंधी उधार जिनके अंतर्गत कृषि से भिन्न भूमि या भवन का अर्जन, नगर योजना सुधार नहीं हैं।
5. भू-राजस्व, जिसके अंतर्गत राजस्व निर्धारण और संग्रहण, राजस्व प्रयोजनों के लिए सर्वेक्षण और राजस्व का अन्य संक्रमण भी है।
6. कृषि भूमि के उत्तराधिकार की बाबत शुल्कें।
7. राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड।
8. राष्ट्रीय भूमि उपयोग और बंजर भूमि विकास परिषद।
9. बंजर भूमि विकास के माध्यम से ग्रामीण नियोजन का संवर्धन।
10. निजी बंजर भूमि सहित वन-इतर भूमि पर ईंधन लकड़ी, चारा और इमारती लकड़ी के उत्पादन का संवर्धन।
11. दीर्घकालिक तरीकों से बंजरभूमि से उत्पादकता बढ़ाने के लिए कम लागत की समुचित प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान और विकास।
12. बंजरभूमि विकास कार्यक्रम की कार्यक्रम योजना और उसके कार्यान्वयन में अंतरविभागीय और अंतरविषयक समन्वय, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण भी है।
13. बंजरभूमि के विकास के लिए लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना और लोक सहकारिता तथा पंचायतों और स्वैच्छिक और गैर-सरकारी अभिकरणों के प्रयासों का समन्वयन।
14. सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम।
15. मरूस्थल विकास कार्यक्रम।
16. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)।
17. (i) राष्ट्रीय जैव-ईंधन मिशन;
(ii) कृषि मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के परामर्श से ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अधीन जैव-ईंधन पौधों का उत्पादन, प्रसार तथा जैव-ईंधन पौधों का वाणिज्यिक पौधारोपण; और
(iii) राज्य सरकारों, कृषि मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के परामर्श से जैव-ईंधन पौधों के उत्पादन के लिए गैर-वन भूमि तथा बंजर भूमियों की पहचान।

ग. लोप किया गया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

क. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

(A. DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयक नीतियां बनाना।
2. लोप किया गया।
3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों का विकास, जिसके अंतर्गत उभरते हुए क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाएगा।
- 3क. (i) संबंधित मंत्रालय या विभाग के साथ समन्वय से, जैव-ईंधन उत्पादन, प्रसंस्करण, मानकीकरण और उपयोजन से संबंधित स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अपनी अनुसंधान संस्थाओं या प्रयोगशालाओं के माध्यम से अनुसंधान और विकास; और
(ii) मूल्य-वर्धित रसायनों के विकास के लिए उपोत्पादों के प्रयोग संवर्धन के लिए अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप।
4. भविष्य विज्ञान।
5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अन्तः क्षेत्रीय संपर्कों वाले क्षेत्रों का समन्वय और समेकन, जिनमें अनेक संस्थाओं और विभागों की रूचि और क्षमता हो।
6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी सर्वेक्षण, अनुसंधान डिजाइन और विकास, जहां कहीं आवश्यक हो, के कार्यों को हाथ में लेना या वित्तीय तौर पर उन्हें समर्थन देना।
7. वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं, वैज्ञानिक संगमों और निकायों को सहायता और सहायता अनुदान देना।
8. निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले:
 - (क) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद;
 - (ख) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और संबंधित अधिनियम अर्थात् अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986 (1986 का 32) और प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 (1995 का 44);
 - (ग) राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद;
 - (घ) राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड;
 - (ङ) अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग, जिसके अंतर्गत विदेशों में वैज्ञानिक अताशियों की नियुक्ति भी है (ये कृत्य विदेश मंत्रालय के निकट सहयोग से किए जाएंगे);
 - (च) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन विषय से संबंधित स्वायत्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थाएं, जिसके अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स तथा इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म भी हैं;
 - (छ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संवर्धित और वित्त-पोषित वृत्तिक विज्ञान अकादमियां;

- (ज) भारतीय सर्वेक्षण और राष्ट्रीय एटलस और थीमैटिक मैपिंग संगठन;
(झ) नेशनल स्पेशियल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर और जी.आई.एस. का उन्नयन;
(ञ) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, अहमदाबाद ।
9. वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विभागों/संगठनों/संस्थाओं पर सामान्य रूप से प्रभाव डालने वाले मामले, उदाहरणार्थ वित्तीय, कार्मिक, क्रय और आयात नीतियां तथा व्यवहार ।
 10. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए प्रबंध सूचना प्रणालियां और तत्संबंधी समन्वय ।
 11. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशनों के विकास के लिए अंतर अभिकरण/अंतरविभागीय समन्वय संबंधी मामले ।
 12. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अधीन प्रौद्योगिकी से भिन्न, देशी प्रौद्योगिकी से संबंधित मामले, खास तौर से वे मामले जिनमें ऐसी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिकीकरण वाले जोखिमों का संवर्धन।
 13. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए आवश्यक सभी अन्य उपाय तथा राष्ट्र के विकास और सुरक्षा के लिए उनको लागू करना ।
 14. संस्थागत विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण संबंधी मामले, जिनके अंतर्गत नई संस्थाओं और संस्थागत ढांचे की स्थापना भी है ।
 15. राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों और अन्य तंत्रों की मार्फत सबसे निचले स्तरों के विकास के लिए राज्य, जिला और ग्राम स्तरों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संवर्धन ।
 16. समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं, और अन्य उपेक्षित वर्गों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग ।

ख. विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

(B. DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

1. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से संबंधित सभी मामले ।
 2. राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम से संबंधित सभी मामले ।
 3. सैन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड से संबंधित सभी मामले ।
 4. अनुसंधान और विकास इकाइयों का पंजीकरण और उन्हें मान्यता प्रदान करना ।
 5. संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मलेन (अंकटाड) तथा विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (डब्ल्यू.आई.पी.ओ.) से संबंधित मामले ।
 6. विदेशी सहयोग के बारे में नेशनल रजिस्टर ।
 7. भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की अस्थायी तैनाती के लिए एक पूल के सृजन से संबंधित मामले ।
-

ग. बायोटेक्नालोजी विभाग

(C. DEPARTMENT OF BIO-TECHNOLOGY)

1. बायोटेक्नालोजी में नीतियां और समेकित कार्यक्रम बनाना और उनका कार्यान्वयन तथा मानीटरी सुनिश्चित करना।
2. जैविक और बायोटेक्नालोजी में अनुसंधान और विकास तथा उनके विनिर्माण के विशेष कार्यक्रम अभिज्ञात करना और संबंधित अनुसंधान के प्रारंभ और अन्वेषण तथा विनिर्माण क्रियाकलापों का निरीक्षण करना ।
3. बायोटेक्नालोजी में अनुसंधान और विकास के लिए श्रेष्ठ केन्द्रों की पहचान, स्थापना और सहायता करना तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्देश्यों को सक्रिय बनाने के लिए इन क्रियाकलापों का समुचित सामंजस्य सुनिश्चित करना ।
4. जैविक और बायोटेक्नालोजी संबंधी उत्पादों और उनकी मध्यवर्ती वस्तुओं के विनिर्माण के लिए नई प्रौद्योगिकी के आयात और अंतरण के संबंध में सरकार के छानबीन करने, सलाह देने और अनुमोदन करने वाले अभिकर्ता के रूप में कार्य करना ।
5. भारत में बायोटेक्नालोजी अनुसंधान और विकास तथा विनिर्माण के लिए सुरक्षा संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित करना ।
- 5क. जैव-ईंधन पर अनुसंधान और विकास कार्यक्रम जिनमें क्वालिटीयुक्त पौधारोपण सामग्री का उत्पादन और प्रदर्शन, उच्चतर गुणवत्ता वाली क्लोनल नसरियों की स्थापना, तेल करैक्टराइजेशन तथा उच्चतर अनुवृद्धि का एक्ससीटू संरक्षण; जत्तरोफा, पौंगामिया, मधुका, साल्वाडोरा और मिश्रित तेलों के ट्रेनेस्टरिफिकेशन पर प्रयोगशाला में अध्ययन; उपज और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पादप आनुवंशिकी; वैकल्पिक फीडस्टॉक से जैव प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों के माध्यम से बायोइथेनाल की पुनः प्राप्ति के लिए अनुसंधान और विकास ।
6. ऐसी सामग्रियों, कल्चर, कोशिकाओं, नमूनों, ऊतकों और बायोटेक उत्पादों, जिनके साथ आनुवंशिक स्तर पर हेर-फेर किया गया हो और जिनके अंतर्गत किसी प्रकार या आकार के डी.एन.ए. और आर.एन.ए. भी हैं, के आयात के लिए और देश में उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय अभिकरण के रूप में कार्य करना ।
7. बायोटेक्नालोजी के क्षेत्र में सभी विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अनुसंधान और विकास संबंधी सहयोग और करारों के लिए अंतर मंत्रालय और अंतर अभिकरण आसंधि स्थल के रूप में बायोटेक्नालोजी के क्षेत्र में सभी प्रौद्योगिकी अंतरणों के लिए आसंधि स्थल के रूप में सेवा करना ।
8. कोशाणु आधारित और डीएनए वैकसीनों, डायग्नोस्टिक्स और अन्य बायो-टेक्नालोजीकल उत्पादों का विनिर्माण करना और उनका उपयोजन सुनिश्चित करना ।
9. बायोटेक्नालोजी के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के कार्यक्रम बनाना ।
10. बायोटेक्नालोजी में राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से बनाए गए अभिकरणों, आयोगों, बोर्डों, आदि के प्रशासनिक और कार्यान्वयन विभाग के रूप में सेवा करना और बायो-इनफॉर्मेटिक्स, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण अवसंरचना का सृजन तथा बायोटेक्नालोजी से संबंधित जानकारी के संग्रहण, प्रसार और आदान-प्रदान भी है, के लिए आसंधि स्थल के रूप में भी सेवा करना ।
11. निम्नलिखित से संबंधित मामल:

- (क) अंतर्राष्ट्रीय उत्पत्तिमूलक इंजीनियरी और बायोटेक्नालोजी केन्द्र (आई.सी.जी.ई.बी.), नई दिल्ली;
- (ख) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-विज्ञान संस्थान (एन.आई.आई.), नई दिल्ली;
- (ग) राष्ट्रीय कोषीय विज्ञान केन्द्र (एन.सी.सी.एस.), पुणे;
- (घ) सेन्टर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंट एंड डायग्नास्टिक्स (सी.डी.एफ.डी.), हैदराबाद;
- (ङ.) नेशनल सैंटर फार प्लांट जेनोम रिसर्च (एन.सी.पी.जी.आर.), नई दिल्ली;
- (च) नेशनल ब्रेन रिसर्च सैंटर (एन.बी.आर.सी.), गुड़गांव;
- (छ) इंस्टीट्यूट फॉर बायोरिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट (आई.बी.एस.डी.), इम्फाल ।

12. निम्नलिखित से संबंधित मामले :

- (क) भारत इम्मूनोलोजिकल्स एंड बायोलोजिकल्स कारपोरेशन लि. (बी.आई.बी.सी.ओ.एल), बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश;
- (ख) इन्डियन वैक्सिन कारपोरेशन लि. (आई.वी.सी.ओ.एल.), मानेसर, गुड़गांव ।

पोत परिवहन मंत्रालय

(MINISTRY OF SHIPPING)

I. भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित विषय:

1. समुद्री पोतपरिवहन और नौपरिवहन; वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था।
2. दीपस्तम्भ और दीपपोत।
3. भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) और महापत्तन के रूप में घोषित पत्तनों का प्रशासन।
4. पोतपरिवहन और नौपरिवहन, जिसके अंतर्गत ऐसे अंतर्देशीय जल मार्गों पर यात्रियों और माल का वहन है, जो संसद द्वारा विधि द्वारा यंत्रनोदित जलयानों के विषय में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं, ऐसे जलमार्गों पर सड़क-नियम।
5. पोत-निर्माण और पोत-मरम्मत उद्योग।
- 5क. पोत भंजन।
6. मत्स्य जलयान उद्योग।
7. प्लवमान-यान उद्योग।

II. संघ राज्यक्षेत्र की बाबत:

8. अंतर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात।

III. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में:

9. मुख्यभूमि द्वीपों और द्वीप समूह के बीच पोत परिवहन सेवाओं का गठन और अनुरक्षण।

IV. अन्य विषय जिन्हें पूर्ववर्ती भागों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है:

10. अंतर्देशीय जलमार्गों पर यंत्रनोदित जलयान विषयक पोतपरिवहन और नौपरिवहन तथा अंतर्देशीय जलमार्गों पर यात्रियों और माल के वहन के संबंध में विधायन।
11. लघु और महापत्तनों के विकास के समन्वय और उससे संबंधित विधायन।
12. डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) स्कीम, 1961 से भिन्न, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) तथा उसके अधीन बनाई गई स्कीम का प्रशासन।
13. फ्री ऑन बोर्ड/फ्री अलॉग साईट पर स्थोरा के आयात तथा लागत और भाड़ा/लागत बीमा और भाड़ा आधार पर निर्यात के संबंध में भारत सरकार/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/ राज्य सरकारों/राज्य सरकारों के लोक सेक्टर उपक्रमों तथा स्वशासी निकायों के लिए और उनकी ओर से पोत परिवहन का प्रबंध करना।
14. अंतर्देशीय जल परिवहन की योजना।
15. पत्तनों, पोत परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में निजीकरण विषयक नीति बनाना।
16. गांधीधाम नगरी का विकास।

17. प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण:
- (क) पत्तन क्षेत्रों सहित, पोतों, पोत अवशेषों तथा समुद्र में अपसर्जित पोतों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण;
 - (ख) पोतों से उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण, निवारण तथा निपटान से संबंधित विधान का अधिनियमन तथा प्रशासन; और
 - (ग) पत्तन क्षेत्रों में तेल प्रदूषण की मानीटरी तथा उससे निपटना।

V. अधीनस्थ कार्यालय:

- 18. पोत परिवहन महानिदेशालय।
- 19. अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म।
- 20. दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय।
- 21. लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन।

VI. स्वशासी निकाय:

- 22. महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण (टी.ए.एम.पी.)।
- 23. मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, कांडला, चेन्नई, मोरमुगाव, जवाहर लाल नेहरू (न्हावा शेवा), पारादीप, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम और न्यू मंगलोर स्थित पत्तन न्यास।
- 24. कोलकाता, कंडला और विशाखापट्टनम स्थित गोदी श्रम बोर्ड।
- 25. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण।
- 26. नाविक भविष्य निधि संगठन।

VII. सोसाइटियां/संगम:

- 27. राष्ट्रीय पत्तन प्रबंध संस्थान।
- 28. राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र।
- 29. समुद्री यात्री कल्याण निधि सोसाइटी।

VIII. लोक सेक्टर उपक्रम:

- 30. भारतीय पोतपरिवहन निगम।
- 31. लोप किया गया।
- 32. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड।
- 33. सेंट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड।
- 34. ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया।
- 35. हुगली डॉक एंड पोर्ट्स इंजीनियर्स लिमिटेड।

36. एन्नोर पोर्ट लिमिटेड ।

IX. अंतर्राष्ट्रीय पहलू:

37. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ।

X. अधिनियम:

38. भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) ।

39. अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) ।

40. डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) ।

41. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) ।

42. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) ।

43. नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4) ।

44. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) ।

45. बहु-रूपी निर्वासन माल अधिनियम, 1993 (1993 का 28) ।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP)

1. उपयुक्त कौशल विकास ढांचा तैयार करने हेतु सभी संबंधितों के साथ समन्वय, विद्यमान नौकरियों के लिए ही नहीं अपितु आगे सृजित की जाने वाली नौकरियों के लिए भी व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, नई दक्षता बनाने, नवाचारी सोच और प्रतिभाओं की मार्फत कुशल जनशक्ति में मांग और पूर्ति के बीच अंतर को हटाना।
2. विद्यमान कौशलों की मैपिंग और उनका प्रमाणीकरण।
3. शैक्षिक संस्थाओं, व्यापारिक और अन्य सामुदायिक संगठनों के बीच सुदृढ़ भागीदारी स्थापित करके युवक उद्यमशीलता शिक्षा और क्षमता का विस्तार और इसके लिए राष्ट्रीय मानक स्थापित करना।
4. कौशल विकास संबंधी समन्वय की भूमिका।
5. बाजार संबंधी अनुसंधान करना तथा महत्वपूर्ण सेक्टरों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करना।
6. उद्योग-संस्थान संपर्क।
7. इस क्रियाकलाप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का घटक लाना – कुशल जनशक्ति की आवश्यकता वाले उद्योग के साथ भागीदारी।
8. बाजार की अपेक्षाओं तथा कौशल विकास के संबंध में अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए व्यापक नीतियां बनाना।
9. सॉफ्ट स्किल्स के लिए नीतियां बनाना।
10. सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित व्यापक कौशल विकास।
11. कौशल समुच्चयों के अकादमिक समकक्ष।
12. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों संबंधी कार्य।
13. (i) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम।
(ii) राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण।
(iii) राष्ट्रीय कौशल विकास न्यास।
14. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए उद्यमशीलता विकास के लिए कौशल।
15. (i) राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु कारबार संस्थान, नोएडा।
(ii) भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT)

क. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

(A. DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT)

1. संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III--- समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित विषय: यायावरी और प्रवासी जनजातियां।
2. निम्नलिखित समूहों से संबंधित मामलों के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करना, अर्थात्:-
 - (i) अनुसूचित जातियां;
 - (ii) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग;
 - (iii) ऐसी जनजातियां जिनकी अधिसूचना रद्द कर दी गई हो;
 - (iv) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग; और
 - (v) वरिष्ठ नागरिक।

टिप्पण: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, ऊपर (i) से (iv) में उल्लिखित समूहों के विकास के कार्यक्रमों की समग्र नीति, नियोजन और समन्वय, तथा ऊपर (v) पर उल्लिखित समूह के कल्याण के लिए नोडल विभाग होगा। तथापि, इन समूहों से संबंधित सेक्टरीय कार्यक्रमों के संपूर्ण प्रबंधन और मानीटरी आदि का उत्तरदायित्व संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासन का होगा। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय या विभाग अपने सेक्टर के संबंध में नोडल उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा।

3. ऊपर प्रविष्टि 2 के अधीन (i) से (iv) में उल्लिखित समूहों के सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक सशक्तीकरण के लिए विशेष स्कीमों, उदाहरणार्थ छात्रवृत्तियां, छात्रावास, आवासीय विद्यालय, दक्षता प्रशिक्षण, स्व-रोजगार के लिए रियायती ऋण तथा सहायकी, आदि।
- 3क. उभयलिंगी व्यक्तियों का कल्याण।
4. हाथ से कचरा बीनने वालों का वैकल्पिक उपजीविकाओं में पुनर्वास।
- 4क. सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 (1993 का 46)।
5. वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख तथा सहायता के कार्यक्रम।
6. मद्यनिषेध।
7. मद्यव्यसनिता और पदार्थों (औषध) के अनुचित प्रयोग से पीड़ित व्यक्तियों, तथा उनके परिवारों का पुनर्वास।
8. भिक्षावृत्ति।
9. विभाग में निपटाए जाने वाले मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय और करार।
10. विभाग को आबंटित विषयों के संबंध में जागरूकता पैदा करना, अनुसंधान, मूल्यांकन और प्रशिक्षण।
11. विभाग को आबंटित विषयों के संबंध में पूर्त और धार्मिक विन्यासों और स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन और विकास।

12. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22)।
13. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) (जहां तक इसका संबंध अनुसूचित जातियों से है तथा इस अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित आपराधिक न्याय के प्रशासन को छोड़कर)।
14. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27)।
15. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का 56)।
16. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।
17. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग।
18. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
19. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम।
20. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम।
21. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम।
22. राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान।
23. डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन।
24. बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय फाउंडेशन।
25. नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए ढांचे और तंत्र के आधार पर अनुसूचित जाति उप-योजना की मानीटरी।

ख. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(B. DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES)

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I--- संघ सूची के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित विषय:

1. दान की गई राहत सामग्री/प्रदायों के शुल्क-मुक्त आयात के लिए भारत-संयुक्त राज्य, भारत-यूनाइटेड किंगडम, भारत-जर्मनी, भारत-स्विट्जरलैंड और भारत-स्वीडन करार और ऐसी आपूर्तियों के वितरण से संबंधित मामले। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III--- समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित विषय (केवल विधायन के संबंध में):
2. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, उस सीमा तक छोड़कर जहां तक वे किसी अन्य विभाग को आबंटित हैं।
3. संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II-- राज्य सूची अथवा सूची III-- समवर्ती सूची के भीतर आने वाले निम्नलिखित विषय, जहां तक इनका संबंध ऐसे राज्य-क्षेत्रों से है:
निःशक्त और अनियोज्ययोग्य व्यक्तियों की सहायता, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा, उस सीमा तक छोड़कर जहां तक वे किसी अन्य विभाग को आबंटित हैं।
4. निःशक्तता तथा निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित मामलों के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करना।
टिप्पण: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, निःशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यक्रमों की समग्र नीति, नियोजन तथा समन्वय के लिए नोडल विभाग होगा। तथापि, इस समूह से संबंधित सेकटरीय कार्यक्रमों के संपूर्ण प्रबंधन और मानीटरी आदि का उत्तरदायित्व संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासन का होगा। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय या विभाग अपने सेक्टर के संबंध में नोडल उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा।
5. निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास और सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक सशक्तीकरण हेतु विशेष स्कीमें, उदाहरणार्थ सहायक यंत्र तथा उपकरणों की आपूर्ति, छात्रवृत्तियां, आवासीय विद्यालय, दक्षता प्रशिक्षण, स्व-रोजगार के लिए रियायती ऋण और सहायकी, आदि।
6. पुनर्वास वृत्तिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण।
7. विभाग में निपटाए जाने वाले मामलों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय तथा करार; निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय।
8. विभाग को आबंटित विषयों के संबंध में जागरूकता पैदा करना, अनुसंधान, मूल्यांकन और प्रशिक्षण।
9. विभाग को आबंटित विषयों के संबंध में पूर्ण और धार्मिक विन्यासों, और स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन और विकास।
10. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34)।
11. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 01)।
12. राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44)।
13. भारतीय पुनर्वास परिषद।

14. मुख्य आयुक्त, निःशक्तता ।
 15. राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास ।
 16. राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति वित्त और विकास निगम ।
 17. कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर ।
 18. दीन दयाल उपाध्याय, विकलांगजन संस्थान, नई दिल्ली ।
 19. राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता ।
 20. राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान, देहरादून ।
 21. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद ।
 22. अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुंबई ।
 23. राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, कटक ।
 24. राष्ट्रीय बहु-विकलांगजन सशक्तीकरण संस्थान, चेन्नई ।
 25. भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली ।
-

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION)

I. सांख्यिकी स्कंध

1. देश में सांख्यिकी प्रणाली के एकीकृत विकास की योजना बनाने के लिए एक केन्द्रीय (नोडल) अभिकरण के रूप में कार्य करना।
2. भारत सरकार के विभागों और राज्य सांख्यिकी ब्यूरो (एसएसबी) के सांख्यिकी या आंकड़ों की उपलब्धता की अतारतम्यता या उनकी पुनरावृत्ति का पता लगाने की दृष्टि से सांख्यिकीय कार्य में समन्वय करना तथा आवश्यक उपचारात्मक उपाय सुझाना।
3. सांख्यिकी के क्षेत्र में आंकड़ों के, जिसमें संग्रहण, प्रसंस्करण की संरचना और परिभाषाएं, कार्य प्रणाली और परिणामों का प्रसार भी है, सन्नियमों तथा मानकों को अधिकथित करना और उनका अनुरक्षण।
4. भारत सरकार के विभागों को सांख्यिकीय पद्धति और आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण के बारे में सलाह देना।
5. राष्ट्रीय लेखा तैयार करना और साथ ही राष्ट्रीय आय, सकल/निवल घरेलू उत्पाद, सरकारी और निजी अंतिम खपत व्यय, पूंजी निर्माण, बचत, पूंजीगत स्टॉक और नियत पूंजी की खपत, सकल घरेलू उत्पाद का तिमाही प्राक्कलन, राष्ट्रीय निवेश उत्पाद कारबार तालिका, घरेलू उत्पाद के राज्य स्तरीय प्राक्कलन तथा उपरि क्षेत्रीय (सुपरा-रीजनल) सेक्टरों का नियत पूंजी निर्माण तथा चालू कीमतों पर राज्य घरेलू उत्पाद (एस.डी.पी) के तुलनात्मक प्राक्कलन तैयार करना।
6. तुरंत प्राक्कलन के रूप में प्रतिमास औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (औ.उ.सू.) संकलित करना और जारी करना; उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (उ.का.वा.सर्वे.) करना; और संगठित विनिर्माणकारी (कारखाना) सेक्टर की वृद्धि, संरचना और ढांचे में परिवर्तनों के निर्धारण और मूल्यांकन के लिए सांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध कराना।
7. पर्यावरण सांख्यिकी का विकास, कार्य-पद्धति का विकास तथा भारत के लिए राष्ट्रीय संसाधन लेखों की अवधारणा और उनको तैयार करना।
8. अखिल भारतीय कालिक आर्थिक संगणना का आयोजन और संचालन करना और नमूना सर्वेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
9. रोजगार, उपभोक्ता व्यय, आवासन परिस्थितियां, ऋण और निवेश, भूमि तथा पशुधन संपत्तियां, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, असंगठित विनिर्माण तथा सेवाएं आदि जैसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं का विकास, अनुसंधान, नीति निर्माण और आर्थिक योजना के लिए आवश्यक डाटा बेस उपलब्ध करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नमूना सर्वेक्षणों का संचालन करना।
10. गुणवत्ता परीक्षणों का संचालन तथा तकनीकी छानबीन व नमूना जांच के माध्यम से सांख्यिकीय सर्वेक्षणों और डाटा सेटों की लेखा-परीक्षा और यदि अपेक्षित हों तो सुधार कारक व वैकल्पिक प्राक्कलन तैयार करना।
11. विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के माध्यम से संग्रहित किए गए सर्वेक्षण डाटा की प्रोसेसिंग करना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन तथा केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा आर्थिक गणना व उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण के सर्वेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

12. सरकारी, अर्ध-सरकारी या निजी डाटा प्रयोगकर्ताओं/अभिकरणों को अनेक नियमित या तदर्थ प्रकाशनों के माध्यम से सांख्यिकीय सूचना का प्रसार करना और संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों जैसे यूनाइटेड नेशन्स स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, एकोनामिक एण्ड सोशल कमीशन फार एशिया एण्ड दि पेसिफिक, इंटरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन और अन्य सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों को, उनके अनुरोध पर, डाटा प्रसारित करना ।
13. विशेष अध्ययन या सर्वेक्षण, सांख्यिकीय रिपोर्टों का मुद्रण और शासकीय सांख्यिकीय के विभिन्न विषय क्षेत्रों से संबंधित वित्त संगोष्ठी, कार्यशाला अथवा सम्मेलन करने के लिए प्रख्यात रजिस्ट्रीकृत गैर-सरकारी संगठनों और अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान देना ।
14. संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करना तथा भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रबंधन, जिसमें प्रशिक्षण, व्यवसाय आयोजन और जनशक्ति आयोजन से संबंधित सभी मामले हैं, के सभी पहलुओं की बाबत कार्य करना ।
15. भारतीय सांख्यिकी संस्थान और भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959 (1959 का 57) के उपबंधों के अनुसार उसके कृत्य सुनिश्चित करना ।
16. शहरी गैर-श्रमिक कर्मचारियों के लिए मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याओं का संकलन तथा उन्हें जारी करना ।
17. लघु क्षेत्र प्राक्कलनों सहित बेहतर नमूना तकनीक और आकलन प्रक्रियाएं तैयार करने के लिए प्रणाली-विज्ञान अध्ययन और प्रायोगिक सर्वेक्षण करना ।

II. कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध

18. बीस सूत्री कार्यक्रम की मानीटरी करना ।
19. 150 करोड़ रूपए और उससे अधिक की परियोजनाओं को मानीटर करना ।
20. आधारभूत-संरचना सेक्टरों के कार्य-निष्पादन की मानीटरी करना ।
21. संसद-सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (सं.स.स्था.क्षे.वि.यो.) ।
22. अन्य मंत्रालयों/विभागों को आबंटित क्षेत्रीय नीतियों को छोड़कर, राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम से संबंधित समन्वय तथा नीतिगत मामले ।

इस्पात मंत्रालय

(MINISTRY OF STEEL)

1. विद्युत आर्क भट्टी यूनिटों (ई.आ.यू.), प्रेरण भट्टी यूनिटों (इ. यू.), पुनर्वेल्लकों जैसी प्रसंस्करण सुविधाओं, सपाट उत्पादों (गर्म/ठंडी बेल्लन यूनिटों) विलेपक यूनिटों, तार कर्षण यूनिटों और इस्पात स्क्रेप प्रसंस्करण जैसी लोहा और इस्पात उत्पादन प्रसुविधाओं को स्थापित करने की योजना, विकास और सरलीकरण।
2. पब्लिक सेक्टर में लोह अयस्क खानों तथा अन्य अयस्क खानों (मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूना पत्थर, सिलिमेनाइट, कायनाइट तथा लोहा व इस्पात उद्योग में प्रयुक्त किए जाने वाले अन्य खनिज परन्तु जिसमें खनन पट्टे या उससे संबंधित पदार्थ नहीं हैं) का विकास।
3. लोहा तथा इस्पात तथा लोहा मिश्रित धातुओं का उत्पादन, वितरण, कीमतें, आयात और निर्यात।
4. निम्नलिखित उपक्रमों जिनके अंतर्गत उनकी समनुषंगियां भी हैं, से संबंधित मामले, अर्थात्-
 - i. स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल);
 - ii. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल);
 - iii. कुद्रमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल);
 - iv. मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (एमओआईएल);
 - v. नेशनल मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी);
 - vi. मैटालर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कन्सल्टैंट्स (इंडिया) लिमिटेड (एमईसीओएन);
 - vii. स्पांज आयरन इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल);
 - viii. लोप किया गया।;
 - ix. भारत रिफैक्ट्रीज लिमिटेड (बीआरएल);
 - x. मैटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन (एमएसटीसी);
 - xi. फैंरो स्क्रेप निगम लिमिटेड; तथा
 - xii. बर्ड ग्रुप आफ कम्पनीज।

वस्त्र मंत्रालय

(MINISTRY OF TEXTILES)

I. साधारण नीति

1. सभी वस्त्रों, जिनमें सूती, ऊनी, जूट, रेशम, हाथ से बने, हथकरघों और पावरलूमों पर बने, सिले-सिलाए वस्त्र और सूती, ऊनी, जूट, रेशम और सेलूलोसिक तंतुओं से संबंधित उद्योग भी हैं, लेकिन गैर-सेलूलोसिक संश्लिष्ट तंतू (नायलान, पोलिएस्टर, ऐक्रेलिक आदि) नहीं हैं, का उत्पादन, वितरण (देश में उपभोग और निर्यात के लिए) अनुसंधान और विकास।
2. कपास, जिसके अंतर्गत उसकी ओटाई और दबाई, घरेलू पूर्ति, अंतर्निविष्ट साधन और कीमतों का स्थिरीकरण कार्य भी है।
3. रेशम उत्पादन।
4. वस्त्रों, ऊनी वस्त्रों, पावरलूमों हथकरघा, सिलेसिलाए वस्त्रों, रेशम और सेलूलोसिक वस्तुएं, जूट और जूट उत्पादों और हस्तशिल्पों के संबंध में निर्यात संवर्धन का विकास और विस्तार।
5. जूट और जूट उत्पाद।
6. हस्तशिल्प।

II. कार्यालय

7. विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय, नई दिल्ली।
8. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय, नई दिल्ली।
9. पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता।
10. संदाय आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली।
11. संदाय आयुक्त का कार्यालय (पटसन), कोलकाता।
12. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई।

III. कानूनी/स्वायत्त निकाय

13. जूट विनिर्माता विकास परिषद, कोलकाता।
14. केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर।
15. भारतीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली।
16. राष्ट्रीय जूट विविधीकरण केन्द्र, कोलकाता।
17. भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही।
18. राष्ट्रीय डिजाइन और उत्पाद विकास केन्द्र, दिल्ली।
19. धातु हस्तशिल्प सेवा केन्द्र, मुरादाबाद।
20. भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, जोधपुर, सलेम और वाराणसी।

21. वस्त्र समिति, मुंबई ।

IV. पब्लिक सेक्टर उपक्रम

22. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ ।

23. भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कोलकाता ।

24. राष्ट्रीय पटसन विनिर्माता निगम, कोलकाता और इसकी समनुषंगी ।

25. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड और इसकी समनुषंगी ।

26. भारतीय कपास निगम लिमिटेड, मुंबई ।

27. हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम, नई दिल्ली ।

28. केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम, नई दिल्ली ।

29. ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर और इसकी समनुषंगी ।

V. बोर्ड

30. केन्द्रीय रेशम बोर्ड ।

31. केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड ।

32. कपास सलाहकार बोर्ड ।

33. अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ।

34. अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ।

35. अखिल भारतीय पावरलूम बोर्ड ।

36. जूट सलाहकार बोर्ड ।

VI. सलाहकार/विकास परिषद

37. केन्द्रीय वस्त्र उद्योग सलाहकार परिषद ।

38. पटसन विनिर्माण विकास परिषद, कोलकाता ।

39. वस्त्र उद्योग विकास परिषद ।

40. वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण संबंधी स्थायी परिषद ।

41. वस्त्र अनुसंधान संगमों संबंधी समन्वय परिषद ।

VII. परिषदें

42. हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, चेन्नई ।

43. भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई ।

44. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली ।

45. पावरलूम विकास और निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई ।

46. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई ।
47. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली ।
48. सिंथेटिक और रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई ।
49. ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली ।
50. परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई ।

VIII. संगम

51. भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संगम, कोलकाता ।
52. अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संगम, अहमदाबाद ।
53. बंबई वस्त्र अनुसंधान संगम, मुंबई ।
54. मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संगम, सूरत ।
55. दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संगम, कोयम्बटूर ।
56. उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संगम, गाजियाबाद ।
57. सिंथेटिक और कृत्रिम रेशम मिल्स अनुसंधान संगम, मुंबई ।
58. ऊन अनुसंधान संगम, मुंबई ।
59. हथकरघा निगम और शीर्षस्थ सोसाइटियों का संगम, नई दिल्ली ।

IX. अंतर्राष्ट्रीय पहलू

60. अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति ।
61. अंतर्राष्ट्रीय कपास संस्थान ।
62. एशिया-प्रशान्त वस्त्र और वस्त्र उद्योग मंच ।
63. अंतर्राष्ट्रीय जूट अध्ययन समूह ।

X. अधिनियम

64. केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) ।
65. वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) ।
66. जूट विनिर्माण विकास परिषद अधिनियम, 1983 (1983 का 27) ।
67. जूट विनिर्माण उपकर अधिनियम, 1983 (1983 का 28) ।
68. हथकरघा (उत्पादनार्थ सामग्रियों का आरक्षण) अधिनियम, 1985 (1985 का 22) ।
69. जूट पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग उत्पादों में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) ।

पर्यटन मंत्रालय

(MINISTRY OF TOURISM)

1. पर्यटन का विकास और संवर्धन ।
 2. पर्यटन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ।
 3. भारत पर्यटन विकास निगम और स्वायत्त संस्थान ।
-

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS)

1. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा ।
2. जनजातीय कल्याण: जनजातीय कल्याण आयोजना, परियोजना निर्माण, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी और प्रशिक्षण ।
3. जनजातीय कल्याण के बारे में स्वयंसेवी प्रयासों का संवर्धन और विकास ।
4. अनुसूचित जनजातियां, जिनमें ऐसी जनजातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी हैं ।
5. अनुसूचित जनजातियों का विकास ।
- 5क. वन भूमियों पर वनवासी अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों से संबंधित सभी मामले, और तत्संबंधी विधान ।
टिप्पण: अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा । इन समुदायों के विकास के क्षेत्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं के संबंध में नीति, आयोजन, मानीटरी, मूल्यांकन आदि एवं उनके समन्वय की भी जिम्मेदारी संबद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की होगी। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अपने-अपने क्षेत्र के लिए नोडल मंत्रालय अथवा विभाग होगा ।
6. (क) अनुसूचित क्षेत्र;
(ख) अनुसूचित क्षेत्रों के लिए राज्यों के राज्यपालों द्वारा बनाए गए विनियम।
7. (क) अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के विषय में रिपोर्ट करने के लिए आयोग; तथा
(ख) किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक स्कीमों की संरचना और निष्पादन की बाबत निदेश जारी करना ।
8. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ।
9. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) का कार्यान्वयन, ऐसे अपराधों, जहां तक उनका संबंध अनुसूचित जातियों से है, से संबंधित आपराधिक न्याय के प्रशासन को छोड़कर ।
10. नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए ढांचे और तंत्र के आधार पर जनजातीय उप-योजना की मानीटरी ।

लोप किया गया ।

लोप किया गया ।

|

लोप किया गया

महिला और बाल विकास मंत्रालय

(MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT)

1. परिवार कल्याण ।
2. महिला और बाल कल्याण और इस विषय के संबंध में अन्य मंत्रालयों और संगठनों के कार्यकलापों का समन्वय ।
3. महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त संदर्भ ।
4. विद्यालय प्रवेश से पूर्व के बच्चों की देखभाल जिसमें प्राथमिक-पूर्व शिक्षा शामिल है ।
5. राष्ट्रीय पोषण नीति, पोषण और राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना ।
6. इस विभाग को आबंटित विषयों से संबंधित पूर्त और धार्मिक विन्यास ।
7. इस विभाग को आबंटित विषयों के संबंध में स्वैच्छिक उद्यम का संवर्धन और विकास ।
8. निम्नलिखित का कार्यान्वयन -
 - (क) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) (1986 तक यथासंशोधित);
 - (ख) स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 (1986 का 60);
 - (ग) दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) (1986 तक यथासंशोधित);
 - (घ) सती (निवारण) अधिनियम, 1987 (1988 का 3), इन अधिनियमों के अधीन अपराधों के संबंध में दांडिक न्याय का प्रशासन नहीं है ।
9. शिशु दुग्ध प्रतिस्थानी, पिलाने की बोतल और शिशु आहार (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 41) का कार्यान्वयन ।
10. कोआपरेटिव फार असिसटेंस एण्ड रिलीफ एवरीवेयर (केयर) के क्रियाकलापों का समन्वय ।
11. महिलाओं और बच्चों के, जिसके अंतर्गत लिंग संवेदन आंकड़े आधार का विकास भी है, कल्याण और विकास से संबंधित योजना, अनुसंधान, मूल्यांकन, मानिटर करना, परियोजना बनाना, आंकड़े और प्रशिक्षण ।
12. संयुक्त राष्ट्र संघ बाल निधि (यूनिसेफ) ।
13. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (के0स0क0बो0) ।
14. राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान (एन0आई0पी0सी0सी0डी0) ।
15. खाद्य और पोषण बोर्ड ।
16. (i) समनुषंगी और संरक्षित खाद्य पदार्थों का विकास और उन्हें लोकप्रिय बनाना ।
(ii) पोषण का विस्तार ।
17. महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता ।
18. राष्ट्रीय महिला आयोग ।
19. राष्ट्रीय महिला कोष ।

20. किशोर अपचारिता, आवारागर्दी और केयर के अन्य कार्यक्रम ।
 21. किशोर अपराधियों की परिवीक्षा ।
 22. दत्तक ग्रहण, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी तथा चाइल्ड हैल्पलाइन (चाइल्डलाइन) से संबंधित मुद्दे ।
 23. बालक अधिनियम, 1960 (1960 का 60) ।
 24. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) ।
 25. बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 (1929 का 19) ।
 26. अनार्यों तथा अनारथालयों सहित जरूरतमंद बच्चों की देखभाल तथा उनके विकास के लिए संस्थागत तथा गैर-संस्थागत सेवाएं ।
-

**युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS)**

**क. युवक कार्यक्रम विभाग
(A. DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS)**

1. युवा कार्य/युवा नीति ।
 2. नेहरू युवा केन्द्र संगठन ।
 3. राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर स्कीम ।
 4. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान ।
 5. ग्रामीण युवा और क्रीड़ा क्लबों को दी जाने वाली सहायता संबंधी स्कीम ।
 6. राष्ट्रीय युवा आयोग ।
 7. राष्ट्रीय सेवा स्कीम ।
 8. स्वयंसेवी युवा संगठन, जिनके अंतर्गत उनको दी जाने वाली वित्तीय सहायता भी है ।
 9. राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवी स्कीम ।
 10. राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक ।
 11. युवा कल्याण क्रियाकलाप, युवा उत्सव, वर्क कैम्प और अन्य संबंधित मामले ।
 12. ब्वाय-स्काउट और गर्ल-गाइड ।
 13. युवा हॉस्टल ।
 14. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार ।
 15. भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम का अवशिष्ट कार्य ।
 16. विदेशों के साथ युवा प्रतिनिधिमंडल का आदान-प्रदान।
-

ख. खेल विभाग

(B. DEPARTMENT OF SPORTS)

1. क्रीड़ा नीति ।
 2. क्रीड़ा और खेल ।
 3. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि ।
 4. नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान ।
 5. भारतीय क्रीड़ा प्राधिकरण ।
 6. भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन और राष्ट्रीय खेल परिसंघ से संबंधित मामले ।
 7. विदेशों में टूर्नामेंट में भारतीय क्रीड़ा टीमों द्वारा भाग लेना और भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में विदेशी क्रीड़ा टीमों द्वारा भाग लेना ।
 8. राष्ट्रीय क्रीड़ा पुरस्कार, जिसके अंतर्गत अर्जुन पुरस्कार भी हैं ।
 9. क्रीड़ा छात्रवृत्तियां ।
 10. विदेशों के साथ खिलाड़ियों, विशेषज्ञों और टीमों का आदान-प्रदान ।
 11. क्रीड़ा अवसंरचना, जिसके अंतर्गत ऐसी अवसंरचना के सृजन और विकास के लिए वित्तीय सहायता भी है ।
 12. कोचिंग, टूर्नामेंट, उपस्कर और अन्य संबंधित विषयों के लिए वित्तीय सहायता ।
 13. संघ राज्य-क्षेत्रों से संबंधित क्रीड़ा मामले ।
 14. शारीरिक शिक्षा ।
-

परमाणु ऊर्जा विभाग

(DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY)

1. निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले:
 - (क) परमाणु ऊर्जा आयोग (प.ऊ.आ.);
 - (ख) परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (प.ऊ.वि.बो.)।
2. भारत में परमाणु ऊर्जा से संबंधित सभी मामले, अर्थात्:
 - (क) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) का प्रशासन, जिसके अंतर्गत रेडियो-एक्टिव पदार्थों का नियंत्रण और उनके कब्जे, उपयोग, व्ययन और परिवहन का विनियमन भी है;
 - (ख) अनुसंधान, जिसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा से संबंधित मामलों में मौलिक अनुसंधान और कृषि, जीवविज्ञान, उद्योग और आयुर्विज्ञान में उसके उपयोगों का विकास भी है;
 - (ग) परमाणु खनिज-सर्वेक्षण, पूर्वोक्षण, बरमाना, विकास, खनन, अर्जन और नियंत्रण;
 - (घ) परमाणु ऊर्जा के विकास और उपयोग से संबंधित सभी क्रियाकलाप, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं:
 - (i) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के अधीन विहित पदार्थों और खनिजों से संबंधित परियोजनाएं और उद्योग; उनके उत्पाद और उपोत्पाद;
 - (ii) परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बिजली का उत्पादन;
 - (iii) अनुसंधान और विद्युत रिएक्टरों का डिजाइन, सन्निर्माण और प्रचालन; और
 - (iv) निम्नलिखित के विविध रूपण सहित सुविधाओं और संयंत्रों की स्थापना और संक्रियण:-
 - (क) परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में और उनके उपयोग के लिए तथा न्यूक्लीय विज्ञानों में अनुसंधान के लिए अपेक्षित सामग्री और उपस्कर के उत्पादन के लिए; और
 - (ख) समस्थानिकों के पृथक्करण के लिए, जिसमें मुख्य या गौण उत्पाद के रूप में भारी पानी के उत्पादन और उपोत्पाद के रूप में समस्थानिकों के पृथक्करण के लिए अनुकूलनीय संयंत्र शामिल हैं।
 - (ड.) विहित या रेडियो-एक्टिव पदार्थों से संबंधित राज्य उपक्रमों का पर्यवेक्षण जिनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं-
 - (i) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (आई.आर.ई.एल.);
 - (ii) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ई.सी.आई.एल.);
 - (iii) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (यू.सी.आई.एल.);
 - (iv) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.);
 - (v) नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जहां तक भारी पानी के उत्पादन का संबंध है;
3. न्यूक्लीय विज्ञानों में अध्ययन को बढ़ावा देने और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित जन-शक्ति के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं:

- (क) वैज्ञानिक कार्य में लगी हुई संस्थाओं तथा संगमों को और न्यूकलीय विज्ञानों में उच्च अध्ययन और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता;
- (ख) विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थियों को वैज्ञानिक विषयों में छात्रवृत्तियों का प्रदान और व्यक्तियों को, जिनके अंतर्गत न्यूकलीय विज्ञानों के अध्ययनार्थ विदेश जाने वाले विद्यार्थी भी हैं, अन्य रूप में वित्तीय सहायता; और
- (ग) विकिरण औनकोलोजी में नाभिकीय औषध को बढ़ावा देने और अनुसंधान के लिए अस्पतालों तथा अनुसंधान केन्द्रों को सहायता।
4. परमाणु ऊर्जा और नाभिकीय विज्ञान से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं:
- (क) संयुक्त राष्ट्र संघ विशेषज्ञता प्राप्त अभिकरणों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, अन्य अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठनों, जिसमें यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान (सी.ई.आर.एन.) संगठन भी हैं, में परमाणु ऊर्जा और नाभिकीय विज्ञान से संबंधित मामले तथा अन्य देशों से संबंध; और
- (ख) विदेशी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों आदि के साथ विदेशी अध्येतावृत्तियों और भारतीय वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के संबंध में पत्र-व्यवहार।
5. परमाणु ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिक संबंधी सभी मामले।
6. परमाणु ऊर्जा विभाग के पूंजी बजट के प्रति विकलनीय संकर्मों का निष्पादन और भूमि का क्रय।
7. परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अपेक्षित सामान और उपस्कर का प्राप्त किया जाना।
8. परमाणु ऊर्जा विभाग के संबंध में वित्तीय मंजूरियां।
9. उच्चतर गणित की उन्नति से संबंधित सभी मामले, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं-:
- (क) उच्च अध्ययन और अनुसंधान के संवर्धन और समन्वय संबंधी मामले;
- (ख) उच्चतर गणित में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारतीय राष्ट्रीय गणित समिति और अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ;
- (ग) उच्चतर गणित की उन्नति में लगे हुए विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और संगमों को अनुदान; और
- (घ) उच्च अध्ययन और अनुसंधान के लिए छात्रवृत्तियों का प्रदान और अन्य रूपों में वित्तीय सहायता।
10. परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित सहायता प्राप्त संस्थानों के संबंध में सभी मामले, अर्थात्:
- (क) टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, मुंबई।
- (ख) टाटा मेमोरियल केन्द्र, मुंबई।
- (ग) साहा नाभिकीय भौतिक-विज्ञान संस्थान, कोलकाता।
- (घ) परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी, मुंबई।
- (ड.) गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई।
- (च) भौतिक-विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर।
- (छ) हरिश्चन्द्र अनुसंधान संस्थान (एच.आर.आई.), इलाहाबाद।
- (ज) प्लाजमा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर।

11. अन्य अनुदान सहायता वाले संस्थानों, जिनका संबंध परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा वित्त-पोषित क्रिया-कलापों से है, से संबंधित सभी मामले।
-

अंतरिक्ष विभाग

(DEPARTMENT OF SPACE)

1. अंतरिक्ष आयोग और उससे संबंधित सभी मामले ।
2. अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष उपयोजन से संबंधित सभी मामले, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात्:
 - (क) अंतरिक्ष और इसके उपयोजन से संबंधित मामलों में अनुसंधान (जिसमें मूलभूत अनुसंधान भी हैं);
 - (ख) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी मामले;
 - (ग) अंतरिक्ष उपयोजन से संबंधित सभी मामले; और
 - (घ) बाह्य अंतरिक्ष के विकास और उपयोग से संबंधित सभी क्रियाकलाप, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
 - (i) बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग से संबंधित परियोजनाएं और उद्योग, जिसमें अंतरिक्ष का वाणिज्यिक दोहन भी है;
 - (ii) अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों का संस्थापन, उपापन और उपयोग;
 - (iii) राकेट और सेटेलाइट्स का डिजाइन, विनिर्माण और प्रमोचन; और
 - (iv) अंतरिक्ष उपयोजन से संबंधित कार्य ।
3. अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष उपयोजन में अनुसंधान और अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए और अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं:
 - (क) वैज्ञानिक कार्य में लगी हुई संस्थाओं और संगमों को और अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष उपयोजन में उच्च अध्ययन और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता;
 - (ख) अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष उपयोजन के क्षेत्र में अध्ययन के लिए शिक्षा संस्थाओं में छात्रों को छात्रवृत्तियां देना और व्यक्तियों को जिनमें विदेश जाने वाले व्यक्ति भी हैं, अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता देना ।
4. अंतरिक्ष से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं:
 - (क) संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञता प्राप्त अभिकरणों में अंतरिक्ष से संबंधित मामले और अन्य देशों के साथ संबंध विषयक मामले; और
 - (ख) विदेशी छात्रवृत्तियों और भारतीय वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के संबंध में विदेश स्थित विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं से पत्र-व्यवहार ।
5. विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिकों से संबंधित सभी मामले ।
6. अंतरिक्ष विभाग के बजट के प्रति विकलनीय संकर्मों का निष्पादन और भूमि का क्रय ।
7. अंतरिक्ष विभाग द्वारा अपेक्षित सामान और उपस्कर अधिप्राप्त करना ।
8. अंतरिक्ष विभाग से संबंधित वित्तीय मंजूरियां ।
9. भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद से संबंधित सभी मामले ।

10. राष्ट्रीय सुदूर सुग्राहाता अभिकरण (एन.आर.एस.ए.) से संबंधित सभी मामले ।
11. राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा प्रबंध प्रणाली से संबंधित सभी विषय, जिसके अंतर्गत सुदूर सुग्राह्यता पर मुख्य रूप से आधारित समेकित आंकड़ों की तैयारी और ऐसी जानकारी के विश्लेषण और प्रसारण में सहायता भी है ।
12. राष्ट्रीय मध्यमण्डल, समताप मंडल और क्षोभमंडल रडार सुविधा (एन.एम.आर.एफ.) से संबंधित सभी मामले।
13. अंतरिक्ष निगम लिमिटेड ।
14. पूर्वोत्तर अंतरिक्ष उपयोजन केन्द्र ।
15. सेमीकन्डक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड (एस.सी.एल), मोहाली से संबंधित सभी मामले ।

मंत्रिमंडल सचिवालय
(CABINET SECRETARIAT)

1. मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियों के लिए अनुसचिवीय सहायता ।
 2. कामकाज के नियम ।
-

राष्ट्रपति सचिवालय
(PRESIDENT'S SECRETARIAT)

1. राष्ट्रपति के लिए सचिवीय सहायता की व्यवस्था करना ।
-

प्रधानमंत्री कार्यालय
(PRIME MINISTER'S OFFICE)

1. प्रधानमंत्री के लिए सचिवीय सहायता की व्यवस्था करना ।
-

नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था)

NITI AAYOG (NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA)

1. नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था) :

- (i) क. राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना
- ख. सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, इसको स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्रों के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना
- ग. ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इन सभी को उत्तरोत्तर रूप से सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना
- घ. जो क्षेत्र विशेष रूप से आयोग को निर्दिष्ट किए गए हैं उनकी आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को सम्मिलित करने को सुनिश्चित करना
- ड. हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभांशित ना हो पाने का जोखिम हो
- च. रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना और पहल करना तथा उनकी प्रगति और क्षमता को मॉनीटर करना। निगरानी और प्रतिक्रिया के आधार पर नवीन सुधार में उपयोग किए जाएंगे जिसके अंतर्गत मध्यावधि संशोधन भी हैं
- छ. महत्वपूर्ण पणधारियों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और साथ ही साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच परामर्श और भागीदारी को प्रोत्साहन देना
- ज. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वृत्तिकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाना
- झ. विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना
- ञ. अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाना जो सुशासन तथा सतत और न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली पर अनुसंधान करने के साथ-साथ पणधारियों तक पहुंचाने में भी मदद करे
- ट. आवश्यक संसाधनों की पहचान करने सहित कार्यक्रमों और उपायों के कार्यान्वयन का सक्रिय मूल्यांकन और सक्रिय निगरानी करना, ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके
- ठ. कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर
- ड. राष्ट्रीय विकास के एजेंडा और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना

ढ. (अ) अनुसूचित जाति उप योजना तथा जनजातीय उप-योजना की मानीटरी के लिए ढांचा और तंत्र तैयार करना

(आ) अनुसूचित जाति उप-योजना तथा जनजातीय उप-योजना का मूल्यांकन करना

(ii) लोप किया गया

(iii) राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी)

2. नीति आयोग योजना आयोग का हित – उत्तरवर्ती होगा ।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय
(NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT)

1. प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिवालय।
2. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर प्रधान मंत्री के प्रधान सलाहकार हैं; और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सहायता करना।

भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961

का परिशिष्ट

(2004 का पुनर्मुद्रण)

भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 को संशोधित करते हुए 4 अप्रैल, 2019 तक जारी किए गए आदेशों की सूची

| क्रम सं० | राष्ट्रपति के आदेश की तारीख | भारत का राजपत्र-असामान्य भाग-॥ खंड (3) उपखंड (ii) जिसमें राष्ट्रपति का आदेश प्रकाशित किया गया। |
|----------|------------------------------|--|
| 1. | आदेश दिनांक 9 अप्रैल, 1961 | सां०आ० 857 दिनांक 14 अप्रैल, 1961 |
| 2. | आदेश दिनांक 14 अप्रैल, 1961 | सां०आ० 861 दिनांक 17 अप्रैल, 1961 |
| 3. | आदेश दिनांक 28 अगस्त, 1961 | सां०आ० 2106 दिनांक 1 सितम्बर, 1961 |
| 4. | आदेश दिनांक 1 फरवरी, 1962 | सां०आ० 386 दिनांक 3 फरवरी, 1962 |
| 5. | आदेश दिनांक 9 अप्रैल, 1962 | सां०आ० 1140 दिनांक 11 अप्रैल, 1962 |
| 6. | आदेश दिनांक 26 अप्रैल, 1962 | सां०आ० 1276 दिनांक 28 अप्रैल, 1962 |
| 7. | आदेश दिनांक 26 अप्रैल, 1962 | सां०आ० 1276 दिनांक 28 अप्रैल, 1962 |
| 8. | आदेश दिनांक 16 जून, 1962 | सां०आ० 1896 दिनांक 19 जून, 1962 |
| 9. | आदेश दिनांक 4 अगस्त, 1962 | सां०आ० 2566 दिनांक 10 अगस्त, 1962 |
| 10. | आदेश दिनांक 8 सितम्बर, 1962 | सां०आ० 2875 दिनांक 12 सितम्बर, 1962 |
| 11. | आदेश दिनांक 3 नवम्बर, 1962 | सां०आ० 3339-ए दिनांक 3 नवम्बर, 1962 |
| 12. | आदेश दिनांक 14 नवम्बर, 1962 | सां०आ० 3482 दिनांक 14 नवम्बर, 1962 |
| 13. | आदेश दिनांक 15 नवम्बर, 1962 | सां०आ० 3487 दिनांक 16 नवम्बर, 1962 |
| 14. | आदेश दिनांक 5 दिसम्बर, 1962 | सां०आ० 3721 दिनांक 6 दिसम्बर, 1962 |
| 15. | आदेश दिनांक 8 फरवरी, 1963 | सां०आ० 489 दिनांक 12 फरवरी, 1963 |
| 16. | आदेश दिनांक 21 मार्च, 1963 | सां०आ० 876 दिनांक 23 मार्च, 1963 |
| 17. | आदेश दिनांक 19 जुलाई, 1963 | सां०आ० 2054 दिनांक 20 जुलाई, 1963 |
| 18. | आदेश दिनांक 21 जुलाई, 1963 | सां०आ० 2115 दिनांक 23 जुलाई, 1963 |
| 19. | आदेश दिनांक 1 सितम्बर, 1963 | सां०आ० 2517 दिनांक 2 सितम्बर, 1963 |
| 20. | आदेश दिनांक 11 सितम्बर, 1963 | सां०आ० 2653 दिनांक 11 सितम्बर, 1963 |
| 21. | आदेश दिनांक 20 अक्तूबर, 1963 | सां०आ० 3054 दिनांक 21 अक्तूबर, 1963 |
| 22. | आदेश दिनांक 21 नवम्बर, 1963 | सां०आ० 3264 दिनांक 23 नवम्बर, 1963 |
| 23. | आदेश दिनांक 19 दिसम्बर, 1963 | सां०आ० 3552 दिनांक 20 दिसम्बर, 1963 |
| 24. | आदेश दिनांक 8 जनवरी, 1964 | सां०आ० 183 दिनांक 8 जनवरी, 1964 |
| 25. | आदेश दिनांक 16 फरवरी, 1964 | सां०आ० 654 दिनांक 18 फरवरी, 1964 |

| | | |
|-----|------------------------------|-------------------------------------|
| 26. | आदेश दिनांक 29 फरवरी, 1964 | सां0आ0 736 दिनांक 2 मार्च, 1964 |
| 27. | आदेश दिनांक 25 मार्च, 1964 | सां0आ0 1110 दिनांक 26 मार्च, 1964 |
| 28. | आदेश दिनांक 15 अप्रैल, 1964 | सां0आ0 1378 दिनांक 16 अप्रैल, 1964 |
| 29. | आदेश दिनांक 3 मई, 1964 | सां0आ0 1518 दिनांक 4 मई, 1964 |
| 30. | आदेश दिनांक 14 जून, 1964 | सां0आ0 2180 दिनांक 17 जून, 1964 |
| 31. | आदेश दिनांक 26 जून, 1964 | सां0आ0 2344 दिनांक 30 जून, 1964 |
| 32. | आदेश दिनांक 5 अगस्त, 1964 | सां0आ0 2756 दिनांक 7 अगस्त, 1964 |
| 33. | आदेश दिनांक 31 अगस्त, 1964 | सां0आ0 2986 दिनांक 31 अगस्त, 1964 |
| 34. | आदेश दिनांक 10 सितम्बर, 1964 | सां0आ0 3315 दिनांक 11 सितम्बर, 1964 |
| 35. | आदेश दिनांक 28 अक्तूबर, 1964 | सां0आ0 3823 दिनांक 30 अक्तूबर, 1964 |
| 36. | आदेश दिनांक 18 नवम्बर, 1964 | सां0आ0 4017 दिनांक 21 नवम्बर, 1964 |
| 37. | आदेश दिनांक 5 फरवरी, 1965 | सां0आ0 466 दिनांक 8 फरवरी, 1965 |
| 38. | आदेश दिनांक 18 अप्रैल, 1965 | सां0आ0 1319 दिनांक 21 अप्रैल, 1965 |
| 39. | आदेश दिनांक 13 मई, 1965 | सां0आ0 1564 दिनांक 14 मई, 1965 |
| 40. | आदेश दिनांक 30 मई, 1965 | सां0आ0 1804 दिनांक 1 जून, 1965 |
| 41. | आदेश दिनांक 1 अगस्त, 1965 | सां0आ0 2427 दिनांक 2 अगस्त, 1965 |
| 42. | आदेश दिनांक 3 अगस्त, 1965 | सां0आ0 2494 दिनांक 3 अगस्त, 1965 |
| 43. | आदेश दिनांक 9 नवम्बर, 1965 | सां0आ0 3545 दिनांक 11 नवम्बर, 1965 |
| 44. | आदेश दिनांक 26 नवम्बर, 1965 | सां0आ0 3711 दिनांक 29 नवम्बर, 1965 |
| 45. | आदेश दिनांक 5 जनवरी, 1966 | सां0आ0 161 दिनांक 8 जनवरी, 1966 |
| 46. | आदेश दिनांक 25 जनवरी, 1966 | सां0आ0 360 दिनांक 28 जनवरी, 1966 |
| 47. | आदेश दिनांक 1 फरवरी, 1966 | सां0आ0 426 दिनांक 3 फरवरी, 1966 |
| 48. | आदेश दिनांक 20 फरवरी, 1966 | सां0आ0 614 दिनांक 23 फरवरी, 1966 |
| 49. | आदेश दिनांक 25 मार्च, 1966 | सां0आ0 1033 दिनांक 28 मार्च, 1966 |
| 50. | आदेश दिनांक 1 मई, 1966 | सां0आ0 1399 दिनांक 3 मई, 1966 |
| 51. | आदेश दिनांक 16 मई, 1966 | सां0आ0 1528 दिनांक 19 मई, 1966 |
| 52. | आदेश दिनांक 2 जून, 1966 | सां0आ0 1695 दिनांक 6 जून, 1966 |
| 53. | आदेश दिनांक 29 जून, 1966 | सां0आ0 2000 दिनांक 30 जून, 1966 |
| 54. | आदेश दिनांक 18 सितम्बर, 1966 | सां0आ0 2839 दिनांक 21 सितम्बर, 1966 |
| 55. | आदेश दिनांक 21 अक्तूबर, 1966 | सां0आ0 3261 दिनांक 25 अक्तूबर, 1966 |

| | | |
|-----|------------------------------|-------------------------------------|
| 56. | आदेश दिनांक 30 अक्तूबर, 1966 | सां0आ0 3368 दिनांक 1 नवम्बर, 1966 |
| 57. | आदेश दिनांक 14 नवम्बर, 1966 | सां0आ0 3511 दिनांक 16 नवम्बर, 1966 |
| 58. | आदेश दिनांक 14 मार्च, 1967 | सां0आ0 917 दिनांक 15 मार्च, 1967 |
| 59. | आदेश दिनांक 12 अप्रैल, 1967 | सां0आ0 1352 दिनांक 14 अप्रैल, 1967 |
| 60. | आदेश दिनांक 13 जून, 1967 | सां0आ0 2064 दिनांक 15 जून, 1967 |
| 61. | आदेश दिनांक 23 जून, 1967 | सां0आ0 2139 दिनांक 26 जून, 1967 |
| 62. | आदेश दिनांक 6 सितम्बर, 1967 | सां0आ0 3219 दिनांक 8 सितम्बर, 1967 |
| 63. | आदेश दिनांक 21 सितम्बर, 1967 | सां0आ0 3418 दिनांक 21 सितम्बर, 1967 |
| 64. | आदेश दिनांक 20 जनवरी, 1968 | सां0आ0 367 दिनांक 23 जनवरी, 1968 |
| 65. | आदेश दिनांक 12 फरवरी, 1968 | सां0आ0 656 दिनांक 13 फरवरी, 1968 |
| 66. | आदेश दिनांक 30 अप्रैल, 1968 | सां0आ0 1602 दिनांक 2 मई, 1968 |
| 67. | आदेश दिनांक 20 जून, 1968 | सां0आ0 2233 दिनांक 21 जून, 1968 |
| 68. | आदेश दिनांक 20 जुलाई, 1968 | सां0आ0 2618 दिनांक 23 जुलाई, 1968 |
| 69. | आदेश दिनांक 21 अगस्त, 1968 | सां0आ0 2884 दिनांक 24 अगस्त, 1968 |
| 70. | आदेश दिनांक 31 अगस्त, 1968 | सां0आ0 3126 दिनांक 2 सितम्बर, 1968 |
| 71. | आदेश दिनांक 16 सितम्बर, 1968 | सां0आ0 3393 दिनांक 19 सितम्बर, 1968 |
| 72. | आदेश दिनांक 18 फरवरी, 1969 | सां0आ0 730 दिनांक 19 फरवरी, 1969 |
| 73. | आदेश दिनांक 18 फरवरी, 1969 | सां0आ0 731 दिनांक 19 फरवरी, 1969 |
| 74. | आदेश दिनांक 2 सितम्बर, 1969 | सां0आ0 3624 दिनांक 3 सितम्बर, 1969 |
| 75. | आदेश दिनांक 9 सितम्बर, 1969 | सां0आ0 3746 दिनांक 11 सितम्बर, 1969 |
| 76. | आदेश दिनांक 11 नवम्बर, 1969 | सां0आ0 4630 दिनांक 14 नवम्बर, 1969 |
| 77. | आदेश दिनांक 11 फरवरी, 1970 | सां0आ0 614 दिनांक 12 फरवरी, 1970 |
| 78. | आदेश दिनांक 10 मार्च, 1970 | सां0आ0 1035 दिनांक 13 मार्च, 1970 |
| 79. | आदेश दिनांक 6 अप्रैल, 1970 | सां0आ0 1363 दिनांक 9 अप्रैल, 1970 |
| 80. | आदेश दिनांक 22 अप्रैल, 1970 | सां0आ0 1525 दिनांक 24 अप्रैल, 1970 |
| 81. | आदेश दिनांक 29 मई, 1970 | सां0आ0 1979 दिनांक 29 मई, 1970 |
| 82. | आदेश दिनांक 25 जून, 1970 | सां0आ0 2242 दिनांक 26 जून, 1970 |
| 83. | आदेश दिनांक 26 जून, 1970 | सां0आ0 2247 दिनांक 27 जून, 1970 |
| 84. | आदेश दिनांक 29 जुलाई, 1970 | सां0आ0 2597 दिनांक 29 जुलाई, 1970 |
| 85. | आदेश दिनांक 1 अगस्त, 1970 | सां0आ0 2667 दिनांक 3 अगस्त, 1970 |

| | | |
|------|------------------------------|--|
| 86. | आदेश दिनांक 24 अक्तूबर, 1970 | सां0आ0 3547 दिनांक 27 अक्तूबर, 1970 |
| 87. | आदेश दिनांक 26 अक्तूबर, 1970 | सां0आ0 3548 दिनांक 27 अक्तूबर, 1970 |
| 88. | आदेश दिनांक 3 मई, 1971 | सां0आ0 1914 दिनांक 5 मई, 1971 |
| 89. | आदेश दिनांक 17 जून, 1971 | सां0आ0 2319 दिनांक 19 जून, 1971 |
| 90. | आदेश दिनांक 17 जून, 1971 | सां0आ0 2320 दिनांक 19 जून, 1971 |
| 91. | आदेश दिनांक 12 अक्तूबर, 1971 | सां0आ0 3850 दिनांक 12 अक्तूबर, 1971 |
| 92. | आदेश दिनांक 12 जनवरी, 1972 | सां0आ0 33 (ई) दिनांक 15 जनवरी, 1972 |
| 93. | आदेश दिनांक 24 फरवरी, 1972 | सां0आ0 162 (ई) दिनांक 25 फरवरी, 1972 |
| 94. | आदेश दिनांक 19 मई, 1972 | सां0आ0 374 (ई) दिनांक 24 मई, 1972 |
| 95. | आदेश दिनांक 18 जुलाई, 1972 | सां0आ0 498 (ई) दिनांक 20 जुलाई, 1972 |
| 96. | आदेश दिनांक 7 अगस्त, 1972 | सां0आ0 530 (ई) दिनांक 8 अगस्त, 1972 |
| 97. | आदेश दिनांक 7 फरवरी, 1973 | सां0आ0 78 (ई) दिनांक 8 फरवरी, 1973 |
| 98. | आदेश दिनांक 31 मार्च, 1973 | सां0आ0 189 (ई) दिनांक 31 मार्च, 1973 |
| 99. | आदेश दिनांक 30 जुलाई, 1973 | सां0आ0 417 (ई) दिनांक 31 जुलाई, 1973 |
| 100. | आदेश दिनांक 27 सितम्बर, 1973 | सां0आ0 529 (ई) दिनांक 29 सितम्बर, 1973 |
| 101. | आदेश दिनांक 10 नवम्बर, 1973 | सां0आ0 696 (ई) दिनांक 15 नवम्बर, 1973 |
| 102. | आदेश दिनांक 15 दिसम्बर, 1973 | सां0आ0 784 (ई) दिनांक 17 दिसम्बर, 1973 |
| 103. | आदेश दिनांक 19 जनवरी, 1974 | सां0आ0 64 (ई) दिनांक 22 जनवरी, 1974 |
| 104. | आदेश दिनांक 22 जून, 1974 | सां0आ0 381 (ई) दिनांक 24 जून, 1974 |
| 105. | आदेश दिनांक 17 सितम्बर, 1974 | सां0आ0 548 (ई) दिनांक 17 सितम्बर, 1974 |
| 106. | आदेश दिनांक 11 अक्तूबर, 1974 | सां0आ0 607 (ई) दिनांक 11 अक्तूबर, 1974 |
| 107. | आदेश दिनांक 14 फरवरी, 1975 | सां0आ0 102 (ई) दिनांक 17 फरवरी, 1975 |
| 108. | आदेश दिनांक 16 मई, 1975 | सां0आ0 205 (ई) दिनांक 16 मई, 1975 |
| 109. | आदेश दिनांक 19 मई, 1975 | सां0आ0 221 (ई) दिनांक 20 मई, 1975 |
| 110. | आदेश दिनांक 26 जून, 1975 | सां0आ0 279 (ई) दिनांक 26 जून, 1975 |
| 111. | आदेश दिनांक 2 अगस्त, 1975 | सां0आ0 412 (ई) दिनांक 2 अगस्त, 1975 |
| 112. | आदेश दिनांक 16 अगस्त, 1975 | सां0आ0 438 (ई) दिनांक 19 अगस्त, 1975 |
| 113. | आदेश दिनांक 29 अगस्त, 1975 | सां0आ0 461 (ई) दिनांक 2 सितम्बर, 1975 |
| 114. | आदेश दिनांक 15 मार्च, 1976 | सां0आ0 203 (ई) दिनांक 18 मार्च, 1976 |
| 115. | आदेश दिनांक 18 मार्च, 1976 | सां0आ0 215 (ई) दिनांक 19 मार्च, 1976 |

| | | |
|------|------------------------------|--|
| 116. | आदेश दिनांक 29 मार्च, 1976 | सां0आ0 262 (ई) दिनांक 30 मार्च, 1976 |
| 117. | आदेश दिनांक 23 अगस्त, 1976 | सां0आ0 563 (ई) दिनांक 24 अगस्त, 1976 |
| 118. | आदेश दिनांक 22 नवम्बर, 1976 | सां0आ0 748 (ई) दिनांक 22 नवम्बर, 1976 |
| 119. | आदेश दिनांक 10 दिसम्बर, 1976 | सां0आ0 794 (ई) दिनांक 14 दिसम्बर, 1976 |
| 120. | आदेश दिनांक 7 अप्रैल, 1977 | सां0आ0 291 (ई) दिनांक 7 अप्रैल, 1977 |
| 121. | आदेश दिनांक 1 जून, 1977 | सां0आ0 378 (ई) दिनांक 2 जून, 1977 |
| 122. | आदेश दिनांक 2 जुलाई, 1977 | सां0आ0 520 (ई) दिनांक 4 जुलाई, 1977 |
| 123. | आदेश दिनांक 12 नवम्बर, 1977 | सां0आ0 765 (ई) दिनांक 12 नवम्बर, 1977 |
| 124. | आदेश दिनांक 26 नवम्बर, 1977 | सां0आ0 790 (ई) दिनांक 29 नवम्बर, 1977 |
| 125. | आदेश दिनांक 9 फरवरी, 1978 | सां0आ0 88 (ई) दिनांक 10 फरवरी, 1978 |
| 126. | आदेश दिनांक 23 फरवरी, 1978 | सां0आ0 128 (ई) दिनांक 24 फरवरी, 1978 |
| 127. | आदेश दिनांक 23 फरवरी, 1978 | सां0आ0 129 (ई) दिनांक 24 फरवरी, 1978 |
| 128. | आदेश दिनांक 6 अप्रैल, 1978 | सां0आ0 254 (ई) दिनांक 6 अप्रैल, 1978 |
| 129. | आदेश दिनांक 20 मई, 1978 | सां0आ0 352 (ई) दिनांक 24 मई, 1978 |
| 130. | आदेश दिनांक 18 दिसम्बर, 1978 | सां0आ0 720 (ई) दिनांक 21 दिसम्बर, 1978 |
| 131. | आदेश दिनांक 30 दिसम्बर, 1978 | सां0आ0 10 (ई) दिनांक 2 जनवरी, 1979 |
| 132. | आदेश दिनांक 18 अप्रैल, 1979 | सां0आ0 214 (ई) दिनांक 20 अप्रैल, 1979 |
| 133. | आदेश दिनांक 21 जुलाई, 1979 | सां0आ0 424 (ई) दिनांक 25 जुलाई, 1979 |
| 134. | आदेश दिनांक 10 अगस्त, 1979 | सां0आ0 467 (ई) दिनांक 13 अगस्त, 1979 |
| 135. | आदेश दिनांक 18 अगस्त, 1979 | सां0आ0 474 (ई) दिनांक 18 अगस्त, 1979 |
| 136. | आदेश दिनांक 17 सितम्बर, 1979 | सां0आ0 537 (ई) दिनांक 20 सितम्बर, 1979 |
| 137. | आदेश दिनांक 20 सितम्बर, 1979 | सां0आ0 542 (ई) दिनांक 24 सितम्बर, 1979 |
| 138. | आदेश दिनांक 18 अक्तूबर, 1979 | सां0आ0 599 (ई) दिनांक 25 अक्तूबर, 1979 |
| 139. | आदेश दिनांक 10 दिसम्बर, 1979 | सां0आ0 798 (ई) दिनांक 12 दिसम्बर, 1979 |
| 140. | आदेश दिनांक 7 अप्रैल, 1980 | सां0आ0 243 (ई) दिनांक 7 अप्रैल, 1980 |
| 141. | आदेश दिनांक 24 अप्रैल, 1980 | सां0आ0 270 (ई) दिनांक 24 अप्रैल, 1980 |
| 142. | आदेश दिनांक 7 मई, 1980 | सां0आ0 301 (ई) दिनांक 8 मई, 1980 |
| 143. | आदेश दिनांक 20 मई, 1980 | सां0आ0 341 (ई) दिनांक 21 मई, 1980 |
| 144. | आदेश दिनांक 22 जुलाई, 1980 | सां0आ0 561 (ई) दिनांक 23 जुलाई, 1980 |
| 145. | आदेश दिनांक 27 सितम्बर, 1980 | सां0आ0 826 (ई) दिनांक 30 सितम्बर, 1980 |

| | | |
|------|------------------------------|--|
| 146. | आदेश दिनांक 1 नवम्बर, 1980 | सां0आ0 878 (ई) दिनांक 5 नवम्बर, 1980 |
| 147. | आदेश दिनांक 4 दिसम्बर, 1980 | सां0आ0 946 (ई) दिनांक 9 दिसम्बर, 1980 |
| 148. | आदेश दिनांक 24 जुलाई, 1981 | सां0आ0 608 (ई) दिनांक 27 जुलाई, 1981 |
| 149. | आदेश दिनांक 1 अगस्त, 1981 | सां0आ0 628 (ई) दिनांक 6 अगस्त, 1981 |
| 150. | आदेश दिनांक 14 अगस्त, 1981 | सां0आ0 653 (ई) दिनांक 14 अगस्त, 1981 |
| 151. | आदेश दिनांक 4 सितम्बर, 1981 | सां0आ0 691 (ई) दिनांक 9 सितम्बर, 1981 |
| 152. | आदेश दिनांक 2 दिसम्बर, 1981 | सां0आ0 885 (ई) दिनांक 4 दिसम्बर, 1981 |
| 153. | आदेश दिनांक 23 जनवरी, 1982 | सां0आ0 48 (ई) दिनांक 25 जनवरी, 1982 |
| 154. | आदेश दिनांक 12 फरवरी, 1982 | सां0आ0 76 (ई) दिनांक 12 फरवरी, 1982 |
| 155. | आदेश दिनांक 6 सितम्बर, 1982 | सां0आ0 652 (ई) दिनांक 6 सितम्बर, 1982 |
| 156. | आदेश दिनांक 14 सितम्बर, 1982 | सां0आ0 666 (ई) दिनांक 14 सितम्बर, 1982 |
| 157. | आदेश दिनांक 17 फरवरी, 1983 | सां0आ0 125 (ई) दिनांक 17 फरवरी, 1983 |
| 158. | आदेश दिनांक 30 जून, 1983 | सां0आ0 496 (ई) दिनांक 6 जुलाई, 1983 |
| 159. | आदेश दिनांक 26 अगस्त, 1983 | सां0आ0 626 (ई) दिनांक 29 अगस्त, 1983 |
| 160. | आदेश दिनांक 19 जनवरी, 1984 | सां0आ0 36 (ई) दिनांक 21 जनवरी, 1984 |
| 161. | आदेश दिनांक 28 जुलाई, 1984 | सां0आ0 543 (ई) दिनांक 28 जुलाई, 1984 |
| 162. | आदेश दिनांक 17 अक्तूबर, 1984 | सां0आ0 795 (ई) दिनांक 17 अक्तूबर, 1984 |
| 163. | आदेश दिनांक 6 नवम्बर, 1984 | सां0आ0 821 (ई) दिनांक 6 नवम्बर, 1984 |
| 164. | आदेश दिनांक 4 जनवरी, 1985 | सां0आ0 7 (ई) दिनांक 4 जनवरी, 1985 |
| 165. | आदेश दिनांक 20 फरवरी, 1985 | सां0आ0 156 (ई) दिनांक 21 फरवरी, 1985 |
| 166. | आदेश दिनांक 1 मार्च, 1985 | सां0आ0 174 (ई) दिनांक 1 मार्च, 1985 |
| 167. | आदेश दिनांक 15 मार्च, 1985 | सां0आ0 192 (ई) दिनांक 15 मार्च, 1985 |
| 168. | आदेश दिनांक 30 मार्च, 1985 | सां0आ0 284 (ई) दिनांक 1 अप्रैल, 1985 |
| 169. | आदेश दिनांक 24 मई 1985 | सां0आ0 415 (ई) दिनांक 24 मई, 1985 |
| 170. | आदेश दिनांक 31 जुलाई, 1985 | सां0आ0 569 (ई) दिनांक 31 जुलाई, 1985 |
| 171. | आदेश दिनांक 13 अगस्त, 1985 | सां0आ0 606 (ई) दिनांक 13 अगस्त, 1985 |
| 172. | आदेश दिनांक 29 अगस्त, 1985 | सां0आ0 635 (ई) दिनांक 29 अगस्त, 1985 |
| 173. | आदेश दिनांक 16 सितम्बर, 1985 | सां0आ0 673 (ई) दिनांक 16 सितम्बर, 1985 |
| 174. | आदेश दिनांक 25 सितम्बर, 1985 | सां0आ0 696 (ई) दिनांक 25 सितम्बर, 1985 |
| 175. | आदेश दिनांक 15 नवम्बर, 1985 | सां0आ0 831 (ई) दिनांक 15 नवम्बर, 1985 |
| 176. | आदेश दिनांक 22 नवम्बर, 1985 | सां0आ0 842 (ई) दिनांक 22 नवम्बर, 1985 |

| | | |
|------|------------------------------|---|
| 177. | आदेश दिनांक 10 दिसम्बर, 1985 | सां0आ0 893 (ई) दिनांक 10 दिसम्बर, 1985 |
| 178. | आदेश दिनांक 6 जनवरी, 1986 | सां0आ0 6 (ई) दिनांक 6 जनवरी, 1986 |
| 179. | आदेश दिनांक 31 जनवरी, 1986 | सां0आ0 38 (ई) दिनांक 31 जनवरी, 1986 |
| 180. | आदेश दिनांक 18 फरवरी, 1986 | सां0आ0 62 (ई) दिनांक 19 फरवरी, 1986 |
| 181. | आदेश दिनांक 27 फरवरी, 1986 | सां0आ0 76 (ई) दिनांक 27 फरवरी, 1986 |
| 182. | आदेश दिनांक 19 मार्च, 1986 | सां0आ0 102 (ई) दिनांक 19 मार्च, 1986 |
| 183. | आदेश दिनांक 24 अप्रैल, 1986 | सां0आ0 209 (ई) दिनांक 24 अप्रैल, 1986 |
| 184. | आदेश दिनांक 12 मई, 1986 | सां0आ0 254 (ई) दिनांक 12 मई, 1986 |
| 185. | आदेश दिनांक 23 जून, 1986 | सां0आ0 374 (ई) दिनांक 23 जून, 1986 |
| 186. | आदेश दिनांक 5 अगस्त, 1986 | सां0आ0 460 (ई) दिनांक 5 अगस्त, 1986 |
| 187. | आदेश दिनांक 30 सितम्बर, 1986 | सां0आ0 730 (ई) दिनांक 03 अक्तूबर, 1986 |
| 188. | आदेश दिनांक 29 अक्तूबर, 1986 | सां0आ0 797 (ई) दिनांक 29 अक्तूबर, 1986 |
| 189. | आदेश दिनांक 31 जनवरी, 1987 | सां0आ0 48 (ई) दिनांक 2 फरवरी, 1987 |
| 190. | आदेश दिनांक 4 अप्रैल, 1987 | सां0आ0 325 (ई) दिनांक 6 अप्रैल, 1987 |
| 191. | आदेश दिनांक 27 अप्रैल, 1987 | सां0आ0 440 (ई) दिनांक 27 अप्रैल, 1987 |
| 192. | आदेश दिनांक 13 अक्तूबर, 1987 | सां0आ0 923 (ई) दिनांक 15 अक्तूबर, 1987 |
| 193. | आदेश दिनांक 9 जनवरी, 1988 | सां0आ0 49 (ई) दिनांक 11 जनवरी, 1988 |
| 194. | आदेश दिनांक 14 मार्च, 1988 | सां0आ0 259 (ई) दिनांक 14 मार्च, 1988 |
| 195. | आदेश दिनांक 30 मार्च, 1988 | सां0आ0 357 (ई) दिनांक 30 मार्च, 1988 |
| 196. | आदेश दिनांक 25 जून, 1988 | सां0आ0 616 (ई) दिनांक 25 जून, 1988 |
| 197. | आदेश दिनांक 5 जुलाई, 1988 | सां0आ0 676 (ई) दिनांक 5 जुलाई, 1988 |
| 198. | आदेश दिनांक 5 अक्तूबर, 1988 | सां0आ0 927 (ई) दिनांक 6 अक्तूबर, 1988 |
| 199. | आदेश दिनांक 31 अक्तूबर, 1988 | सां0आ0 1009 (ई) दिनांक 2 नवम्बर, 1988 |
| 200. | आदेश दिनांक 18 जनवरी, 1989 | सां0आ0 85 (ई) दिनांक 19 जनवरी, 1989 |
| 201. | आदेश दिनांक 20 जून, 1989 | सां0आ0 474 (ई) दिनांक 21 जून, 1989 |
| 202. | आदेश दिनांक 30 जून, 1989 | सां0आ0 520 (ई) दिनांक 4 जुलाई, 1989 |
| 203. | आदेश दिनांक 28 अगस्त, 1989 | सां0आ0 679 (ई) दिनांक 30 अगस्त, 1989 |
| 204. | आदेश दिनांक 6 दिसम्बर, 1989 | सां0आ0 1002 (ई) दिनांक 6 दिसम्बर, 1989 |
| 205. | आदेश दिनांक 26 दिसम्बर, 1989 | सां0आ0 1069 (ई) दिनांक 26 दिसम्बर, 1989 |
| 206. | आदेश दिनांक 26 दिसम्बर, 1989 | सां0आ0 1070 (ई) दिनांक 26 दिसम्बर, 1989 |
| 207. | आदेश दिनांक 25 जनवरी, 1990 | सां0आ0 103 (ई) दिनांक 25 जनवरी, 1990 |
| 208. | आदेश दिनांक 12 मार्च, 1990 | सां0आ0 222 (ई) दिनांक 13 मार्च, 1990 |
| 209. | आदेश दिनांक 10 अप्रैल, 1990 | सां0आ0 324 (ई) दिनांक 12 अप्रैल, 1990 |
| 210. | आदेश दिनांक 25 अप्रैल, 1990 | सां0आ0 355 (ई) दिनांक 26 अप्रैल, 1990 |

| | | |
|------|------------------------------|---|
| 211. | आदेश दिनांक 9 मई, 1990 | सां0आ0 378 (ई) दिनांक 10 मई, 1990 |
| 212. | आदेश दिनांक 15 मई, 1990 | सां0आ0 391 (ई) दिनांक 17 मई, 1990 |
| 213. | आदेश दिनांक 25 सितम्बर, 1990 | सां0आ0 747 (ई) दिनांक 27 सितम्बर, 1990 |
| 214. | आदेश दिनांक 31 जनवरी, 1991 | सां0आ0 52 (ई) दिनांक 31 जनवरी, 1991 |
| 215. | आदेश दिनांक 16 फरवरी, 1991 | सां0आ0 112 (ई) दिनांक 19 फरवरी, 1991 |
| 216. | आदेश दिनांक 15 मार्च, 1991 | सां0आ0 187 (ई) दिनांक 15 मार्च, 1991 |
| 217. | आदेश दिनांक 5 जुलाई, 1991 | सां0आ0 452 (ई) दिनांक 5 जुलाई, 1991 |
| 218. | आदेश दिनांक 4 दिसम्बर, 1991 | सां0आ0 821 (ई) दिनांक 5 दिसम्बर, 1991 |
| 219. | आदेश दिनांक 25 जून, 1992 | सां0आ0 482 (ई) दिनांक 29 जून, 1992 |
| 220. | आदेश दिनांक 2 जुलाई, 1992 | सां0आ0 496 (ई) दिनांक 3 जुलाई, 1992 |
| 221. | आदेश दिनांक 10 नवम्बर, 1992 | सां0आ0 833 (ई) दिनांक 12 नवम्बर, 1992 |
| 222. | आदेश दिनांक 30 दिसम्बर, 1993 | सां0आ0 1048 (ई) दिनांक 30 दिसम्बर, 1993 |
| 223. | आदेश दिनांक 3 अप्रैल, 1994 | सां0आ0 290 (ई) दिनांक 5 अप्रैल, 1994 |
| 224. | आदेश दिनांक 16 मई, 1994 | सां0आ0 380 (ई) दिनांक 18 मई, 1994 |
| 225. | आदेश दिनांक 30 सितम्बर, 1994 | सां0आ0 723 (ई) दिनांक 3 अक्तूबर, 1994 |
| 226. | आदेश दिनांक 1 नवम्बर, 1994 | सां0आ0 788 (ई) दिनांक 1 नवम्बर, 1994 |
| 227. | आदेश दिनांक 7 फरवरी, 1995 | सां0आ0 86 (ई) दिनांक 7 फरवरी, 1995 |
| 228. | आदेश दिनांक 8 मार्च, 1995 | सां0आ0 142 (ई) दिनांक 8 मार्च, 1995 |
| 229. | आदेश दिनांक 26 जून, 1995 | सां0आ0 571 (ई) दिनांक 26 जून, 1995 |
| 230. | आदेश दिनांक 4 सितम्बर, 1995 | सां0आ0 763 (ई) दिनांक 5 सितम्बर, 1995 |
| 231. | आदेश दिनांक 11 दिसम्बर, 1995 | सां0आ0 970 (ई) दिनांक 13 दिसम्बर, 1995 |
| 232. | आदेश दिनांक 26 जुलाई, 1996 | सां0आ0 544 (ई) दिनांक 27 जुलाई, 1996 |
| 233. | आदेश दिनांक 4 जनवरी, 1997 | सां0आ0 21 (ई) दिनांक 7 जनवरी, 1997 |
| 234. | आदेश दिनांक 13 जनवरी, 1997 | सां0आ0 39 (ई) दिनांक 14 जनवरी, 1997 |
| 235. | आदेश दिनांक 22 फरवरी, 1997 | सां0आ0 144 (ई) दिनांक 24 फरवरी, 1997 |
| 236. | आदेश दिनांक 4 जून, 1997 | सां0आ0 427 (ई) दिनांक 5 जून, 1997 |
| 237. | आदेश दिनांक 10 अक्तूबर, 1997 | सां0आ0 727 (ई) दिनांक 15 अक्तूबर, 1997 |
| 238. | आदेश दिनांक 23 मई, 1998 | सां0आ0 455 (ई) दिनांक 26 मई, 1998 |
| 239. | आदेश दिनांक 27 मई, 1998 | सां0आ0 473 (ई) दिनांक 28 मई, 1998 |
| 240. | आदेश दिनांक 3 सितम्बर, 1998 | सां0आ0 792 (ई) दिनांक 9 सितम्बर, 1998 |
| 241. | आदेश दिनांक 19 दिसम्बर, 1998 | सां0आ0 1105 (ई) दिनांक 24 दिसम्बर, 1998 |
| 242. | आदेश दिनांक 9 अप्रैल, 1999 | सां0आ0 244 (ई) दिनांक 9 अप्रैल, 1999 |
| 243. | आदेश दिनांक 15 अक्तूबर, 1999 | सां0आ0 1036 (ई) दिनांक 15 अक्तूबर, 1999 |
| 244. | आदेश दिनांक 26 नवम्बर, 1999 | सां0आ0 1187 (ई) दिनांक 26 नवम्बर, 1999 |
| 245. | आदेश दिनांक 29 नवम्बर, 1999 | सां0आ0 1194 (ई) दिनांक 30 नवम्बर, 1999 |

| | | |
|------|------------------------------|---|
| 246. | आदेश दिनांक 10 दिसम्बर, 1999 | सां0आ0 1231 (ई) दिनांक 10 दिसम्बर, 1999 |
| 247. | आदेश दिनांक 3 अप्रैल, 2000 | सां0आ0 344 (ई) दिनांक 4 अप्रैल, 2000 |
| 248. | आदेश दिनांक 27 मई, 2000 | सां0आ0 523 (ई) दिनांक 27 मई, 2000 |
| 249. | आदेश दिनांक 17 जुलाई, 2000 | सां0आ0 674 (ई) दिनांक 19 जुलाई, 2000 |
| 250. | आदेश दिनांक 17 जुलाई, 2000 | सां0आ0 675 (ई) दिनांक 19 जुलाई, 2000 |
| 251. | आदेश दिनांक 4 अगस्त, 2000 | सां0आ0 740 (ई) दिनांक 7 अगस्त, 2000 |
| 252. | आदेश दिनांक 27 सितम्बर, 2000 | सां0आ0 897 (ई) दिनांक 28 सितम्बर, 2000 |
| 253. | आदेश दिनांक 17 नवम्बर, 2000 | सां0आ0 1037 (ई) दिनांक 17 नवम्बर, 2000 |
| 254. | आदेश दिनांक 7 मार्च, 2001 | सां0आ0 209 (ई) दिनांक 8 मार्च, 2001 |
| 255. | आदेश दिनांक 25 अगस्त, 2001 | सां0आ0 824 (ई) दिनांक 27 अगस्त, 2001 |
| 256. | आदेश दिनांक 6 सितम्बर, 2001 | सां0आ0 858 (ई) दिनांक 6 सितम्बर, 2001 |
| 257. | आदेश दिनांक 21 दिसम्बर, 2001 | सां0आ0 1251 (ई) दिनांक 21 दिसम्बर, 2001 |
| 258. | आदेश दिनांक 21 दिसम्बर, 2001 | सां0आ0 1252 (ई) दिनांक 21 दिसम्बर, 2001 |
| 259. | आदेश दिनांक 21 दिसम्बर, 2001 | सां0आ0 1253 (ई) दिनांक 21 दिसम्बर, 2001 |
| 260. | आदेश दिनांक 23 फरवरी, 2002 | सां0आ0 243 (ई) दिनांक 27 फरवरी, 2002 |
| 261. | आदेश दिनांक 23 मई, 2002 | सां0आ0 566 (ई) दिनांक 24 मई, 2002 |
| 262. | आदेश दिनांक 2 जुलाई, 2002 | सां0आ0 688 (ई) दिनांक 2 जुलाई, 2002 |
| 263. | आदेश दिनांक 13 जुलाई, 2002 | सां0आ0 743 (ई) दिनांक 13 जुलाई, 2002 |
| 264. | आदेश दिनांक 11 सितम्बर, 2002 | सां0आ0 988 (ई) दिनांक 11 सितम्बर, 2002 |
| 265. | आदेश दिनांक 27 नवम्बर, 2002 | सां0आ0 1238 (ई) दिनांक 27 नवम्बर, 2002 |
| 266. | आदेश दिनांक 12 दिसम्बर, 2002 | सां0आ0 1310 (ई) दिनांक 12 दिसम्बर, 2002 |
| 267. | आदेश दिनांक 30 जनवरी, 2003 | सां0आ0 107 (ई) दिनांक 30 जनवरी, 2003 |
| 268. | आदेश दिनांक 18 फरवरी, 2003 | सां0आ0 193 (ई) दिनांक 18 फरवरी, 2003 |
| 269. | आदेश दिनांक 10 अप्रैल, 2003 | सां0आ0 427 (ई) दिनांक 10 अप्रैल, 2003 |
| 270. | आदेश दिनांक 11 नवम्बर, 2003 | सां0आ0 1295 (ई) दिनांक 11 नवम्बर, 2003 |
| 271. | आदेश दिनांक 6 जनवरी, 2004 | सां0आ0 17 (ई) दिनांक 6 जनवरी, 2004 |
| 272. | आदेश दिनांक 12 जनवरी, 2004 | सां0आ0 54 (ई) दिनांक 12 जनवरी, 2004 |
| 273. | आदेश दिनांक 27 मई, 2004 | सां0आ0 636 (ई) दिनांक 27 मई, 2004 |
| 274. | आदेश दिनांक 5 जून, 2004 | सां0आ0 665 (ई) दिनांक 7 जून, 2004 |
| 275. | आदेश दिनांक 2 सितम्बर, 2004 | सां0आ0 981 (ई) दिनांक 3 सितम्बर, 2004 |
| 276. | आदेश दिनांक 22 सितम्बर, 2004 | सां0आ0 1032(ई) दिनांक 22 सितम्बर, 2004 |
| 277. | आदेश दिनांक 3 दिसम्बर, 2004 | सां0आ0 1328 (ई) दिनांक 6 दिसम्बर, 2004 |
| 278. | आदेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 | सां0आ0 1382 (ई) दिनांक 16 दिसम्बर, 2004 |
| 279. | आदेश दिनांक 1 मार्च, 2005 | सां0आ0 277 (ई) दिनांक 2 मार्च, 2005 |
| 280. | आदेश दिनांक 9 मार्च, 2005 | सां0आ0 302 (ई) दिनांक 10 मार्च, 2005 |

| | | |
|------|------------------------------|---|
| 281. | आदेश दिनांक 1 सितम्बर, 2005 | सां0आ0 1229 (ई) दिनांक 2 सितम्बर, 2005 |
| 282. | आदेश दिनांक 12 जनवरी, 2006 | सां0आ0 40 (ई) दिनांक 12 जनवरी, 2006 |
| 283. | आदेश दिनांक 16 फरवरी, 2006 | सां0आ0 219 (ई) दिनांक 16 फरवरी, 2006 |
| 284. | आदेश दिनांक 28 फरवरी, 2006 | सां0आ0 261 (ई) दिनांक 28 फरवरी, 2006 |
| 285. | आदेश दिनांक 17 मार्च, 2006 | सां0आ0 367 (ई) दिनांक 20 मार्च, 2006 |
| 286. | आदेश दिनांक 1 जून, 2006 | सां0आ0 851 (ई) दिनांक 2 जून, 2006 |
| 287. | आदेश दिनांक 12 जुलाई, 2006 | सां0आ0 1120 (ई) दिनांक 17 जुलाई, 2006 |
| 288. | आदेश दिनांक 14 अक्तूबर, 2006 | सां0आ0 1778 (ई) दिनांक 17 अक्तूबर, 2006 |
| 289. | आदेश दिनांक 9 मई, 2007 | सां0आ0 750 (ई) दिनांक 11 मई, 2007 |
| 290. | आदेश दिनांक 28 जून, 2007 | सां0आ0 1050 (ई) दिनांक 29 जून, 2007 |
| 291. | आदेश दिनांक 17 सितम्बर, 2007 | सां0आ0 1568 (ई) दिनांक 18 सितम्बर, 2007 |
| 292. | आदेश दिनांक 29 अप्रैल, 2008 | सां0आ0 1055 (ई) दिनांक 30 अप्रैल, 2008 |
| 293. | आदेश दिनांक 01 जुलाई, 2008 | सां0आ0 1604 (ई) दिनांक 02 जुलाई, 2008 |
| 294. | आदेश दिनांक 20 दिसंबर, 2008 | सां0आ0 2962 (ई) दिनांक 23 दिसंबर, 2008 |
| 295. | आदेश दिनांक 04 जून, 2009 | सां0आ0 1410 (ई) दिनांक 05 जून, 2009 |
| 296. | आदेश दिनांक 22 फरवरी, 2010 | सां0आ0 458 (ई) दिनांक 23 फरवरी, 2010 |
| 297. | आदेश दिनांक 05 जून, 2010 | सां0आ0 1336 (ई) दिनांक 07 जून, 2010 |
| 298. | आदेश दिनांक 17 अगस्त, 2010 | सां0आ0 2039 (ई) दिनांक 18 अगस्त, 2010 |
| 299. | आदेश दिनांक 13 जुलाई, 2011 | सां0आ0 1616 (ई) दिनांक 13 जुलाई, 2011 |
| 300. | आदेश दिनांक 26 फरवरी, 2012 | सां0आ0 339 (ई) दिनांक 27 फरवरी, 2012 |
| 301. | आदेश दिनांक 12 मई, 2012 | सां0आ0 1101 (ई) दिनांक 14 मई, 2012 |
| 302. | आदेश दिनांक 10 जून, 2013 | सां0आ0 1521 (ई) दिनांक 12 जून, 2013 |
| 303. | आदेश दिनांक 05 सितंबर, 2013 | सां0आ0 2694 (ई) दिनांक 06 सितंबर, 2013 |
| 304. | आदेश दिनांक 09 अक्तूबर, 2013 | सां0आ0 3091 (ई) दिनांक 10 अक्तूबर, 2013 |
| 305. | आदेश दिनांक 25 फरवरी, 2014 | सां0आ0 608 (ई) दिनांक 1 मार्च, 2014 |
| 306. | आदेश दिनांक 31 जुलाई, 2014 | सां0आ0 1986 (ई) दिनांक 1 अगस्त, 2014 |
| 307. | आदेश दिनांक 6 अगस्त, 2014 | सां0आ0 2010 (ई) दिनांक 7 अगस्त, 2014 |
| 308. | आदेश दिनांक 7 अगस्त, 2014 | सां0आ0 2014 (ई) दिनांक 8 अगस्त, 2014 |
| 309. | आदेश दिनांक 8 दिसंबर, 2014 | सां0आ0 3106 (ई) दिनांक 9 दिसंबर, 2014 |
| 310. | आदेश दिनांक 8 दिसंबर, 2014 | सां0आ0 3105 (ई) दिनांक 9 दिसंबर, 2014 |
| 311. | आदेश दिनांक 9 जनवरी, 2015 | सां0आ0 136 (ई) दिनांक 12 जनवरी, 2015 |
| 312. | आदेश दिनांक 21 मार्च, 2015 | सां0आ0 815 (ई) दिनांक 23 मार्च, 2015 |
| 313. | आदेश दिनांक 24 मार्च, 2015 | सां0आ0 833 (ई) दिनांक 25 मार्च, 2015 |
| 314. | आदेश दिनांक 2 मई, 2015 | सां0आ0 1200 (ई) दिनांक 6 मई, 2015 |
| 315. | आदेश दिनांक 5 अगस्त, 2015 | सां0आ0 2130 (ई) दिनांक 6 अगस्त, 2015 |

| | | |
|------|------------------------------|---|
| 316. | आदेश दिनांक 12 अगस्त, 2015 | सां0आ0 2235 (ई) दिनांक 14 अगस्त, 2015 |
| 317. | आदेश दिनांक 27 अगस्त, 2015 | सां0आ0 2350 (ई) दिनांक 27 अगस्त, 2015 |
| 318. | आदेश दिनांक 12 सितम्बर, 2015 | सां0आ0 2492 (ई) दिनांक 14 सितम्बर, 2015 |
| 319. | आदेश दिनांक 12 सितम्बर, 2015 | सां0आ0 2493 (ई) दिनांक 14 सितम्बर, 2015 |
| 320. | आदेश दिनांक 26 दिसंबर, 2015 | सां0आ0 8 (ई) दिनांक 1 जनवरी, 2016 |
| 321. | आदेश दिनांक 12 फरवरी, 2016 | सां0आ0 497 (ई) दिनांक 16 फरवरी, 2016 |
| 322. | आदेश दिनांक 17 मार्च, 2016 | सां0आ0 1163 (ई) दिनांक 21 मार्च, 2016 |
| 323. | आदेश दिनांक 14 अप्रैल, 2016 | सां0आ0 1435 (ई) दिनांक 18 अप्रैल, 2016 |
| 324. | आदेश दिनांक 17 मई, 2016 | सां0आ0 1815 (ई) दिनांक 18 मई, 2016 |
| 325. | आदेश दिनांक 18 मई, 2016 | सां0आ0 1832 (ई) दिनांक 20 मई, 2016 |
| 326. | आदेश दिनांक 21 मई, 2016 | सां0आ0 1858 (ई) दिनांक 24 मई, 2016 |
| 327. | आदेश दिनांक 16 जुलाई, 2016 | सां0आ0 2449 (ई) दिनांक 18 जुलाई, 2016 |
| 328. | आदेश दिनांक 29 जुलाई, 2016 | सां0आ0 2577 (ई) दिनांक 1 अगस्त, 2016 |
| 329. | आदेश दिनांक 19 सितम्बर, 2016 | सां0आ0 3109 (ई) दिनांक 1 अक्टूबर, 2016 |
| 330. | आदेश दिनांक 16 जनवरी, 2017 | सां0आ0 194 (ई) दिनांक 19 जनवरी, 2017 |
| 331. | आदेश दिनांक 27 जनवरी, 2017 | सां0आ0 313 (ई) दिनांक 31 जनवरी, 2017 |
| 332. | आदेश दिनांक 13 फरवरी, 2017 | सां0आ0 452 (ई) दिनांक 15 फरवरी, 2017 |
| 333. | आदेश दिनांक 6 जुलाई, 2017 | सां0आ0 2163 (ई) दिनांक 7 जुलाई, 2017 |
| 334. | आदेश दिनांक 6 जुलाई, 2017 | सां0आ0 2164 (ई) दिनांक 7 जुलाई, 2017 |
| 335. | आदेश दिनांक 4 अगस्त, 2017 | सां0आ0 2492 (ई) दिनांक 7 अगस्त, 2017 |
| 336. | आदेश दिनांक 7 नवम्बर, 2017 | सां0आ0 3565 (ई) दिनांक 9 नवम्बर, 2017 |
| 337. | आदेश दिनांक 6 दिसंबर, 2017 | सां0आ0 3858 (ई) दिनांक 8 दिसंबर, 2017 |
| 338. | आदेश दिनांक 8 दिसंबर, 2017 | सां0आ0 3871 (ई) दिनांक 12 दिसंबर, 2017 |
| 339. | आदेश दिनांक 22 दिसंबर, 2017 | सां0आ0 4087 (ई) दिनांक 28 दिसंबर, 2017 |
| 340. | आदेश दिनांक 7 मई, 2018 | सां0आ0 1846 (ई) दिनांक 8 मई, 2018 |
| 341. | आदेश दिनांक 7 मई, 2018 | सां0आ0 1847 (ई) दिनांक 8 मई, 2018 |
| 342. | आदेश दिनांक 26 जून, 2018 | सां0आ0 3141 (ई) दिनांक 27 जून, 2018 |
| 343. | आदेश दिनांक 26 जुलाई, 2018 | सां0आ0 3691 (ई) दिनांक 27 जुलाई, 2018 |
| 344. | आदेश दिनांक 20 सितम्बर, 2018 | सां0आ0 4962 (ई) दिनांक 24 सितम्बर, 2018 |
| 345. | आदेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 | सां0आ0 5343 (ई) दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 |
| 346. | आदेश दिनांक 2 नवम्बर, 2018 | सां0आ0 5661 (ई) दिनांक 9 नवम्बर, 2018 |
| 347. | आदेश दिनांक 27 जनवरी, 2019 | सां0आ0 503 (ई) दिनांक 29 जनवरी, 2019 |
| 348. | आदेश दिनांक 5 फरवरी, 2019 | सां0आ0 762 (ई) दिनांक 6 फरवरी, 2019 |
| 349. | आदेश दिनांक 4 अप्रैल, 2019 | सां0आ0 1531 (ई) दिनांक 5 अप्रैल, 2019 |
| 350. | आदेश दिनांक 14 जून, 2019 | सां0आ0 1972 (ई) दिनांक 17 जून, 2019 |

| | | |
|------|---------------------------|--------------------------------------|
| 351. | आदेश दिनांक 6 अगस्त, 2019 | सां0आ0 2886 (ई) दिनांक 8 अगस्त, 2019 |
|------|---------------------------|--------------------------------------|
